राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का अष्टम् दिवस [संख्या ६

सोमवार, १७ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

अविश्वास प्रस्ताव विषयक

श्री मदनसिंह (दौर्ता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिस गवर्नमेन्ट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव हो गया है उससे सवाल-जवाब पूछना कहां तक वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन्स।

(हंसी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

धार्मिक शिक्षा

१५१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में धार्मिक शिक्षा देने वाले पंडितों और मौलवियों को सरकार से तनख्वाह या एड के रूप में कुछ सहायता दी जाती है ?

(ख) अगर हां, तो किस किस डिस्ट्रिक्ट और तहसील में और किन किन को ?

(ग) क्या उक्त पंडितों और मौलवियों को कोई पेन्शन भी दी जाती है ? अगर हां, तो किस किस तहसील में और किन किन को ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या यह सही है कि टोंक मर्ज हुआ उस वक्त मोलवियों को तनख्वाह मिलती थी और पेंशन के रूप में अलीगढ़ तहसील में आज भी जारी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : तो सूचना के लिये ही तो प्रश्न किया है।

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने शिक्षा विभाग से, तनख्वाह चालू हुई इसके लिये पूछा, पेन्शन के लिये नहीं पूछा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : जी, पेन्शन के लिये भी पूछा है। आप प्रश्न का मुलाहिजा फरमाइये, भाग 'ग' में है।

(हंसी)

Page No.2

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका जवाब 'जी नहीं' में दिया जा चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : पेन्शन नहीं मिलती क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं मिलती।

समाज कल्याण बोर्ड

१५२. **डॉ. चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के कौन कौन सदस्य हैं ? क्या बोर्ड के पुनर्गठन में पूरे प्रान्त के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है ?

(२) बोर्ड की उप-समिति के कौन कौन सदस्य हैं।

(३) ग्रामसेविका विद्यालय, शाहपुरा, में कितनी बहिनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं ? वहां किस योग्यता का कितना स्टाफ है ? विद्यालय का वार्षिक बजट क्या है।

(४) क्या यह सच है कि बोर्ड के साधनों का दुरुपयोग होता है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। हां, रखा गया है।

(ख) बोर्ड की उप समिति के निम्न सदस्य हैं :

(१) श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया, अध्यक्षा।

(२) श्रीमती कमला बेनीवाल, उपाध्यक्षा।

(३) श्री भगवतसिंह महता, कोषाध्यक्ष।

(४) श्री संचालक, समाज कल्याण विभाग, पदेन सचिव।

(ग) राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा भिजवाई गई लगभग ४६ बहिनें ग्राम सेविका-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

शाहपुरा विद्यालय का संचालन, कस्तूरबा ग्राम सेविका विद्यालय, इन्दौर द्वारा केन्द्रीय बोर्ड की सहायता पर किया जाता है। अतः इस कार्यालय को उनके स्टाफ, बजट आदि के विषय में जानकारी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अर्जुनदास : Are these persons supposed to be Government servants ?

श्री हरिभाऊ : No.

श्री अर्जुनदास : Are they not under the control of the Government of Rajasthan ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किससे मतलब है ?

श्री अर्जुनदास : इन सारे नामों से।

श्री हरिभाउ उपाध्याय : वे नहीं हैं।

श्री अर्जुनदास : गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट नही है ? Are they not servants of Govt. of Rajasthan ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : जी नहीं, बोर्ड के सदस्य हैं।

डॉ० चन्द्रकला : बोर्ड के सदस्यों की सूची लम्बी नहीं है। पढ़कर सुना दें अच्छा हो।

Page No.3

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री भगवतसिंह मेहता, यह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट हैं, दूसरे नहीं।

श्री अर्जुनदास : Do they get any remuneration?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : मेम्बरों को सरकार की ओर से कुछ मिलता है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता है।

श्री अर्जनदास : ख्याल-व्याल से नहीं, डफिनिट हां या ना में जवाब दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ नहीं मिलता है।

श्री पी० के० चौधरी : इन मेम्बरों का प्रीवियस एक्सपीरियेन्स क्या है, समाज कल्याण के बारे में ? Have they got any experience in this subject ?

हरिभाऊ उपाध्याय : पहले से समाज कल्याण के सम्बन्ध में कुछ काम करते रहे हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन है।

श्री अर्जनदास : सुनने में नहीं आया Please repeat.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले से समाज कल्याण के सम्बन्ध में ये काम करते रहे हैं। यही ऐसे किसी सदस्य की क्वालिफिकेशन हो सकती है।

श्री अर्जनदास : पहले कब ? कहां, क्या काम किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है !

श्री अर्जनदास : आपने फिर कैसे कहा ?

श्री रामचन्द्र : क्या इनमें कोई शिड्यूल कास्ट के भी प्रतिनिधि हैं ?

श्री हरिभाऊउपाध्याय : इसके लिए आप अलग से नोटिस दे दीजिये, जवाब दे देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : Do they get any travelling or daily allowance ?

श्री पी० के० चौधरी : हो सकता है या नहीं, यह नहीं, (हंसी) 'Yes or no' कहिये (हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मिलता है।

(अट्टहास)

Please watch for that answer first.

श्री पी. के. चौधरी : सुनाई नहीं दिया Do they get any travelling or daily allowance ?

श्री अर्जनदास : We want 'yes or no'

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मिलता है।

श्री पी० के० चौधरी : Are these persons allowed by the Government to take part in politics ? Does the Government permit these persons to take part in politics ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो ऐसे बोर्ड के सदस्य होते हैं उन पर कोई पाबन्दी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : बोर्ड के सदस्यों में कोटा डिविजन का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिविज़न वाइज़ तो सदस्य नहीं रक्खे हैं, पर कोटा का है इसमें; नाम नरेन्द्र बाला देवी है।

Page No.4

श्री रामचन्द्र : हरिजन महिला को भी इसमें लिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : आदिवासी की ओर से भी लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! एक के उत्तर की प्रतीक्षा कीजिये, फिर बाद में दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के अनुसार जो नाम हैं उनमें हरिजन देवी नहीं है।

श्री अर्जुनदास : Do they all belong to the Congress Party ? 'All' I use the word.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री भगवतसिंह मेहता कांग्रेसी नहीं हैं।

श्री अर्जुनदास : Do they, all of them, belong to the Congress party

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शन्नोदेवी, (ब) मेरा जहां तक ख्याल है।

श्री चन्दनमल वैद : रिबैल कांग्रेस वुमेन हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

पटवारी व गिरदावर

१५३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पटवारी और गिरदावर कितने हैं और उनमें ट्रेन्ड और अन्ट्रेन्ड कितने हैं ?

(२) क्या ट्रेन्ड को और अन्ट्रेन्ड को एक ही वेतन मिलता है ?

(३) क्या भूतपूर्व अजमेर राज्य के पटवारी, गिरदावर व चपरासियों के व राजस्थान के इन कर्मचारियों की एक ही ग्रेड है ?

(४) डिस्ट्रिक्ट टोंक में कितने पटवारी ट्रेन्ड और अन्ट्रेन्ड हैं इनमें उनियारे के कितने हैं तथा उनका पोस्टिंग कहां कहां और कब से किया गया है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) राजस्थान में पटवारियों की संख्या ६७७२ है। इनमें ट्रेन्ड ६०६६ हैं और अन्ट्रेन्ड ६७३ हैं एवं गिरदावरों (मय ऑफिस कानूनगो व असिस्टेन्ट सदर कानूनगो) की संख्या ८०४ है। इनमें ट्रेन्ड १७३ हैं और अन्ट्रेन्ड ६३१ हैं।

(ख) जी हां, अलबत्ता पटवारियों को ट्रेनिंग प्राप्त न करने तक प्रारम्भिक वेतन ही दिया जाता है। वार्षिक तरक्की प्रशिक्षित होने पर दी जाती है।

(३) चपरासियों का एक ही ग्रेड है। अन्य का नहीं। जैसा नीचे लिखित है :

	अजमेर	राजस्थान
पटवारियों का ग्रेड	३५।१।५०	४०।१।५०।२।६०

रजिस्ट्रार कानूनगो एवं गिरदावर इन्सपेक्टर का ग्रेड

६०।२। ७५।३।१०५ ६०।४।८० का कु. प्र. ५।१२५।७।।/१४०

चपरासियों का ग्रेड—अजमेर में २५।१।४० राजस्थान में भी वही।

(४) डिस्ट्रिक्ट टोंक में २२६ पटवारी हैं। अन्ट्रेन्ड २७ हैं और २०२ ट्रेन्ड हैं। २२६ पटवारियों में १६ पटवारी उनियारा ठिकाने के आये हैं जिनमें ११ ट्रेन्ड और ८ अनट्रेन्ड हैं।

(ङ) उनका पोस्टिंग संलग्न सूची के अनुसार है।

(श्री सम्पतराम)

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र : हरिजन पटवारी कितने हैं ?

श्री सम्पतराम : It is entirely a separate question, this needs a separate question.

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जवाब नहीं दिया कि कहां कहां कब ट्रान्सफर हुआ ? इसके पार्ट(ड) का जवाब नहीं दिया कि कहां कहां कब कब पोस्टिंग किया गया ?

श्री सम्पतराम : इसकी सूची आपको मिली नहीं क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : I am double sorry for that.

श्री रामचन्द्र : मेरे प्रश्न का उत्तर तो इससे सम्बन्ध रखता है। हरिजन पटवारी कितने हैं ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है।

श्री रामचन्द्र : यह अलग सवाल तो नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इनके ट्रान्सफर जो होम से किये जाते हैं वे किन आधारों परकिये जाते हैं ?

श्री सम्पतराम : एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर किये जाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब किसी सदस्य का कहीं इलेक्शन होता है तब भी ट्रान्सफर कर दिया जाता है, तो क्या यह भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड है ?

श्री सम्पतराम : इलेक्शन से ट्रान्सफर का कोई सम्बन्ध नहीं है।

महिला कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा

१५४ डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान सचिवालय तथा जयपुर स्थित अन्य सरकारी विभागों में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं ?

(२) क्या उक्त महिलाओं को आवास की सुविधा देने के लिए सरकार कोई होस्टल बनाने का विचार रखती है ?

राजस्व-मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) इस समय राजस्थान सचिवालय में तथा जयपुर स्थित अन्य सरकारी विभागों में जो महिलायें कार्य कर रहीं हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

विभाग का नाम	महिलाओं की संख्या
राजस्थान सचिवालय	२२
जेल विभाग	४
श्रम विभाग	६
पुलिस विभाग	१४
बीमा विभाग	२
समाज कल्याण विभाग	१४
स्वास्थ्य विभाग	१०८
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	८
शिक्षा विभाग	३१२
कुल संख्या	४८६

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) इस समय आवास—गृहों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उपरोक्त महिलायें अपने अपने माता-पिता तथा पतियों के साथ रह रही हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुनदास : Does he mean 'not husband', Sir ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ये महिलायें अस्थाई तौर पर नियुक्त हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी इस समय नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये, मैं जवाब दे दूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन महिलाओं में विवाहित और अविवाहित कितनी हैं ?

(हंसी)

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नियुक्तियों के बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की ओर से आपत्ति की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसकी नियुक्ति के बारे में। किसी खास महिला के बारे में अगर हो तो जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला !

पुरुषार्थियों के आवास की व्यवस्था

१५५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार की जयपुर शहर के सिटी केम्प के पुरुषार्थियों को वहां से हटा कर कहीं अन्यत्र बसाने की कोई योजना है अथवा केम्प के स्थान पर ही उन्हें व्यवस्थित ढंग से बसा देने का विचार है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, कैम्प के पुरुषार्थियों को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर बसाने का विचार है।

डॉ० चन्द्रकला : फिर क्या सरकार इनको दूसरी जगह बसाने का विचार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, ये कुल १२२ परिवार हैं और उनको बसाने के लिए साइट पसन्द कर ली गई है और वहां उनको बसाने के लिए उनके मकान बनाने का प्रबंध किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : यह प्रबंध कब तक कार्यान्वित हो जायगा और कब तक ये शरणार्थी परिवार बसा दिया जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जमीन जहां इनको बसाना है वन विभाग की है और वन विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है और जमीन के प्राप्त होते ही वे बसा दिया जायेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि शरणार्थियों के बसाने का काम जो यह केन्द्रीय सरकार कर रही है, केवल ५८ के अन्त तक ही देखेगी और उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी इतनी नहीं होगी। तो क्या इस बीच में ही सरकार इसकी व्यवस्था कर लेगी ?

Page No.7

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह वन विभाग से लिखा-पढ़ी कब से चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी दिन हो गए और अब ट्रांसफर होने ही वाला है ।

श्री अर्जुनदास : What time you-are likely to take ?

श्री दामोदरलाल व्यास : थोड़ा ही समय लगेगा ।

श्री अर्जुनदास : That is what I am asking. How long is it to take; Whether 10 years or 20 years ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह टाइम निश्चित करना बहुत मुश्किल है । फिर भी महीने दो महीने में हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बेनाराम गहलोत ।

बीघोड़ी में दी गई छूट

१५६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६-५७ में पाली जिले के कौन-कौन से गांवों में रबी की फसल में रोली, दावा व वर्षा से नुकसान हुआ और कितना कितना ?

(ख) उक्त गांवों की बीघोड़ी में कितनी कितनी छूट दी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(ख) उपरोक्त सूची में यह सूचना उपलब्ध है ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बेनाराम गहलोत : सूची नहीं मिली है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने लेने का प्रयत्न नहीं किया होगा ?

श्री बेनाराम गहलोत : मैं इसके लिए गया जरूर था लेकिन सूची नहीं मिली ।

श्री अर्जुनदास : आपने भेजने का प्रयत्न ही नहीं किया है ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हेतु खोले गये छात्रावास

१५७. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शिड्यूल ट्राइब और शिल्ड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए जयपुर डिवीजन में कहां-कहां छात्रावास किस आधार पर खोले गये हैं ?

(ख) क्या खोलते समय यह भी ध्यान में रखा गया है कि किस तहसील के अधिक छात्र छात्रावास से फायदा उठा सकें ?

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए छात्रावास खोलने से पूर्व जांच कराई गई थी ?

(घ) यदि हां, तो किससे और उनकी प्रत्येक तहसील के लिये क्या रिपोर्ट है ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

(च) क्या तहसील कोटपुतली में इस बारे में प्रार्थना-पत्र आया था कि जिन स्थानों

Page No.8

(श्री रामकरणसिंह)

में छात्रावास खोले जा रहे हैं उससे अधिक छात्र कोटपुतली में होने के कारण वहां खोले जावें ?

(छ) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई और क्या रिपोर्ट आई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए जयपुर डिविजन में निम्न लिखित स्थानों पर छात्रावास खोले गये हैं:—

शिड्यूल्ड ट्राइब के छात्रों के लिए :

१. जयपुर

२. राजगढ़

३. सीकर

शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए :

१. जयपुर

२. अलवर

छात्रावास निम्नलिखित आधारों पर खोले गये हैं:—

१. आवश्यकता की तीव्रता।

२. विशिष्ट जाति की जनसंख्या।

३. अन्य साधन व सुविधाओं का उपलब्ध होना।

४. छात्रावास खोले जाने के व आसपास के स्थान में विशिष्ट जाति में शिक्षा का प्रसार।

५. छात्रावास की निर्धारित संख्या में छात्रों का उपलब्ध होना।

६. छात्रों के पढ़ने के लिए स्कूल का होना।

(ख) छात्रावास खोलने का प्रश्न किसी एक विशेष तहसील मात्र से ही सम्बन्धित नहीं है क्योंकि छात्रावास में तो आसपास की अन्य तहसीलों से आकर छात्र रहते हैं और दूसरे प्रत्येक छात्रावास की अधिकतम छात्र संख्या पूर्व निश्चित होती है। अतः ऐसा ख्याल रखने का प्रश्न ही नहीं उठता कि किस तहसील के अधिक छात्र फायदा उठा सकते हैं। हां, अलबत्ता प्रश्न 'क' के जवाब में कहे गये सभी आधारों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जैसा कि प्रश्न 'ख' के जवाब में कहा जा चुका है कि यह प्रश्न किसी एक तहसील से सम्बन्धित नहीं है, अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। अलबत्ता प्रश्न 'क' के जवाब में कहे गये आधारों की जानकारी एकत्रित करने हेतु जांच कराई गई थी।

(घ) इसकी जांच कल्याण निरीक्षक जिला सीकर व झुंझुनू द्वारा कराई गई थी। उन्होंने जोरदार सिफारिश करते हुए रिपोर्ट की कि आवश्यकता को देखते हुए छात्रावास के लिए सीकर ही सब से अधिक उपयुक्त स्थान है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) हां, कोटपुतली में छात्रावास खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-१०-५७ को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जब कि सीकर में छात्रावास इससे पूर्व ही खोल दिया गया था।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(छ) जैसा कि प्रश्न 'च' के जवाब में कहा जा चुका है प्रार्थना-पत्र देर से आया था, अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदनसिंह दांता : जो प्रार्थनापत्र आये क्या वे अब नहीं लिये जायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इन पर अगले वर्ष विचार किया जा सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : विचार किया जा सकता है या यह छात्रावास खोलेंगे ही ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खोलने के लिए तो कई चीजें देखी जाती हैं लेकिन इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छात्रावासों के खोलने के आधारों में यह अन्य साधन कौन कौन से हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं वे तो बता दीं और अन्य साधनों में फुटकर बातें आती हैं।

एक माननीय सदस्य : छात्रावासों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको खाने के लिए जौ की रोटी मिलती है या गेहूं की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह नहीं मालूम है। बहरहाल उनको रोटी ही मिलती है।

एक माननीय सदस्य : रोटी जौ-बाजरी की मिलती है या गेहूं की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

विकास खंड

१५८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर के आहोर ब्लॉक की स्थापना कब हुई और उसने अब तक क्या क्या कार्य किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त विकास खंड अधिकारी द्वारा गुड़ा बालोता गांव की जनता को कतई सहयोग नहीं दिया जा रहा है जब कि वहां की जनता विकास के कार्य के लिए काफी धनराशि खर्च करने को तैयार है ?

(३) क्या यह सत्य है कि विकास का जो कार्य हुआ है वहां के हिसाब नहीं लिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-विकास योजना मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) आहोर विकास खण्ड २ अक्टूबर, सन् १९५४ को खोला गया था। अब तक जो मुख्य मुख्य कार्य हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं इसके विपरीत जहां तक संभव है गुड़ा बालोता गांव के लोगों द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उचित उपयोग किया जा रहा है और किया जायेगा।

गुड़ा बालोता गांव में अब तक जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। जो कार्य पूरे हो गये हैं उनके हिसाब से लिए गए हैं और जिनका काम चल रहा है उनका हिसाब काम समाप्त होने पर ले लिया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह सेकिन्ड लिस्ट में जो कालम ६ है "कन्सट्रक्शन ऑफ ए हॉस्पीटल बिल्डिंग" इसके लिए कितना रुपया दिया था ?

श्री सम्पतराम : यह टोटल तो मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्यों नहीं है ? मैंने पूछा था कि कौन कौन से कार्य किए गए, तो इसमें यह भी आ जाता है कि उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री सम्पतराम : इसके लिए आप अलग से नोटिस दीजिए। आपने पूछा था कि उक्त विकास खण्ड अधिकारी द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया, तो मैंने कहा कि सरकार की तरफ से सहयोग दिया गया है। आपका प्रश्न यह नहीं है, कितना सहयोग दिया गया है।

तकाबी वितरण

१५६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन किसानों को भी तकाबी मिल सकती है जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अपितु केवल सैकड़ों बीघा जमीन है ?

(ख) क्या तकाबी रूल्स में किसानों की सुविधा के लिये संशोधन करने के विषय में सरकार विचार कर रही है ?

(ग) क्या तकाबी उन लोगों को भी दी जाती है जो सम्पन्न हैं और जो व्याज से रुपया कमाते हैं ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम):

(क) जी हां। तकाबी नियम १६५० की धारा १७ व १६ के अनुसार तकाबी मिल सकती है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तकाबी समय पर नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ? जिनको चैत्र में तकाबी की आवश्यकता होती है आसोज में मिलती है।

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है। तकाबी आवश्यकता के समय ही दी जाती है। आप कोई स्पेसिफिक बात बतायें तो उसकी जानकारी दी जा सकती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : समय पर नहीं दी जाती !

श्री सम्पतराम : मैं कहता हूं कि यह गलत बात है, तकाबी हमेशा समय पर ही दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इन तहसीलों में तकाबी कमेटी मुकर्रर नहीं है !

श्री सम्पतराम : सब जगह है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि दांता से तहसीलदार का इसीलिए ट्रांसफर हुआ है कि तकाबी दो-दो और तीन-तीन साल तक नहीं दी गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह।

जिलों का पुनर्निर्माण

१६०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.11

(श्री मोहरसिंह)

(क) क्या सरकार कुछ जिलों को तोड़ना चाहती है ?

(ख) अगर हां, तो किन आधारों पर जिलों का पुनर्निर्माण किया जावेगा ?

(ग) क्या ऐसा करते समय सरकार डिविजनों की सीमाओं में भी फेर-बदल करने का इरादा रखती है ?

(घ) कुल कितने जिले तोड़ने का सरकार का इरादा है ?

(ङ) क्या इस सिलसिले में चूरू जिले के तोड़ने का भी इरादा है ?

(च) यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्वमंत्री, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) (क) नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता । (ग) प्रश्न नहीं उठता। (घ), (ङ), (च), व (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्दनमल वैद : Has a Committee been appointed for reorganisation of the Districts ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir.

श्री मोहरसिंह : क्या उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That Committee has not yet submitted its report.

श्री चन्दनमल वैद : When was this Committee appointed ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This was appointed in 1955.

श्री चन्दनमल वैद : What is the reason of delay in submitting the report ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Committee has to examine so many facts and so much material has to be collected and that takes quite a good deal of time.

श्री चन्दनमल वैद : Has the Government reminded the Committee to submit its report at an early date.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. We have already asked them to submit the report early.

रावराजा श्री सरदारसिंह : सेवरल टाइम्स रिमाइन्डर दे दिये और फिर भी उसने काम नही किया तो उस कमेटी को डिस्बेन्ड करके और नई क्यों नहीं कर दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिमाइन्डर देने के बाद भी इनकम्प्लीट रिपोर्ट और इनकम्प्लीट डेटा तो नहीं दे सकते। मेटीरियल कलेक्ट करने के बाद सारी बातों को एग्ज़ामिन करते हैं और तभी तो रिपोर्ट दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि सीकर जिले को तोड़ने का निर्णय ले लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो बिल्कुल ही गलत है।

Page No.12

श्री मदनसिंह दांता : Thank you.

श्री जनार्दनराय नागर : ऐसे महत्वपूर्ण काम, मेटर्स ऑफ रेफरेन्स में टाइम लिमिट भी होती है अतः मैं जानना चाहूंगा कि वह टाइम लिमिट क्या है ?

श्री पी० के० चौधरी : Who were the members of the Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितना टाइम था, यह मेरी जानकारी में नहीं है; लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ समय के लिए इस कमेटी का काम रोक दिया गया था, क्योंकि स्टेट रिऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी के फैसले होने को थे और अजमेर और आबू के आने की बात थी। उसके बाद में कमेटी को हिदायत भेज दी गई है कि एक्सपीडाइट करके रिपोर्ट जल्दी सबमिट करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टाइम निश्चित कर दिया या नहीं ?

श्री पी० के० चौधरी : Hon. Speaker, Sir, there were two questions to the Hon. member. I have asked about the names of the members of the Committee and the other Hon. member has asked for the terms of reference These are relevant questions and he should reply.

श्री अध्यक्ष : Be specific about the reply

श्री दामोदरलाल व्यास : The members of the Committee are : Chief Secretary (Chairman), Chairman Board of Revenue, Addl. Chief Secretary, Home Secretary, Finance secretary and Deputy secretary Planning. the terms of reference are to examine the question of reorganisation of districts, subdivisions, tehsils, etc

कस्टम रिबेट

१६१. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला बाड़मेर में मालानी के जागीरदारों को कस्टम्स रिबेट दिया जाता था ?

(ख) क्या सन् १९४४ से १९४९ तक की बकाया रकम जो करीब २४,००० रु० होती है, उसकी लिस्ट १९५३ में पेश की गई ?

(ग) क्या यह बकाया अभी तक मालानी के जागीरदारों को नहीं दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय लिया है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नहीं दी गई। कारण इस प्रकार है:—

जो लिस्टें सन् १९५३ में पेश की गई थीं वे सन् ४४ से ४९ तक की हैं और हर साल की तरह ३०-९ से ये लिस्टें अगले वर्ष के ३१-३ तक पेश की जानी चाहिए थीं। लेकिन ये लिस्टें पुरानी हैं और देर से

(श्री सम्पतराम)

पेश हुई हैं, उनकी विभागीय जांच की जा रही है।

(घ) मामला अभी विचाराधीन है।

श्री अनोपसिंह : यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री सम्पतराम : मैंने अभी सवाल के उत्तर में बताया कि जो लिस्टें जल्दी पेश करनी चाहिए थीं वे पेश हुई ६ साल के बाद। उनको एग्ज़ामिन करना बहुत जरूरी है। जब तक एग्ज़ामिन डिटेल में न हो जाये तब तक पेमेन्ट होना सम्भव नहीं है।

श्री अनोपसिंह : यह लिस्ट कब आपको मिली है ?

श्री सम्पतराम : सन् १६५३ में पेश की हैं।

श्री अनोपसिंह : ५३ के बाद भी ५ साल हो गये अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री सम्पतराम : इसके बाद कुछ एडीशनल क्वेरीज़ खड़ी हुई जिनका जवाब लेना भी आवश्यक था। ऐसी हालत में देरी होना स्वाभाविक था।

श्री अनोपसिंह : आपका अन्दाज क्या है कि कब तक वह हो सकेगा ?

श्री सम्पतराम : मैं टाइम लिमिट नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यह काफी जटिल मामला है।

श्री अर्जुनदास : 'जल्दी' का मतलब क्या है ?

डूंगर कॉलेज बीकानेर

१६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डूंगर कॉलेज की रजत-जयन्ती पर सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सरकार ने ५०००) रु० की आर्थिक सहायता दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसी प्रकार से क्या रजत-जयन्ती के समारोह के अवसर पर अलवर कॉलेज को भी सहायता दी गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, अलवर कॉलेज को भी दी गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दी गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५०००)रु०।

श्री गिरधारीलाल : उस रजत-जयन्ती समारोह में कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह हमें मालूम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आपने कोशिश की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्रश्न नहीं उठता है कि कितना खर्च हुआ। प्रश्न यह पूछा गया था कि कितना दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल : उसके ऊपर ही मैं सप्लीमेन्ट्री पूछ रहा हूं।

Page No.14

श्री मुरलीधर व्यास : यह सप्लीमेन्ट्री उसी सवाल का है, आपको पता होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल : उस सिल्वर जुबली में कुल कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह कहते हैं कि मालूम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी राशि आप से मांगी गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राशि ज्यादा मांगी गई थी लेकिन ५ हजार मन्जूर की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी मांगी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो रिलेवेन्ट कवेश्चन है।

श्री गिरधारीलाल : उसमें कितना खर्चा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो दफ़ा पूछ लिया कि कितना खर्चा हुआ और उनको मालूम नहीं है। उनकी जानकारी में इतना ही है कि ५ हजार की सहायता दी गई।

श्री गिरधारीलाल : क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि वहां पर ५ हजार नहीं केवल २ हजार खर्चा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

१६३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कितने ऐसे कार्य-कर्त्ता हैं जो मंत्री, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लड़के हैं या अन्य रिश्तेदार हैं ?

(ख) ये कार्य-कर्त्ता कौन-कौन हैं और इनकी क्या—क्या योग्यता है ?

(ग) इनकी नियुक्ति कब—कब किस-किस पद पर की गई है ?

वित्तमंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) एक।

(ख) उक्त कार्य-कर्त्ता मंत्री का लड़का है। इनकी योग्यता हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है और तेल—घाणी निरीक्षक का प्रशिक्षण ६ मास का प्राप्त किया है जो कि अ० भा० बोर्ड से मान्य है।

(ग) इनकी नियुक्ति मास अगस्त १९५७ में की गई तेल घाणी निरीक्षक के पद पर।

श्री सरदारसिंह : किन मंत्री का लड़का है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मन्त्री का लड़का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको क्या वेतन मिलता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १२५) रु० मासिक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या तेल घाणी प्रशिक्षण में शिक्षित खादी—ग्रामोद्योग के लिए आवश्यक शिक्षा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, ग्रामोद्योग के लिए ।

अकाल सहायता

१६४ **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मार्च सन् १९५५ में चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के सांखू गांव के गोपालराम खाती से अकाल सहायता कार्य के सिलसिले में सरकार ने कुछ पानी की टंकिया खरीदी थीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी कीमत में अभी तक कुछ बकाया है ?

(ग) यदि है, तो कितना और वह रकम उसे कब तक दे दी जायगी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (क) हां, यह सही है ।

(ख) हां, रकम कुछ देना बाकी है ।

(ग) १०८) रु० १० आ० बकाया निकलते हैं । रकम जल्दी दी जाने की कार्यवाही प्रगति पर वित्त विभाग में है । वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होते ही उसका चुकारा किया जावेगा ।

श्री मोहरसिंह : कितने दिनों में दे दिया जायेगा ?

श्री सम्पतराम : तारीख निश्चित नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह फाइनेन्स डिपर्टमेंट में भेजा गया है । वहां से आने के बाद पेमेन्ट हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : This is no excuse. It is about three years past. The Finance Department is also part of the Government.

श्री मोहरसिंह : ४ वर्ष हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

विभागीय गेरेजेज एवं डिस्ट्रिक्ट कार्स तथा अन्य वाहन

१६५ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Cheif Minister be pleased to state:-

(a) How many cars, jeeps etc. the Government have in the departmental Garages or District Pools ?

(b) Is it correct that the government has added to its pool this year two new luxury cars No. R. J. L 4901 and RJL 4903 of Chrysler type ? If so, what is the purchase value of these cars and from which dealers have they been purchased ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में): There are 1162 vehicles including Cars, Jeeps etc. in the Departmental Garages and in various District Pools.

Two Cars (one Dodge and the other Studebaker) have been purchased during March, 1957. The details of its value and the dealer from whom they were purchased are as under;-

1. (i) Dodge Car No. RJL 4901 Rs 20, 353/ 13/6 purchased from National Motors, Jodhpur.

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास)

2. Studebaker Car No RJL 2903-Rs. 19960/14/- purchased from M/s Rajputana Automobiles, Ajmer.

श्री पी० के० चौधरी : और भी नई कार्स खरीदी गई हैं क्या इस साल ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस साल ?

श्री पी० के० चौधरी : This year 1957-58.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई।

कन्या पाठशाला सांचोर

१९६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर के सांचोर गर्ल्स स्कूल का मकान वहां के तहसीलदार ने किराये पर लिया था और उसकी किराया चिट्ठी लिखी थी ? यदि हां, तो कितने रुपये माहवार पर और कब लिया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उसके किराये का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जिला जालौर के सांचोर गर्ल्स स्कूल का मकान वहां के तहसीलदार ने किराये पर नहीं लिया था और उसकी किराया चिट्ठी भी नहीं लिखी थी। तहसील सन् १९४९ में कायम हुई है जब कि गर्ल्स स्कूल वहां पर पहले से ही चल रही थी।

(२) जब कि मकान तहसीलदार द्वारा किराये पर नहीं लिया गया तो पेमेन्ट करने का सवाल ही कहां से आ सकता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : वहां के हाकिम ने लिया था, उस समय फौजराज भी वहां पर हाकिम थे।

श्री सम्पतराम : यहां पर हाकिम का सवाल नहीं है, आपने तहसीलदार का सवाल पूछा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उस वक्त वे हाकिम ही कहलाते थे।

श्री संपतराम : क्वेश्चन साफ था कि तहसीलदार ने किराया चिट्ठी लिखी और पेमेन्ट नहीं हुआ तो तहसीलदार के बारे में जवाब दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान कॉलेज होस्टल

१९७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Education Minister be pleased to state:—

(i) What is the monthly rent being paid for the 'Kesar Garh' building, Jaipur, used for the purpose of Rajasthan College Hostel ?

(ii) What is the present number of hostellers ?

(iii) Is it a fact that the monthly rent paid previously by the University of Rajputana was much less than what is being paid by the Government now ?

(iv) Is it also a fact that the portion now occupied is less than

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the. portion occupied by the University ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) १२६० रु० माहवार ।

(२) ३०.

३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it a fact that the number is 12 ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, thirty.

श्री चन्दनमल वैद : What is the accommodation available there ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The accommodations available for hostellers ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : How much accommodation ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : For 45 students.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So we are paying Rs. 1260/—for 45 hostellers ?

डॉ० चन्द्रकला : Only 30 reside.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : For 30, and we charge Rs. 6/- P. M. from a hosteller as room rent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rs. 1260/-for 30 students, it comes to Rs. 40- to Rs. 45/- per hosteller.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Does the Government not feel that it is just extravagance to have such a costly building ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I feel that the building is not suitable for hostel. We are on the look out for another building if we can find out.

श्री पी० के० चौधरी : When it is not suitable for the hostel, why was it taken ?

श्री अध्यक्ष : He said that he will look into it. Next.

जयपुर में थड़ियों के बदले पक्की दुकानों का निर्माण

१६८. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Rehabilitation Minister be pleased to state :

(a) What steps has the Government taken for building permanent shops at some suitable sites for the refugee stall-holders occupying the footpaths of Jauhari Bazar and other places in the city ?

(b) Has the Government received any grant or loan or subsidy from the Central Government for the purpose ? If so, how this fund has been utilised so for ?

पुनर्स्थापन मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (a) A programme was sanctioned for the construction of 450 shops for Thari holders occupying

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the stalls in various parts of the city. Out of this, 357 shops have already been constructed and allotted to Thari-holders. The construction of 93 shops is pending for want of acquisition of the site between the Prccessional Gate and the Ajmeri Gate. The acquisition proceedinge are almost over and it is hoped possession of the land will be given to the Department soon. The construction work will be undertaken soon after the land is handed over. A scheme for the construction of another 400 shops in Jaipur City has been sent to the Government of India which is still under their consideration.

(b) Funds for the construction of 450 shops in the shape of loans were received from the Government of India, out of which, as already explained in (a) above, 357 shops have already been constructed and 93 shops will be constructed as soon as the site is made available. Funds for the development of the site where the remaining 93 shops will be constructed have also been received from the Government of India during the current financial year.

श्री पी. के. चौधरी : What is the total amount received, its value ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Pardon ?

श्री पी. के. चौधरी : Funds, I mean the value of the funds, you have mentioned, I want the figure.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is perhaps Rs. 4,30,000/-, Rs. 1,30,000/-, I am sorry.

श्री पी. के. चौधरी : For 93 Shops ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : And for others ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You mean 357 already constructed ? We have already spent, that figure is not available with me at present.

इन्सपेक्टरों व नाकेदारों का बकाया देय

१६६. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या आबकारी व कर मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के कई इन्सपेक्टरों व नाकेदारों को जो देय (एरियर्स) १६५० से बाकी हैं वे नहीं दिये गये हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे इन्सपेक्टरों और नाकेदारों को नौकरी से अलग तो कर दिया गया पर उनकी तनख्वाहों की जो बकाया (एरियर्स) हैं वे नहीं चुकाई गईं ?

(ग) ऐसे कर्मचारियों की, जो आज सरकारी नौकरी में नहीं हैं व जिनको तनख्वाहें नहीं दी गईं, संख्या क्या है ?

उप मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : यदि आपको बकाया एरियर देना है तो कब तक दिये जाने की मंशा है ?

श्री सम्पतराम : The question was raised previously also and was duly replied. This matter was decided in 1956. So many particulars were to be enquired into from the servants concerned. It was not so easy to dispose it of so early.

श्री अनोपसिंह : आपके अन्दाज से कब तक हो सकता है ? ऐसे आदमी भी हैं जो नौकरी में अब नहीं हैं। जिनकी तनख्वाह बंद है उनको एरियर देना जरूरी है ?

श्री सम्पतराम : यह बहुत कॉम्प्लीकेटेड इश्यु है, एक महीने की तनख्वाह निकालनी है। तनख्वाह बढ़ती रहती है, पर्टिकुलर ग्रेड दिये गये हैं। किसको कितना मिल गया और कितना बकाया है, यह सब देखना होगा। जैसा मैंने पहले अर्ज किया ३०० आदमियों में से १००–१२५ के कर दिये गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : इनकी कॉम्प्लीकेशन्स की वजह से वे लोग दुःख क्यों पावें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

१७०. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) क्या शिक्षा मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आगामी वर्ष में कितनी माध्यमिक पाठशालाओं को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा ?

(ख) उक्त उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में से धौलपुर उप जिले में कितनी खोली जायेंगी यदि नही, तो क्यों ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) आगामी वर्ष में १० मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तित करने का सरकार का विचार है।

(ख) यह अभी तय नहीं हुआ है इसलिये इसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

मन्दिरों को दी जानेवाली सहायता

१७१: **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या देवस्थान मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(१) सीकर जिले में भूतपूर्व ठिकानों से कितने मन्दिरों को भोग के लिये क्या क्या आर्थिक सहायता मिलती थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त सहायता अब भी नियमित रूप से उपरोक्त सभी मन्दिरों को दी जा रही है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम १६५३ की धारा २८ (ए) व इस अधिनियम के अन्तर्गत बनी हुई नियमावली के नियम ३६ के अनुसार सीकर जिले के जिन जिन ठिकानों के १६६ मन्दिरों की सूची प्राप्त हुई वह सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त सूची में से १५१ मन्दिरों की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए जिनमें से ८३ मन्दिरों को भोगराग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सूची सदन की मेज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर रख दी गई है। ३२ नियमानुसार खारिज की जा चुकी हैं। शेष में तहकीकात चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जगदीशप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची हमें नहीं मिली है। इस संबंध में निश्चित चीज होनी चाहिये कि सूची समय पर हमें मिल जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची ऑफिस से लेनी चाहिये, हमने भेज दी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कभी कोई चपरासी आकर दे जाता है और कभी नहीं देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी में जाकर लानी चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बाकी मन्दिरों के लिये कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सब का जवाब दे चुका हूं, जिनके लिये सैंक्शन हो चुकी है, जिनकी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट हो चुकी हैं और जो पेन्डिंग हैं उनका जवाब दे चुका हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो बाकी हैं उनके लिये कब तक सैंक्शन होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी जांच हो रही है, जांच होने के बाद होगा।

घटवाल का बकाया वेतन

१७२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम ढीघरी, तहसील पीपलदा के रामलाल आत्मज फूंदीलाल ब्राह्मण ने ढीघरी के घाट पर घटवाल के पद पर कार्य किया था ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रामलाल ब्राह्मण की २० रु० प्रति मास के हिसाब से १८ माह २० दिन का वेतन राजस्थान सरकार में बकाया है ?

(ग) यदि हां, तो यह रुपये अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी हां।

(ख) यह सही है कि वेतन बकाया है। कितने समय का है इसकी जांच हो रही है।

(ग) अब तक वेतन न मिलने का मुख्य कारण यही है कि ठिकाने से चार्ज के वक्त इस सम्बन्ध का मुकम्मिल रिकार्ड नहीं मिला। श्री रामलालजी के पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि कितने समय के लिये कितने रुपये प्रतिमास पर नियुक्त किये गये थे। अब उनको इनके कथनानुसार इस अर्से की एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भांति बीस रुपये माहवार से वेतन दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामनारायण वर्मा : कब तक मिल जायगा वेतन ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जांच हो रही है कि कितने रुपये बाकी हैं। जांच हो जायगी तब मिल जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जांच कब से हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम का पता नहीं। ठिकाना रिज़्यूम हुआ उस समय रेकॉर्ड नहीं मिला और न कर्मचारी के खुद के पास कोई रेकार्ड है इसलिये जांच करवाई जा रही है इस बीच में उनको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मानकर २० रु० माहवार देने की कार्यवाही की जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रेकार्ड नहीं मिला तो कैसे २० रु० मुकर्रर कर दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बतलाया कि उसको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मान कर मुकर्रर कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : और कितने ऐसे ठिकानों के कर्मचारी हैं जिनको इस तरह से मान कर मुकर्रर किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और ठिकानों की बात पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दीजिये, आपको उत्तर दूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो अपने ही ठिकाने की बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

पुरुषार्थियों के लिए स्थायी बाजार का निर्माण

१७३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर शहर के समस्त बाजारों से थड़ियों को हटाकर गनगोरी बाजार स्थित चौगान में एक स्थायी बाजार बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या नेहरू बाजार की योजना भी इसी दिशा में एक कदम है ? यदि हां, तो फिर उसका निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

(३) नगर विकास मंडल, जयपुर ने इस विषय में अभी तक क्या क्या किया है ? मंडल द्वारा भविष्य में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में बाजार आदि बनने के स्थानों पर इन थड़ी वालों को स्थान पहिले देने की योजना कहां कहां के लिये विचाराधीन है ?

(४) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन थड़ीवालों पर बकाया किराये की रकम बढ़ती जा रही है और जयपुर नगरपालिका उसे वसूल करने में असमर्थ रही है। यदि हां, तो क्या सरकार उसे माफ करवाने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (पुनर्वास मंत्री) : (१) जयपुर शहर के बाजारों से थड़ियों को हटा कर एक स्थायी बाजार बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है लेकिन साइट के बारे में अभी तक पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है। गनगोरी बाजार स्थित चौगान प्रस्तावित स्थानों में से एक था लेकिन उसके बारे में अभी तक पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है।

(२) बाजारों की शोभा बढ़ाने व पुराने व्यापारियों की असुविधा को दूर करने के लिये थड़ियों को हटाये जाने की व थड़ी वालों को पक्की दुकानें दूसरी जगह देने की कार्यवाही चल रही है। अब तक ३५७ दुकानें बना कर ऐसी थड़ियों को हटाया गया है। ६३ पक्की दुकानें बनाने की भारत सरकार की स्वीकृति आ चुकी है और ये दुकानें जल्दी बनाई जायेंगी। इसके अलावा ४०० और पक्की दुकानें बनाने की योजना भारत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सरकार को भेजी गई है जो उनके विचाराधीन है।

(३) ऊपर कही गई ९३ दुकानें जिनकी स्वीकृति आ चुकी है बापू बाजार की एक्स-टेन्शन स्कीम में बनाई जायेंगी। अभी तक इस बाजार का और कोई नाम नहीं रखा गया है। इन दुकानों का निर्माण-कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि जिस भूमि पर ये दुकानें बनेंगी उसको एक्वायर करने की कार्यवाही चल रही थी जो करीब—करीब पूरी हो गई है। कब्जा मिलते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

(४) नगर-विकास-मंडल का इस समस्या से सीधा सम्बन्ध नहीं हैं। मंडल ने जो योजनाएं तैयार की हैं उनमें दुकानों की जगह को नीलाम किया जाता है जिसमें कोई भी बोली लगा सकता है। थड़ी वालों के लिये खास तौर पर कोई स्कीम नहीं बनाई गई।

(५) हां, किराये की रकम बढ़ती जा रही है। विस्थापितों की आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण नगर पालिका को किराये की वसूली में कठिनाई हो रही है। किराया माफ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार को यह योजना कब भेजी?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ४०० दुकानों की योजना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरा ख्याल है; १९५३, १९५४, I am sorry १९५६ में भेजी गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद उसमें क्या दिक्कत आ रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, यह नहीं कह सकता कि क्या दिक्कत उनके सामने है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में और आंकड़े मांगे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार वक्त वक्त पर जानकारी प्राप्त करती है, हम उन्हें जानकारी दे देते हैं, आखिरी फैसला तो भारत सरकार को करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी यह मामला किस कारण से रुका हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अपनी तरफ से सब बता दिया है। क्या यह सही है कि भूमि पर जो बसने वाले हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे हटने को तैयार नहीं हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमि पर जो बसने वाले हैं, उनके मुआवजे की बात-चीत तय हो चुकी है और वे वहां से हटने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको कहां बसाया जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको जमीन बता दी गई है; वह जमीन कहां है, वह मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

भारतीय सेवा-स्तर। (आई. ए. एस.) अधिकारी

१७४. श्री भीमसेन (लूनकरनसर): क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

सन् १९५१–५२ में आई. ए. एस., भारतीय सेवा-स्तर के ऑफिसर्स की कुल कितनी संख्या थी एवं १९५७–५८ में कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में): राजस्थान में भारतीय सेवा-स्तर ऑफिसर्स आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की कुल संख्या १९५१–५२ में ३३ थी एवं १९५७–५८ में १५० है।

(अनुमोदित भाषण प्राप्त नहीं हुआ)

सुपरवाइज़र, बीमा विभाग

१७५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) बीमा विभाग के सुपरवाइज़र का वेतन क्रम क्या है ?

(ख) अस्थाई सुपरवाईज़र को स्थाई करने का अधिकार किस श्रेणी के अधिकारी को है ?

(ग) सुपरवाइज़र की परीक्षा में भाग लेने का अधिकार किन किन कर्मचारियों को है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) बीमा विभाग में सुपरवाइज़र्स का वेतन क्रम १५०–१०–२२० ई. बी. १०–२५० ई. बी. १२½–३०० है।

(ख) अस्थाई सुपरवाइज़र को स्थाई करने का अधिकार हैड ऑफ दी ऑफिस को है। चूंकि सुपरवाइज़र्स की आसामियां मिनिस्ट्रीरियल कैडर की हैं और मिनिस्ट्रीरियल कैडर में स्थाई करने का अधिकार हैड ऑफ ऑफिस को है।

(ग) ऐसी कोई परीक्षा लिये जाने का निर्देश नहीं है। अतः ऐसी परीक्षा में कौन से कर्मचारी भाग ले सकते हैं, इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हालांकि सरकार के निर्देशानुसार वे कर्मचारी जो कि स्थानापन्न सुपरवाईजर का कार्य कर रहे हैं उनको स्थाई विभागीय टेस्ट लेने के बाद ही किया जा सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: क्या यह सही है कि यह जो ग्रेड है उससे कम की ग्रेड के अस्थाई व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्थाई किया जाता है, जब कि इस ग्रेड के व्यक्ति को स्थाई करने का अधिकार हैड ऑफ ऑफिस को दिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मैं समझा नहीं।

श्री जगदीशप्रशाद माथुर: यह १५०–१०–२२० ई. बी. १०–२५० ई. बी. १२½ ३०० की ग्रेड है, इसके व्यक्ति को स्थाई करने का अधिकार हैड ऑफ ऑफिस को है और जो इससे कम की ग्रेड ८०–२२० सुपरवाइज़र की है, उसके व्यक्ति को स्थाई पब्लिक सर्विस कमीशन करता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: जो नियम है, वह मैंने आपको बताया। वैसे स्थानापन्न नियुक्ति का जो नियम है वह मैं आपके सामने पढ़े देता हूं इससे स्थानापन्न सम्बन्धी नियम बने हुए हैं: १. ग्रेज्युएट जिन्होंने वरिष्ठ लेखक के पद पर कम से कम ३ वर्ष कार्य किया हो।

२. वर्तमान में काम करने वाले सेक्शन

(श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष)

इन्चार्ज व इन्सपेक्टर जो ग्रेजुएट नहीं हैं परन्तु जिन्होंने कम से कम ३ वर्ष तक वरिष्ठ लेखक के पद पर कार्य किया है तथा जिनका सेवा-काल लेखक के पद पर ७ वर्ष या इससे अधिक का हो वे ही नियुक्त किए जा सकेंगे।

नोटः—भविष्य में इन पदों पर नियुक्तियां उन्हीं व्यक्तियों की की जावेंगी जो कि शर्त १ को पूरा करते हों।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसे पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार के हैं, वे उनको भेजे जाते हैं, जो हैड ऑफ दी ऑफिस के अधिकार के हैं, वे वे करते हैं। अस्थाई व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का विधान नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन्हें टेस्ट में बिठाया गया है वे अस्थाई रूप से काम करते थे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बाकी लोगों को चान्स क्यों नहीं दिया गया, दूसरे डिपार्टमेन्ट के लोगों को चान्स क्यों नहीं दिया गया?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र : इन सुपरवाइज़र महोदय की नियुक्ति कब की गई?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिनकी नियुक्ति के लिए प्रश्न है, उनकी नियुक्ति कब की गई, यह आपका प्रश्न है।

(घंटी)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि जिन लोगों को स्थाई करना था, उनको स्पेशल रूप से डाइरेक्टर ने ट्रेनिंग दी और बाकी को रिप्रजेन्टेशन देने का चान्स नहीं दिया गया?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सही नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आप जांच करवायेंगे कि कोई इर्रेगुलेरिटी तो नहीं हुई है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी शिकायत है तो जांच करवा देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरी शिकायत है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट, श्री बहादुरसिंह।

जागीरी कर्मचारी

१७६. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जयपुर की पुनर्ग्रहण की गई जागीरों के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको राज्यसेवा में ले लिया गया है, किन्तु उनको जागीर खालसा होने की तारीख से नियुक्त (प्रोविज़नल अपोइन्टमेन्ट) की तारीख तक का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है?

(ख) वेतन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं और भविष्य में कब तक देने का विचार है?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पत राम) : (क) जिला जयपुर की पुनर्ग्रहण की गई जागीरों के २३३ कर्मचारी राज्य सेवा में ले लिये गये हैं। जागीर खालसा होने की तारीख से नियुक्त प्रोवीज़नल अपोइन्टमेन्ट की तारीख तक का वेतन पाने के बारे में कोई अभियोग नहीं है।

(ख) दी राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स एब्ज़ोर्बेशन ऑफ जागीर (एम्प्लॉईज़) रूल्स, १६५४ के नियम ६ (डी) जो नीचे अंकित है, के अनुसार वेतन नहीं दिया जायेगा :

"(h) If he is subsequently absorbed, the whole of the period of notice of discharge of such part of it duriug which he was not required to serve will be treated as duty and the remainder as leave without pay not amounting to interruption of sevice."

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ये जब नौकर रखे गये थे उस वक्त उनके दो–दो महीने रखने के बाद में सरप्लस डिक्लेअर करके निकाल दिया गया था और उस पीरियड की तन्ख्वाह नहीं दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : यह अलग से सवाल है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नौकरी दी तो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए ?

श्री बहादुरसिंह : इसमें प्रश्न है कि जागीर खालसा के आदमियों को नियुक्त तो कर लिया लेकिन उनको उस पीरियड का वेतन नहीं मिला है और उसकी वजह से पेंशन के मामले में दिक्कत आ रही है ?

श्री सम्पतराम : I have indicated the specific rule.

कॉटन मिल्स

१७७. **श्री रामचन्द्र (डग)** : क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान निर्माण के पूर्व झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में कॉटन मिल खोलने का अधिकार किसी फर्म को दिया गया था तथा मालिक फर्म ने मिल की इमारत बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था ?

(ख) यदि हां, तो मिल के तैयार करने का समय कितने वर्ष का दिया गया था ?

(ग) मिल के अब तक तैयार न होने का क्या कारण है ?

(घ) भविष्य में यहां मिल खोलने के बाबत सरकार की क्या नीति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) (क) हां।

कम्पाउन्ड वाल बनाने के अतिरिक्त मालिक फर्म ने मिल की इमारत बनाने का कोई कार्य आरम्भ नहीं किया।

(ख) द्वितीय युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष बाद भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा कर ३ वर्ष में समाप्त किया जावेगा। ऐसा तय हुआ था।

(ग) मालिक फर्म अब भवानी मंडी में मिल लगाने को इच्छुक नहीं है।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टेक्स-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

टाइल मिल्स प्राइवेट सेक्टर में खोलने के लिए प्रस्तावित है। भवानी मंडी भी अन्य स्थानों के साथ-साथ टेक्सटाइल मिल खोले जाने के लिये उपयुक्त स्थान माना गया है। अगर कोई पार्टी ऐसी मिल खोलने के लिये प्रस्ताव सरकार के सामने रखेगी तो सरकार उस पर पूर्ण रूप से विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

प्रश्न संख्या १७८

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का जवाब मेरे पास मुकम्मिल रूप से नहीं है, इसलिए इसे आयन्दा लिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो कुछ है वही दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में दे दीजिये। नेक्स्ट क्वेश्चन।

बापू आश्रम, जयपुर

१७६. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर): क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर में बापू आश्रम की नींव राष्ट्रपति द्वारा कब रखी गई थी ?

(ख) इस भवन को पूर्ण करने हेतु किन-किन लोगों की समिति बनाई गई थी ?

(ग) सरकार एवं समिति ने इस दिशा में अब तक क्या काम किया ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राष्ट्रपति द्वारा बापू आश्रम की नींव दिनांक ३० अक्टूबर, १९५५ को रक्खी गई थी।

(ख) समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) एगज़ीक्युटिव इन्जीनियर पी० डब्ल्यू० डी०, बी० एन्ड आर० सिटी, डिविजन जयपुर द्वारा भवन–निर्माण के सम्बन्ध में समस्त प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी की जा चुकी हैं। निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को आदेश जारी कर दिये गये हैं। भवन निर्माण का कार्य दो–तीन दिन में ही शुरू हो जावेगा। सामान उस स्थान पर आना शुरू हो गया है।

प्रश्न संख्या १८०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

सांगानेर व बस्सी में बन्दोबस्त

१८१. श्री नाथूलाल करील : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या तहसील सवाई जयपुर, सांगानेर व बस्सी में सेटलमेंट हो गया है ?

(ब) यदि हां, तो क्या उपरोक्त तहसीलों में पर्चा लगान वसूली के बंट गये है ?

(स) यदि नहीं, तो कब तक बांटे जावेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (अ) तथा (ब) मौजूदा तहसील सांगानेर में जो देहात तहसील चाकसू व फागी के आये हैं उन सब में पर्चे बांटे जा चुके हैं। जो देहात तहसील जयपुर से आये हैं उनमें से खालसा के पर्चे संवत् १९९४ में बांटे थे। गैर खालसा के पर्चे अभी तक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं बंटे हैं । मौजूद तहसील बस्सी में जो देहात तहसील दौसा व चाकसू से आये हैं, उन सब में पर्चे बांटे जा चुके हैं । तहसील जयपुर से जो देहात आये हैं उनमें से खालसा के पर्चे सम्वत् १९६४ में बांटे गये थे, गैर खालसा के पर्चे अभी तक नहीं बंटे हैं। मौजूदा तहसील जयपुर के खालसा देहात में पर्चे सम्वत् १९६४ में बंटे थे, गैर खालसा में अभी तक नहीं बंटे हैं ।

(स) आशा की जाती है कि जून सन् १९५८ तक तहसील जयपुर से आये हुए ग्रामों में खालसा के रिवाइज़्ड पर्चे और गैर खालसा के नौ पर्चे बांट दिये जावेंगे ।

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

विस्थापित परिवारों को बसाने की योजना

१८३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) (श्री विजय की अनुपस्थित में एक माननीय सदस्य): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) घट्टी, तहसील किशनगंज, जिला कोटा में कितने विस्थापित परिवारों को बसाये जाने की योजना है तथा कितने विस्थापित परिवार अभी तक बसाये जा चुके हैं ?

(२) इस पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय करने की योजना है तथा कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) तहसील किशनगंज, कोटा, में पूर्वी बंगाल के ६६० विस्थापित परिवार बसाये जाने की योजना भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई है । ये ६६० परिवार किशनगंज तहसील के ३ ग्राम घट्टी, परनिया और गोरधनपुरा में बसाये जायेंगे । घट्टी में २२० परिवार बसाये जावेंगे । अभी तक ४८ परिवार आये हैं जो घट्टी में बसाये गये हैं ।

(२) कुल ६६० परिवार के पुनर्वास के अन्तर्गत ३,०८,२०० रुपये की धनराशि मंजुर हुई है । अब तक २१,३०१ रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती सुमित्रा ।

बुनकर बस्ती की स्थापना

१८४. **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष बुनकर बस्ती बसाने की सरकार की योजना है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस बस्ती को ग्राम किशोरपुरा, जिला झुंझुनूं में बसाने के लिए सरकार ने गत वर्ष निर्णय ले लिया था और प्लानिंग डिपार्टमेंट से प्लान और एस्टिमेट बनवा कर भारत सरकार को रिकमेंड कर दिया था ?

(ग) क्या सरकार का अब उक्त बस्ती को किसी दूसरी जगह बसाने का विचार है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) :

(क) जी हां, १९५७–५८ में राजस्थान में बुनकर बस्ती बसाने की योजना है ।

(ख) जी हां ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ग) जी हां, यह निर्णय राजस्थान हैंड लूम बोर्ड द्वारा लिया गया है। उसका कारण किशोरपुरा में बुनकरों की संख्या में कमी होना है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : कहां कहां बसाने की योजना है, क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में बसायें जायेंगे ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

एक माननीय सदस्य : क्या उणियारा में बसाये जायेंगे ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्रीमती सुमित्राकुमारी : इनकी कितनी संख्या निर्धारित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निर्धारित नहीं है।

श्रीमती सुमित्राकुमारी : निर्धारित नहीं है तो कमी का कैसे पता चलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां ज्यादा संख्या होती है वहां बसाई जाती है।

श्रीमती सुमित्राकुमारी : क्या यह सही है कि उक्त बस्ती, धारीवालजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी, में बसाने की बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉन्स्टीट्यूएन्सी किसकी है, यह तो पता नहीं। किशोरपुरा में वीवर्स की फेमिलीज़ बहुत कम थीं और मांगरोल में करीब हजार-बारह सौ होंगी।

एक माननीय सदस्य : क्या मालपुरा में जरूर बसाया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मालपुरा का प्रश्न नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

१८५. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ कलेक्टरेट में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ?

(ख) इनमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने हैं ?

(ग) क्या यह संख्या निश्चित नियम के अनुसार है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) कलेक्टरेट झालावाड़ में ६० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

(ख) एक है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पहले इन जातियों के लोगों को आम तौर से राज्य सेवा में नहीं लिया जाता था, अब लिया जाने लगा है। तो जहाँ तक संभव होगा ज्यादा से ज्यादा लिये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री रामचन्द्र : शिड्यूल कास्ट के कर्मचारी से क्या काम लिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : चपरासी से जो काम लिया जाता है वही काम लिया जाता होगा।

Page No.29

श्री रामचन्द्र : क्या केवल उससे टट्टी ही साफ कराई जाती है या दफ्तर में काम लिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : यह काम चपरासी का नहीं है ।

श्री रामचन्द्र : टट्टी ही साफ कराई जाती है, उससे और कोई काम नहीं लिया जाता ।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य जो इत्तला दे रहे हैं, उसकी जांच की जायगी और जो इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामचन्द्र : यह संख्या १५ प्रतिशत के नियम के अनुसार सही है या कम है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब पहले दे चुका हूं ।

श्री रामचन्द्र : आपने फरमाया कि ६ में से एक है, तो १५ प्रतिशत स्थान मिलने चाहिए, इस नियम के अनुसार है कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : (ग) पार्ट साफ है, क्या यह संख्या निश्चित नियम के अनुसार है ? मैंने इस पर कहा "जी नहीं" ।

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि माननीय सदस्य ने सूचित किया कि उस कर्मचारी से केवल टट्टी साफ कराने का काम लिया जाता है, इस सूचना के अनुसार यह सही होने पर ऐसा काम लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हो चुका है, उन्होंने कह दिया है कि जांच करेंगे ? Now the Health Minister wil give his Statement on small pox

(१२ मध्यान्ह)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता बोलने के लिए खड़े हुए, इतने में ही १२ बजे का भोंपू बोलना शुरू हो गया)

एक माननीय सदस्य : इस भोंपू को बोलने दीजिए साहब, आपकी आवाज वैसे ही समझ में नहीं आती है ।

(दो मिनिट के लिए विश्राम)

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल दीजिये ।

चेचक के प्रकोप पर स्वास्थ्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) **:** राजस्थान में चेचक का प्रकोप, रोगी संख्या व मृत्यु संख्या अक्टूबर, १९५७ से जनवरी १९५८ तक निम्नलिखित डिवीजन्स में निम्न प्रकार है :

	रोगी संख्या	मृत्यु संख्या
जयपुर	५३९	१३२
जोधपुर	२२१	७४
बीकानेर	२९३	६७
उदयपुर	११५	१८
कोटा	६१	४
कुल	१२२९	२९५

तुलनात्मक दृष्टि से इन्हीं महीनों में अर्थात् अक्टूबर से जनवरी तक गत दो वर्षों में इस रोग के रोगी व मृत्यु संख्या इस प्रकार रही :

सन्	रोगी संख्या	मृत्यु संख्या
१९५५	१३४०	४४८
१९५६	११९४	४०१

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इससे प्रतीत होता है कि इस वर्ष बीमारों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि अवश्य हुई है पर सन् १६५५ से बीमारी की संख्या में कमी है और मृत्यु में भी काफी कमी है। १६५५ के मुकाबले में मृत्यु संख्या १/३ हिस्से कम हो गई है।

चेचक की रोकथाम के प्रति मुख्य साधन चेचक का टीका लगाना है। राजस्थान की आबादी जो लगभग डेढ़ करोड़ की है उसमें ४० प्रति हजार की जन्म संख्या के हिसाब से लगभग ६ लाख बच्चे हर वर्ष अनुमानित पैदा होते हैं जिनके चेचक का टीका लगाने का कार्य पिछले ३ वर्षों में निम्न प्रकार से हुआ है :

सन्	प्राथमिक	रीवेक्सिवेशन	कुल जोड़
१६५५	४, ७७, १०५	३, ३६, ७०४	८, १६, ८०६
१६५६	५, ५१, ४५८	३, ६४, ०१४	६, ५४, ४७२
१६५७	४, १६, ०४६	५, ४३, ५३२	६, ६२, ५८१

सन् १६५७ के आंकड़ों में अजमेर व बाडमेर जिलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं चूंकि वहां से अभी तक इनकी प्राप्ति नहीं हो सकी है, तथापि इनके अभाव में भी कुल टीकों की संख्या पिछले ३ वर्षों से अधिक है। इसके साथ साथ इन अंकों की जांच से यह साफ विदित होता है कि यह कार्य दिनों-दिन उन्नति पर है।

जयपुर के लिए ८ वेक्सीनेटर्स हैं। शहर में जनवरी १६५७ से दिसम्बर १६५७ तक २२५ केसेज़ हुए जिनमें ३२ मृत्यु हुई। जनवरी १६५८ से १५ फरवरी १६५८ तक १४ केसेज़ हुए, मृत्यु एक भी नहीं हुई। कुल रोगी २३६ हुए और मृत्यु ३२ हुई। अक्टूबर ५७ से १५ फरवरी १६५८ तक कुल रोगी २६ और मृत्यु ४ हुई।

टीका लगाने का कार्य जयपुर शहर में निम्न प्रकार से हुआ :

सन्	प्राथमिक	रीवेक्सिवेशन	कुल जोड़
१६५५	१३२२१	२८५५२	४१७७३
१६५६	१४४६७	१८६०६	३३४०६
१६५७	१७२८८	६६५२७	८३८१५

सारे प्रान्त में प्राथमिक टीके बच्चों की अनुमानित जन्म संख्या से कुछ ही कम लगे हैं फिर भी इन अंकों से यह स्पष्ट है कि लगभग ८५ प्रतिशत बच्चों के प्राथमिक टीके लग ही जाते हैं। सरकार इस कार्य को अधिक मात्रा में पूरा करने के प्रति जागरूक व प्रयत्नशील है। वेक्सीनेटरों की संख्या ३४७ है, इस संख्या को ३६० तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। आशा है, इसे अगले वर्ष में स्वीकृति दी जा सकेगी और इस कार्य में विशेष प्रगति की जा सकेगी।

श्री सतीशचन्द्र : On a point of information. १६५७ में आपने बताया कि, २६५ मृत्यु हुई; ये पूरे साल भर में हुई या अक्टूबर के बाद में हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि सीज़न शुरू अक्टूबर से जनवरी तक का होता है, ये आंकड़े जो मैंने दिये हैं वे जयपुर के सारे साल के थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े १२ महीनों के हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अक्टूबर से जनवरी तक के फीगर्स उनको दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार की तरफ से कई जगह पर इसके लिये आइसोलेशन होस्पिटल्स खोले गये हैं, मगर जहां पर इस प्रकार के होस्पिटल्स नहीं हैं वहां पर राज्य की तरफ से चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि चेचक को रोकने के लिये प्रिवेन्शन के रूप में टीके लगाए जाते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रकार आइसोलेशन होस्पिटल्स जयपुर, जोधपुर और कोटा आदि में हैं उसी प्रकार के होस्पिटल्स राज्य सरकार दूसरी जगह भी खोलने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बीमार होते है वे आम तौर पर होस्पिटल्स में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त चेचक की कोई दवा तो अभी तक निकली नहीं है जिससे कि चेचक निकल जाने के बाद उसका इलाज हो। यह टीके तो चेचक से बचने के लिये लगाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया कि इसका कोई खास इलाज नहीं है, प्रिवेन्शन के लिये वेक्सीनेशन करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्फेक्शयस डिज़ीज़ के रोगी जो भी होते हैं उनको आइसोलेशन होस्पिटल में, जो राजस्थान में ४–५ स्थानों पर; जोधपुर, जयपुर आदि में हैं, जहां पर जो चेचक के रोगी होते हैं उनको रखा जाता है। बाकी के स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसके लिये क्या सरकार डिस्पेन्सरीज़ के साथ रूम्स एटेच करने का विचार रखती है, जहां पर इस प्रकार के रोगियों को रखा जा सके ?

श्री अध्यक्ष : वे सब भगवान् भरोसे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये विचार किया जाएगा।

(१२.५. म. प.)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५७–५८ (प्रथम खण्ड) की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५७–५८ (प्रथम खण्ड) को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ७१।

अनुपूरक मांग संख्या ७१–राज्य सरकारों द्वारा ऋण इत्यादि

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षकत राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of consideration, Sir, there is some discrepancy in this demand. In the Governor's Address, it was written 13 districts and the Hon. Minister now placing this demand has mentioned 14 districts; I would like to know which is the additional district thus included in this as a way of explanation.

श्री अध्यक्ष : It is not much of a discrepancy.

श्री श्रीभानसिंह : Because in the Address there are 13 districts it has been clearly mentioned in the Governoras Address, we would like to know whether this is correct and if so which is the fourteenth district for which the hon. Minister.........

श्री अध्यक्ष : Will the Hon. Minister verify and inform the member also ?

Demand No. LXXI. Cut Motion No. 1-List No. 1

इसमें कुछ कटौती के प्रस्ताव आये हैं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह, वि. सं. १४।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश प्रसाद।

श्री श्रीभानसिंह : इस संबन्ध में बता दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बता देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : पहले बता दें तो उचित होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पाली डिस्ट्रिक्ट बाद में जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन नं० १, श्री जगदीश प्रसाद।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I move. "That thedem and No. LXXI Major Head 'P Loans and advances by State Government,' Item No. 1 be reduced by Rs. 1/- (to discuss the defective system of distribution of taccavi loans and the failure of the Government to meet the necessities of the scarcity areas)

2. - Item No. 1- P 'Loans and Advances by State Government be reduced by Rs. 1/- (te discuss the problems facing the Electricity Board)."

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार अपने प्रान्त में भी बिजली विभागों का एकीकरण करने की दृष्टि से बिजली बोर्ड की स्थापना की गई लेकिन बोर्ड बनने के बाद कुछ इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं जिनका संपूर्ण रूप से निराकरण नहीं होने से प्रान्त के कई भागों में जितने भी बिजली घर हैं उनको बोर्ड के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। कुछ इस प्रकार के बिजलीघर हैं जिनको प्राइवेट कम्पनियें

(श्री जगदीशप्रसाद)

चलाती हैं । जब कि हमारा ध्येय यह है कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा विकास हो जिससे कि अधिक से अधिक उद्योग-धन्धे पनप सकें और बढ़ सकें । लेकिन आज प्रान्त की इसके लिये बहुत मांग होने पर भी बिजली बोर्ड बना कर सारा का सारा काम उसके सुपुर्द कर दिया है । इसका अर्थ यह होता है कि जितने भी जनता के बिजली घर हैं उनको बोर्ड के पास आना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि आप हमको अपने साथ लो । मगर इस प्रकार की संस्थाएं नफे को साथ लेकर चलेंगी और उन्हीं कम्पनियों को लेंगी जिनके नफा हो रहा हो । यानी बिज़नेस के आधार पर चलेंगी । ऐसी स्थिति में जो भी पॉवर हाउस नुकसान में चल रहे होंगे उनको वह अपने हाथ में लेने का कभी भी प्रयत्न नहीं करेंगी । अध्यक्ष महोदय, यह तय है कि किसी भी देश के विकास के लिये बिजली का होना आवश्यक है । पॉवर हाउस चलते हैं उनसे लाभ ही हो, इस प्रकार की भावना नहीं कर सकते । जिस पॉवर हाउस में घाटा होगा उसको बोर्ड लेने के लिये तैयार नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि आज जितने भी पॉवर हाउसेज़ लिये हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की दरें हैं; कहीं पर चार आना, कही पर छः आना और कहीं पर नौ आना प्रति युनिट है । जब इसके लिये सरकार के सामने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्योंकि सरकार चुने हुए लोगों की है इसलिये सब को सरकार से कहने का अवसर मिलेगा । लेकिन जब यह इस बोर्ड के पास चला जावेगा तो वह बोर्ड लाभ और हानि की दृष्टि से इसको देखेगा । वह किसी तरह से अधिक रेट की चिंता नहीं करेगा । मैं आपको सीकर का उदाहरण दूं । यहां पहले बिजलीघर कम्पनी के पास था । वह ८ आना प्रति युनिट लेती थी, उसके बाद कम्पनी ने ६ आना प्रति युनिट कर दिये । लेकिन कम्पनी ने ६ आना के रेट से चार्ज नहीं किया था, लेकिन जब सरकार ने इसको ले लिया तो ६ आना प्रति युनिट कर दिया । लोगों की यह मांग है कि दूसरी जगह जो इसकी रेट है उसके अनुसार यहां पर भी वही रेट होनी चाहिये, अगर यह सरकार के पास होती तो सरकार इस पर विचार करती । लेकिन जब बोर्ड के पास जावेंगे तो बोर्ड यह देखेगा कि उससे उसे कितनी हानि और कितना लाभ होता है । इससे समान रूप से राजस्थान की पब्लिक को जो लाभ होना चाहिये नहीं उठा सकते । यह स्थिति और भी पॉवर हाउसेज़ की है और इस प्रकार की दिक्कतें सभी जगह आवेंगी ।

दूसरी बात एरियर्स की है । जयपुर में पॉवर हाउस है उसका बहुत रुपया बकाया है, लाखों रुपया बकाया है और अभी वसूल नहीं कर सके हैं । यह कोर्ट के सामने जाएगा, इसके लिये भी निर्धारित नीति होनी चाहिये । दूसरा, पॉवर हाउस का बहुत सामान है जो कई इस प्रकार के प्राइवेट व्यक्तियों के पास है जिनके ऊपर क्या कभी ध्यान दिया ? उनके पॉवर हाउसेज़ बोर्ड के पास चले गये, सारा समान उनके पास चला गया, जिस सामान की कोई तफ़सील नहीं है, किसके पास कितना सामान बाकी है, किराये पर दिया हुआ है, उसका किराया आता है या नहीं, इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ पॉवर हाउसेज़ को लेते हैं तो आवेंगी बोर्ड के सामने । इसलिए जब तक राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति न

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हो तब तक आगे बढ़ने से राज्य की जनता में विश्वास पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह कट मोशन प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में बोलेंगे तो उनके सुनने के पश्चात् मैं और कुछ निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका दूसरा कट मोशन है वह भी पेश कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I beg to move, "That the demand No. LXXI P- 'Loars and Advances by State Government' be redueed by Rs, 1/- (to discuss the defective scheme of Local Manurial Resources)".

इस मांग के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय, १ हजार की मांग है। उसमें ग्राम पंचायतों को कुछ गाड़ियां खरीदने हेतु लोन देने के लिए यह व्यवस्था है। गांवों के अन्दर जो खाद की समस्या है वह स्वयं गांव वाले व्यक्तिगत अपने तौर पर करते हैं और सार्वजनिक खाद का निर्माण नहीं होता है। यह केवल व्यक्तिगत रूप में लोगों द्वारा व्यवस्था की जाती है। यदि किसी घर पर ज्यादा खाद होती है, जिस व्यक्ति के घर नहीं है तो उसके यहां गाड़ियां लेकर आते हैं और खाद ले जाते हैं। और इस दृष्टि से सार्वजनिक स्थान पर के खाद निमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए इस प्रकार का जो प्रेविजन किया है वह आवश्यक नहीं है और इस मद पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दीजिये।

(१२. १२ म० प०)

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कट मोशन जो अभी लोकल मेन्युरियल रिसोर्सेज़ के बारे में रखा गया है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिन्होंने मूव किया है इसका उत्तर वे ही देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई भी मिनिस्टर जवाब दे सकता है। यह तो जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

उसके बारे में यह बताया गया कि इसकी इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसान व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग गड्ढे करते हैं और उसमें खाद डालते हैं और इसलिए गांवों में कोमन खाद की व्यवस्था हेतु कम्पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि लोकल मेन्युरियल तैयार करने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी आवश्यकता है और कृषि विभाग की ओर से म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों को हर तरह से खाद को ज्यादा से ज्यादा तादाद में तैयार कर सके, इसकी व्यवस्था हेतु लोन दिया जा सकेगा। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना फर्टीलाइज़र बाहर से मंगाना था उतना विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण उस हद तक वह मांग पूरी नहीं हो सकेगी इसलिए देश में ज्यादा से ज्यादा खाद तैयार करने की आवश्यकता है और इसलिए यह व्यवस्था की है। म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों को कम्पोस्ट ज्यादा से ज्यादा तैयार कराने के लिए कर्जा दिया जाय और उससे म्युनिसि-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पेसिटी ट्रैक्टर्स और ट्रेलीज़ खरीद कर कूड़े करकट को इकट्ठा करके उससे खाद तैयार करायें। उसी तरह से गांवों में व्यक्तिगत तौर पर तो लोग खाद तैयार करते ही हैं, लेकिन जो कोमन खाद होता है तो उसके लिए ग्राम पंचायत कोई अच्छी तरह की व्यवस्था करना स्वीकार करे कि अच्छे कम्पोस्ट बनने चाहिए तो उसके लिए ग्राम पंचायत में पाड़े खरीदने की आवश्यकता हो तो उस धन को देने की व्यवस्था कर रहे हैं और यह देश के ज्यादा से ज्यादा "अन्न उपजाओ आन्दोलन" के लिए जरूरी है। जो दृष्टिकोण माननीय सदस्य ने रखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो शायद वे सोचते होंगे कि पोठे चुगने वाले लोग हैं, छाने वगैरह की उनको इजाजत दी जाय, यह हम नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा अन्न उपजाने के लिए यह आवश्यक है, यह रकम जरूरी है। इतना ही मुझे कहना है।

१२. १५ म० प०

विद्युत् मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में यह कहा गया है कि इस मामले में ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि पॉवर हाउसेज़ के एरियर्स बाकी हैं वे वसूल नहीं हुए और इस तरह प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं वे नुकसान में चल रहे हैं, उनको कौन लेंगे और बहुत सा सामान लोगों में बाकी है उसका क्या होगा और चूंकि यह बोर्ड कमर्शियल कन्सर्न होगा इसलिए पब्लिक को डिफिकल्टी होगी और दिक्कतें आवेंगी, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिये। मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड का बनना निहायत जरूरी है और यह ओब्लीगेटरी है। मियाद में एक-दो साल का गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने इजाफा किया है, बाकी यह ओब्लिगेटरी है। बहुत सी स्टेट्स में यह बन गया है और कुछ स्टेट्स में यह प्रोसेस में है। किन्तु ज्यादातर स्टेट्स में बन गया है। यह जरूरी है और इसको रखना पड़ेगा। बोर्ड के क्या पॉवर्स होंगे, क्या फन्क्शन्स होंगे, यह एक्ट में बहुत कुछ दिया हुआ है और इस सम्बन्ध में जो रूल्स बनाये जा रहे हैं उनकी करीब-करीब तकमील हो चुकी है और वे जल्दी शाया हो जावेंगे।

एक बात आपके सामने जो खास तौर पर बतायी गई है कि जिनमें रुपया बाकी है, खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, सामान बाकी है उसका क्या होगा, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि १ जुलाई, सन् १९५७ से बोर्ड के फन्क्शन्स होंगे और ३० जून, १९५७ तक जितने भी असेट्स हैं उसकी सरकार जिम्मेदार है, यदि किसी में रुपया बाकी है तो वह गवर्नमेन्ट रियलाइज़ करेगी, सामान बाकी है तो वह भी सरकार ही रियलाइज़ करेगी। उससे पहले के जितने भी असेट्स हैं उसके लिए गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है और उसके बाद के लिए नहीं। एक बात और कहूं कि असेट्स के इवेयुलएशन के लिए एक कमेटी मुकर्रर की है कि कितने कितने असेट्स हैं वे बोर्ड को ट्रान्सफर होंगे, कमेटी बना दी है और इवेल्युएशन का सिलसिला जारी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रेट्स में जो असमानता है उसके लिए क्या होगा?

श्री रामकिशोर व्यास : रेट्स में फर्क नहीं पड़ेगा। विभिन्न पॉवर हाउसेज़ लोस में रन करते रहें तो बोर्ड को लेने की जरूरत नहीं

(श्रीराम किशोर व्यास)

है। इसलिए उनको लेने की जो बात है, जहां जहां जैसा मुनासिब समझेंगे वैसा करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रेट्स के सम्बन्ध में कौन तय करेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) और कुछ कहना चाहते हैं।

(१२.२० म. प.)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो कट मोशन मूव किये हैं उनका उत्तर संबन्धित मंत्री महोदय ने दे दिया है। आशा है कि उनके स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्य को सन्तोष हो गया होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, खाद्य के संबन्ध में जो मेरा कट मोशन है उसे तो वापिस लेने की मुझे इजाजत दी जाय।

पॉवर हाउस सम्बन्धी कट मोशन के संबन्ध में मेरा तो यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा कि जो पॉवर हाउसेज़ लोस में रन कर रहे हैं उनको सरकार लेने की जिम्मेवारी नहीं लेती। मेरा तो यह निवेदन है कि इस प्रकार के पॉवर हाउसेज़ को आप अपने कन्ट्रोल में नहीं लेते हैं तो विकास योजनाओं में बाधा उपस्थित होगी। जिन स्थानों पर पॉवर हाउसेज़ लोस में चल रहे हैं वहां पर विकास की दृष्टि से काम नहीं हो सकेगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जितने भी पॉवर हाउसेज़ हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाये जांय क्योंकि आज–कल विकास योजनाओं का आधार ही बिजली है। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि स्टेट के जितने भी पॉवर हाउसेज़ हैं चाहे वे लोस में चलते हों, चाहे नफे में सबको सरकार अपने अधिकार में ले ले या इन सब पॉवर हाउसेज़ को बोर्ड के अन्तर्गत कर देना चाहिये। बिजली की जो व्यवस्था है वह इनडिवीज्युअल के हाथ में नहीं रहनी चाहिये इससे विकास के मार्ग में रूकावटें पैदा होती हैं।

इसके अलावा जगह-जगह अलग-अलग रेट्स भी हैं इससे भी लोगों को बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं, इस संबन्ध में भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला; इसलिये मैं इस कट मोशन को सदन की सम्मति के लिये प्रस्तुत करना चाहिता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, पॉवर हाउसेज़ को लेने के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि गवर्नमेंट सारे पॉवर हाउसेज़ को अपने अधिकार में ले ले। जहां तक विकास योजनाओं से सम्बन्धित पॉवर हाउसेज़ हैं उनको तो सरकार लेगी ही, इसके अलावा जहां बिजली का इन्तजाम नहीं है वहां पर भी तो नये नये पॉवर हाउसेज़ बना रही है। कई पॉवर हाउसेज़ जैसे आपका सीकर का है उसको सरकार ने अपने अधीन ले लिया है, और भी जगह के ले सकती है। चाहे ये पॉवर हाउसेज़ गवर्नमेंट के अधीन रहें या बोर्ड के अधीन रहें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा यह निवेदन है कि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जितने भी पॉवर हाउसेज़ चलाये जाते हैं उनसे जनता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को तकलीफ है; अतः उन सब को टेक ओवर कर लिया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : आहिस्ता-आहिस्ता हम टेक ओवर कर रहे हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या गवर्नमेंट ले लेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिन जिनको गवर्नमेन्ट मुनासिब समझेगी और ज्यों ज्यों फंड्स अलाउ करते जायेंगे गवर्नमेंट लेने की कोशिश करेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव सदन की सम्मत्ति के लिए रखा जाय पॉवर हाउसेज् सम्बन्धी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव लिस्ट नं० १, सीरियल नं० २ :

"To discuss the defective system of distribution of taccavi loans and the failure of the Government to meet the necessities of the scarcity areas." है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है--

"To discuss the defective scheme of local manurial resources" इसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मतलब है कि जो तकावी दी जाती है वह ठीक ढंग से नहीं दी जाती । तहसील कोटपुतली में जो तकावी गवर्नमेंट द्वारा इस वर्ष मन्जूर हुई उसका फायदा पूरी तरह से काश्तकारों को नहीं मिल पाया । इस सम्बन्ध में मैं खास-खास बातें आपके सामने रखूंगा । पिछली साल सन् ५६-५७ में वहां तकावी के लिए आठ हजार रुपया मन्जूर हुआ था । मगर काश्तकारों की दरख्वास्तें होने पर भी उन बेचारों को एक पैसा भी सन् ५६-५७ में नहीं मिल पाया और रकम लेप्स हो गई । जब कि काश्तकारों की दरख्वास्त पहले आ चुकी थी उनमें सब प्रकार की खाना-पूर्ति हो गई थी, जमानत वगैरह के साथ दरख्वास्तें दे दी गई थीं और पन्द्रह-बीस दफा काश्तकारों को गिरदावरों और तहसीलदारों के पास जाना पड़ा । इतनी दौड़-धूप के बाद भी वह रकम किसी को नहीं मिल पाई और वह रकम लैप्स हो गई । वे बेचारे करीब तीन साल से लगातार पेश करते आ रहे हैं, पहले तो बेचारों को फॉर्म नहीं दिया गया और आखिर जब फॉर्म मिला और दरख्वास्तें दीं और सारी खाना-पूर्ति करने के बाद भी उनको तकावी नहीं दी गई, इसके अलावा मैं राजस्व-मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में जानकारी करें कि तकावी के पेपर्स पूरे हो जाने के बावजूद भी काश्तकारों द्वारा छोटे कर्मचारियों को राजी न किये जाने के कारण उनके बिल भी नहीं बनने पाये

(श्री रामकरणसिंह)

और उसमें कुछ खामियें रख दी गई और उसका यह हाल हुआ कि वे बिल्स तीन-तीन चार-चार दफा वापिस किये गये। हालांकि उन कर्मचारियों द्वारा सैकड़ों प्रकार के बिल बनते हैं तकावी के अलावा भी वे बिल्स बनाते हैं, लेकिन वे जान-बूझकर इन तकावी के बिलों में गलतियां रख देते हैं ताकि उन लोगों को पैसा न मिलने पावे और इस तरह से बहुत से काश्तकारों के बिल रिजेक्ट होकर आते हैं। इस तरह से गवर्नमेन्ट तो चाहती है कि काश्तकार को रकम दी जावे लेकिन वह रकम नहीं मिल पाती है और लैप्स हो जाती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार, एस० डी० ओ० पर होती है। काश्तकारों द्वारा पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी उनको रकम नहीं मिल पाती है और फिर यह कहा जाता है कि हम काश्तकारों के लिये पूरी सुविधायें देते हैं। इस प्रकार से मौके पर सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं।

इसके अलावा जिन काश्तकारों को कुआ आदि खोदने के लिये पैसा दिया जाता है उसके लिये दो वर्ष पहले से काश्तकार कुएँ के लिये गड्ढा खोद लेता है क्योंकि उसके बिना तकावी मन्जूर नहीं होती। अगर उस गड्ढे को तकावी के रुपये मिलने तक यों का यों रखा जाय तो बरसात में उसकी की हुई मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसके अलावा खाली गड्ढे में किसी के पड़ने का भी डर बना रहता है तो वह बेचारा किसी से उधार लेकर कुआ पूरी तौर से बना लेता है और फिर तकावी के लिये दरख्वास्त देता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तकावी कई तरह की होती है कौनसी तकावी के लिये आप कह रहे हैं? आप स्पेसिफिक पोइन्ट ऑफ व्यू रखें तो जवाब देने में आसानी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : ये तो रेवेन्यू मिनिस्टर से कह रहे हैं।

श्री रामकरणसिंह : (जारी रखते हुए) मेरा तकावी से मतलब किसानों को दी जाने वाली सभी तकावियों से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी किसानों के नाम पर दिया जाता है वह चाहे कुए के लिये हो या अन्य किसी काम के लिये, उनके लिये उन बेचारों को कितनी मुसीबतें उठानी पडती हैं और उनको पूरी तरह से वे उपलब्ध भी नहीं होतीं।

कुए खोदने के लिये तकावी दी जाती है और उस पर यह कायदा है कि पटवारी रिपोर्ट करे। जब बेचारे ने किसी न किसी से उधार लेकर कुआ तैयार कर लिया, रुपये सैकड़ा, दो रुपया सैकड़ा ब्याज देकर कुआ तैयार कर लिया तो कह दिया जाता है कि तुमने तो कुआ तैयार कर लिया, अब तुम्हें लोन की क्या आवश्यकता? यदि वह बेचारा कुआ तैयार नहीं करे तो उसके बाल-बच्चे जो दिन-रात वहां रहते हैं, उनके पड़ने का डर रहता है, इसके अलावा बरसात में उस जमीन के ढह जाने का डर रहता है। ऐसी हालत में मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे वहां से रिपोर्ट मंगा कर देखें, उन काश्तकारों के बिल पास हो जाने के बाद भी दो ढाई महिने तक उनको पेमेन्ट नहीं होता, उनको इसलिये टला दिया जाता है कि वे छोटे कर्मचारियों को कुछ दे नहीं पाते। कुछ काश्तकारों से मिलने पर मुझे

(श्री राम करणसिंह)

यह भी पता चला कि कुछ कर्मचारी तो ऐसा समझते हैं कि जो काश्तकारों को रकम दी जाती है वह मुफ्त में दी जा रही है, इसलिये वे उसमें से कुछ लेकर ही उनको देते हैं। मैं एक बात यहां कहना तो नहीं चाहता किन्तु मजबूर होकर कहनी पड़ती है कि कुछ तो कर्मचारी यहां तक कह देते हैं कि कितना ज़लील आदमी है जो माथा खाने के लिये आ गया। और भी ऐसी चीजें हैं जिनके लिये मैं नहीं कहूं तो ठीक है। उन काश्तकारों को हर प्रकार से तकावी के बारे में तंग किया जाता है। इसे या तो काश्तकार ही जानते हैं या तंग करने वाले ही समझते हैं कि कैसे इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी तहसील कोट पुतली के इन्डिविजुअल केस को देखा जावे तो कोई भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें तहसीलदार साहब ने पटवारी को रिपोर्ट के लिये एक तारीख दी हो और उस तारीख पर पटवारी ने रिपोर्ट कर दी हो। वह नोटिंग करके भेज देता है कि उस तारीख को वक्त नहीं मिला, दूसरे कई कामों में उलझ गया था इसलिये दूसरी तारीख बताई जावे, गिरदावर उसको आगे भेज देता है, फिर तहसीलदार तारीख देता है और फिर वही किस्सा रिपीट किया जाता है, जब तक पटवारी और और गिरदावर की भेंट–पूजा नहीं हो जाती तब तक रिपोर्ट करके भेज देना कतई नामुमकिन बात है। अगर मंत्री महोदय देखेंगे तो इस तरह के हर केस की फाइल पर इस तरह के नोट मिलेंगे। कैबिनेट में बैठ कर आप किसानों को राहत देने की कोशिश करते हैं, पर ये आपकी इस कोशिश को पार नहीं पड़ने देते। किसान इन कठिनाइयों को देख कर चुपचाप अपने घर बैठ जाता है। हम जब उधर अपने हल्कों में घूमने जाते हैं और तकावी लेने की बात उनको कहते हैं और यह कहते हैं कि सरकार काफी तकावी दे रही है आप लोगों को, तो वे जवाब देते हैं "वे तो तकावी नहीं दे रहे, पर मारो तो अत्याव (जी) लेवे है। तकावी तो देवे है नहीं। पटवारी गिरदावर और तहसीलदार भेंट पूजा मांगे है। भेंट पूजा देणे रे वास्ते मारे पास के है। केवे है कि डेड हजार मिलेगा। पण भेंट-पूजा घणी मांगे है, पार नहीं पड़े है।" तो यह स्थिति है।

इसके अलावा पांवटे का एक हरिजन है जिसकी तकावी मन्जूर हुई। उसने सम्बन्धित अधिकारी की भेंट-पूजा नहीं की इसलिये उसे अब तक तंग किया जा रहा है। नाजायज तंग करने की हद कर दी है। उसे १०७ में फांसा जा रहा है। हर प्रकार से उसे तंग किया जाता है। बीच बीच में कहते हैं, रुपया कहां है, हिसाब दिखाओ। यदि वह कहता है कि कुआ बनवा लिया तो शिकायत करते हैं कि हमारी इज़ाजत वगैरह कैसे बनवा लिया? वह आज १॥–२ साल से काफी मुसीबत में है, यह रवैया सारी कोटपुतली तहसील में है। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि मंत्रीजी इस बारे में पूरी जानकारी करके उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एम. एल. ए. रामकरण जी ने कट मोशन रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं। केवल कोटपुतली में ही नहीं, तमाम राजस्थान में यह शिकायत है। जहां जहां तकावी की रकम दी जाती है उसके अन्दर बीच में बड़ा घोटाला है। यह सही बात है कि तकावी समय पर नहीं मिलती।

(श्री मदनसिंह दांता)

तीन-तीन, चार चार साल तक रोके रखने की घटनाएं हमारे कॉन्स्टीट्युएन्सी में भी हुई है। अभी दांता रामगढ़ में तहसीलदार को इसलिये हटाया गया था कि चार साल की तकावी इसलिये नहीं दी गई कि उनमें पूरा बटवारा नहीं हो सका था । इसलिये मैं इस कट मोशन का समर्थन करता हूं । यह आम शिकायत है । अब यह तो केवल एक निश्चित डिस्ट्रिक्ट की तहसील के तकावी विवरण के सम्बन्ध में रक्खा था इसलिये इतना ही कहना चाहता हूं । हरिजनों को या कोऑपरेटिव के थ्रू जो तकावी मिलती है उसके लिये कल–परसों जब दिन आवेगा तब बात करूंगा और तब इनका जवाब दिया जावेगा ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रक्खा है, उसका समर्थन करता हूं । जो उन्होंने कहा वह बिलकुल वाजिब है । इसका कारण यह है कि तकावी के लिए पहले तो हजारों किसानों के पास आवाज पहुंचाई जाती है और जब हजारों की दरख्वास्तें पेश हो जाती हैं तो बाद में टाइम लम्बे से लम्बा बढ़ाते जाते हैं । उनको तकावी समय पर नहीं मिलती । इससे परेशान होकर किसान बोहरों से कर्जा लेकर, सेठ साहूकारों से उस तकावी के भरोसे कर्जा लेकर अपना काम चलाते हैं । तो एक तरफ तो सरकार किसान को सेठ साहूकारों के ऋण के भार से बचाना चाहती है पर दूसरी तरफ टाइम पर तकावी नहीं देकर उन्हें उनके चंगुल में फंसाती है । जहां तक कुए की तकावी का सवाल है इसे कार्तिक से कर दी जावे, पोस या माघ में कर दी जावे ताकि ६ महीने में कुए का कार्यक्रम कर लिया जावे । बैलों की तकावी अप्रेल-जुलाई, जून के पहले मिल जानी चाहिये । बाद में मिलने से होता क्या है, किसान अपना काम चलाने के लिये बैल किराये पर लाता है । तकावी का पैसा किराये में दे देता है और जो कुछ बच जाता है वह खा–पी कर खतम कर देता है; तो बैल भी नहीं मिलते और कर्जा भी चढ़ जाता है । रहा वहां का वहीं, बल्कि उसकी तकलीफ बढ़ जाती है । न तो बैल खरीदे जाते हैं और न किसान को सहूलियत मिलती है । इसलिए तकावी देने का टाइम भी मुकर्रर कर दिया जाना चाहिये । दूसरा जो पक्षपात होता है उसे भी रोका जाना चाहिए । भेंट-पूजा की बात भी सही है, उसे भी रोका जाना चाहिए । इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, तकावी के बारे में जो निवेदन किया मेरे पहले माननीय सदस्यों ने कि समय पर नहीं मिलती, उसमें बहुत धाँधलीबाजी होती है, यह तो ठीक है । इसमें पहली बात तो यह होती है कि जब किसान को जरूरत नहीं होती तब उसको तकावी का पैसा मिलता है या जब वह अपनी जरूरत को किसी तरह से इधर उधर से मांग कर पूरा कर लेता है तो उस वक्त मिलती है । इससे उसका काम भी नहीं पूरा होता, कर्जे का वजन भी पड़ जाता है और ब्याज भी देना पड़ता है, पर जिस मकसद से लेना चाहता है वह पूरा नहीं होता । मेरे ख्याल से आपकी यही मंशा है और आपका यही मकसद है कि किसानों को तकावी मौके पर मिल जाये तो वह मौके से अपनी जरूरत को पूरी कर लें । खैर, इसके बारे में तो मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों ने अर्ज कर दिया है । दूसरी चीज जो मैं

(श्री अनूपसिंह बालोतरा)

कहना चाहता हूं वह यह है कि जो बात बहुत से सरकारी कर्मचारियों को साफ नहीं है; वह यह है कि तकावी के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है वह किस हिसाब से ब्याज लिया जाता है। १० साल के लिए अगर तकावी ली गई या ८ साल में उसको तकावी की रकम को वापिस देना है तो ८ साल की रकम का ब्याज जो जोड़ दिया जाता है और उसकी एक अलग किश्त निकाल ली जाती है। मान लीजिये कि किसी एक किसान ने एक हजार रुपया तकावी के रूप में लिया और वह उसको ८ साल में चुकाना है तो आठों साल का ही ब्याज उस हजार रुपये के ऊपर लगा लिया जाता है और हर साल किश्त के रूप में काट लेते हैं। मगर यह नहीं करते कि जितना ब्याज और जितनी रकम चुका दी जाती है उस पर ब्याज आगे के लिए न लिया जाये। पहले इन्टरेस्ट ले लेते हैं उसी रकम के ऊपर और फिर दूसरी बार इन्टरेस्ट लिया जाता है। हजार रुपये की रकम के ऊपर ८ साल तक बराबर वही का वही ब्याज लिया जाता है। हालांकि वह चुका देता है मगर वह किश्त हटाई नहीं जाती है जो कि वह पहले ही चुका देता है। यानी जो कुछ कर्ज है उसमें से जो किश्त वह दे देता है, वह हटाई नहीं जाती है। तो यह होता है कि ब्याज कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट के ऊपर भी पहुंच जाता है। तो मेरा अर्ज करना यह है कि जो मामूली बनिया पैसा ब्याज पर देता है और यह आपका जो ब्याज है, यह तो उससे भी ज्यादा जाता है। इसलिए मैं इसके बारे में अर्ज करूंगा कि आपके सरकारी कर्मचारियों को भी यह साफ नहीं है कि किस प्रकार से ब्याज लगाया जाये और रकम वसूल की जाये। मैंने स्वयं ने कई तकावी के फार्म भराये हैं और अपने हाथों से भराये हैं। जब सरकारी कर्मचारियों को मैं इसके बारे में कहता हूं तो वह कहते हैं कि साहब यह तो कानून है और यही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे ही रूल्स बना दिये हैं। अब वह इस ख्याल से तो लेते नहीं हैं कि जो रकम चुका दी है उसके ऊपर फिर ब्याज लेंगे। इससे तो अच्छा यह हो कि वह किसान किसी बनिये के पास जाये और अपनी कोई चीज रहन देकर पैसा ले ले। किसानों को राहत देने का फिर मतलब क्या है? उसको कोई फायदा ही नहीं होता है। मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर आप गौर फरमायेंगे और कुछ क्लेरीफिकेशन देंगे और सरकारी कर्मचारियों को इन्स्ट्रक्शन्स देंगे कि जो रकम चुका दी जाती है उसके ऊपर ब्याज न लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): This cut motion relates to defective system of taccavi in Tehisl Kotputli, and here we are having the whole question of taccavi discussed.

श्री मदनसिंह दांता: The Hon'ble Minister should be aware that when an Hon. Member is speaking.

श्री अध्यक्ष: वह तो यह चाहते थे कि किस तकावी के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: Kotputli; I think I can give a reply.

श्री अध्यक्ष: Yes, to the point please.

श्री अनूपसिंह: यह कैसे बोल सकते हैं? Sir, I am on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष : क्या आपको आगे और कुछ कहना है ?

श्री अनूपसिंह : कोई खास तो कुछ कहना नहीं है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): I will say only about Kotputli.

अध्यक्ष महोदय, तकावी के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायतें सदन के सामने रखीं। कुछ तो खास तौर से कोटपुतली के माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने कुछ अपनी बातें यहां बताईं और कुछ जनरल बातें बताईं। वैसे तकावी के लिए यह बात जरूर है कि सरकार के ध्यान में जब जब यह बात आई कि किसानों को तकावी आदि लेने में असुविधायें होती हैं तो इसके लिए समय–समय पर नियमों में परिवर्तन किया है और खास तौर से अब पिछले तीन सालों से जो तकावी बांटने का तरीका रखा है वह तो करीब करीब उनकी सारी असुविधाओं को मिटा देता है, जिसमें वहां के स्थानीय एम०एल०ए० और उस पंचायत के सरपंच जिसमें कि वह किसान रह रहे हैं, जिनको कि तकावी मिलनी है और वहां का तहसीलदार इन सब को मिला कर एक कमेटी बना दी जाती है जो कि सभी जगह पर हैं। अगर उस क्षेत्र का एम०एल०ए० और सरपंच इस मामले में सतर्क रहते हैं और उस तकावी के वितरण में दिलचस्पी लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई वजह ऐसी नहीं है कि इस सुविधा के बावजूद भी तकावी समय पर न मिले। मैं अर्ज करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आम तौर से शिकायतें यह आती हैं कि उस कमेटी के सदस्यगण अक्सर गैरहाजिर रहते हैं और तकावी के वितरण के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते। तो ऐसी हालत में किसानों को असुविधा होना सम्भव है। इससे माननीय अध्यक्ष, यह नहीं समझा जाये कि किसानों को असुविधा होती है और मैं उसको डिफेन्ड करता हूं। मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है और जो असुविधा उनको होती है वह नहीं होनी चाहिए। जैसा कोटपुतली के बारे में बताया इससे पहले अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ जैसे कि यहां बताई गई, पहले ही मेरे ध्यान में लाई जातीं तो मैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता था और उस पर कार्यवाही कर सकता था। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि कटमोशन्स लाकर एक स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताई जाये और ऐसे मौके पर जवाब देना मुश्किल है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि किसानों को कोई असुविधा होती है और राजकीय कर्मचारियों की वजह से कोई गड़बड़ होती है जैसा कि बताया कि तकावी का पेमेन्ट दो-तीन महिने के बाद भी नहीं होता तो इस तरह के केसेज़ की तो जांच अलग से की जा सकती है। मगर बात यह है कि अगर समय पर किसी बात की सूचना प्राप्त हो जाये तो कार्यवाही वक्त पर की जा सकती है।

दूसरी बात मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि ऑफ–हैंड यहां किसी तहसील के बारे में यह कहना कि उसमें तकावी–वितरण ठीक हुई या नहीं, बहुत मुश्किल है। किसी खास स्पेसिफिक केसेज़ के बारे में यहां जवाब देना मुश्किल है।

दूसरी बात उन्होंने जनरल तकावी के लिए शिकायत की कि सूद ज्यादा लिया जाता है और उसको तो कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट ही कहेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि किस तरह से उन्होंने यह बताया। मगर जहां कहीं भी इस तरह की तकावी के ऊपर सूद लिया गया है जैसा कि माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य ने कहा है कि उन्होंने खुद ने कैल्कुलेट किया है और तकावी फॉर्म भरवाये हैं तो नियमों के खिलाफ अगर सूद ले लिया गया है तो कार्यवाही की जा सकती है । ऐसे केसेज़ के बारे में तो मैं यह कहूंगा कि समय से पहले ही लिख कर भेज दें तो उस पर कार्यवाही करके उनके पास सूचना भेज दें । बाकी रहा तकावी के बारे में तो इसके बारे में गवर्नमेन्ट की पालिसी साफ है कि किसानों को जल्दी से जल्दी और बगैर किसी असुविधा के तकावी मिलनी चाहिए और इसी कारण से अलग-अलग क्षेत्रों में कमेटियों का गठन किया गया है । मैं समझता हूं कि जहां पर तकावी वितरण कमेटियां ठीक तरह से काम कर रही हैं वहां वक्त पर तकावी मिलती है और जहां पर ये कमेटियां ठीक तरह से काम नहीं करतीं वहां ही शिकायतों का मौका आता है । फिर भी शिकायतें प्राप्त होते ही हम उन पर कार्यवाही करते हैं । फैमिन तकावी के बारे में यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि जहां पांच-सात गांवों को एक ग्रुप में डाल कर एक तकावी बांटने का सेन्टर बना देते हैं कि वहीं तकावी बांटी जायेगी और इस तरह के सेन्टर किसानों को समय पर और बिना असुविधा के तकावी मिले इसके लिए ही बनाये गये हैं । रही समय की बात तो जब बजट आता है और ग्रान्ट हो जाता है तो तकावी के लिए दरख्वास्तें इन्वाइट कर ली जाती हैं और तकावी दे दी जाती है और अगर वक्त के ऊपर तकावी का पैसा नहीं होता तो उसके लिए अलग से प्रबन्ध किया जा सकता है । यह बात जरूर है कि आम तौर से कहीं ऐसा होता है कि तकावी में बहुत देर लग जाती है और जुलाई के महीने तक भी तकावी नहीं मिल पाती तो उसके लिए साफ तौर से तहसीलदारों को इन्सट्रक्शन्स दे दी जायेंगी कि बजट पास होने के पहले ही वह तकावी की रकम की सेंक्शन एन्टीसीपेशन में मंगवा ली जायें और काश्त का समय आता है उससे पहले ही तकावी दे दें । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को मेरे इतना कहने से संतोष होगा और वह अपने कट मोशन को वापिस ले लेंगे ।

श्री रामकरणसिंह : माननीय अध्यक्ष, अभी मैंने अर्ज किया जिसके लिए माननीय मंत्रीजी ने बताया । मैंने यह चीज नहीं बताई है कि उनका केस कम्प्लीट नहीं है । तकावी कमेटी जो तहसील के सरपंच, एम. एल. ए. और तहसीलदार से बनती हैं उन्होंने और जिस एरिया से तकावी मांगते हैं उसके सरपंच के पास करने पर और उनके यहां से कम्प्लीट कागजात होने के बाद में जो डिले होती है उसके लिए माननीय मंत्रीजी ने कोई बात नहीं बताई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि आप ऐसे केसेज़ मेरे ध्यान में ला सकते हैं जिनमें डिले हुई है मन्जूरी होने के बाद में, लेकिन आपने अभी फरमाया कि कोटपुतली तहसील में कुछ केसेज़ ऐसे हैं कि जिनके लिए मन्जूरी चल गई और तकावी नहीं दी गई । यह मुमकिन नहीं मेरे लिए जानना जब तक कि मेरे ध्यान में यह नहीं लाया जाय कि अमुक मामले में फलां काश्तकार की दरख्वास्त यह थी और मन्जूरी होने के बाद में भी उसको तकावी नहीं दी गई; तभी जांच हो सकती है । इसलिए मैंने अर्ज किया कि जितने भी स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ हों आप बता दें तो जांच करवाकर कार्यवाही करूंगा ।

Page No.44

श्री रामकरणसिंह : मैंने अर्ज किया था कि ५६–५७ में ८०००) रु० का लोन मन्जूर हुआ था और दरख्वास्तें आ चुकी थीं और पूरे का पूरा ८ हजार लेप्स हो गया है और उस साल एक पैसा भी तकावी का नहीं दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए मैंने अर्ज किया कि जांच करूंगा। आपने यह सूचना दी है कि पैसा लेप्स हो गया है। इसकी जांच करके जवाब दे सकता हूँ। अगर आप पहले बता देते तो मैं जानकारी कर लेता अब तक।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा कट मोशन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने पेश किया है उसको वापिस लेने की उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री रामकरणसिंह : I withdraw my cut motion-

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७१ स्वीकार की गई।

१२·४२ म. प.

मांग संख्या ५७

४७. विविध विभाग

(समाज कल्याण विभाग)

श्री हरीभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, 'कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक ४७, विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १५,३७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।'

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (सीकर) Mr. Speaker, Sir, I move that, 'That the demand No. LVII-47 Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 1/- to(discuss the failure of the Government in the proper utilisation of the funds allotted for their welfare.)'

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : एक कट मोशन और है आपका वह भी मूव कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस पर पहले बोल लूं या दोनों को ही मूव कर दूं।

श्री अध्यक्ष : पहले आप मूव करलें उसके बाद में बोल लें। It is taken as moved, आप बोल लें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दूसरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है 'That the demand No. LVII-Major head XLVII be reduced by Rs. 1/- (to discuss the unsatisfactory working of the Automobile Department and misuse of state cars).

यह जो मेरा पहला प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, वह पिछड़ी हुई जातियों के संबंध में जो फन्ड्स दिये जाते हैं उनके बराबर युटीलाइज़ेशन के संबंध में है। जहां तक इस विभाग से मेरा सम्बन्ध आया है और जहां तक इस क्षेत्र के अन्दर राज्य सरकार की जो कार्यवाही हुई है, उससे, अध्यक्ष महोदय, ऐसा पता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लगता है कि वहां पर पिछड़ी हुई जातियां हैं या जिनको इस प्रकार के नाम से इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, उनमें विशेष तौर से सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हैं, वे भंगी जाति के लोग हैं। उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इस जाति के उत्थान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आज कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी इनके जो काम करने का ढंग है, उस काम करने के ढंग में कोई अन्तर नहीं आया है। जहां एक ओर हम समानता, समाजवाद या इसी प्रकार की और भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों की घोषणा कर रहे हैं और मानव और मानव में एकता लाने की जो बात कहते हैं और वर्ष में एक बार हरिजन-दिवस मना कर भिन्न भिन्न जिलों और स्थानों में और उस रोज बड़े–बड़े अधिकारी हरिजनों की बस्तियों में जा कर और वहां पर हरिजनों को आपस में खेलकूद कराते हैं और किसी किसी जगह चाय पीने का प्रयोग भी रखा जाता है और हरिजनों को मिठाई भी बांटी जाती है। इसके बाद में इसके अलावा भी उन लोगों के विकास का दृष्टिकोण भी है या नहीं राज्य सरकार के सामने, ऐसा कभी भी नहीं दिखाई देता है। अपने प्रान्त में तो अधिक नहीं है वर्ना ऐसा भी प्रयास किया जाता है कि उनको मन्दिरों में घुसेड़ें। इसके अलावा इस जाति की विशेष कोई उन्नति नजर नहीं आती। हरिजन–दिवस मनाकर एक स्टन्ट पैदा किया जाता है कि हरिजनों के विकास के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मगर वास्तव में काम को देखा जाय तो इन लोगों के अन्दर राज्य सरकार के भिन्न भिन्न काम हैं, जिसने इनके अन्दर कई जातियों का निर्माण कर दिया है, इनके अन्दर कई श्रेणियों का निर्माण कर दिया है। किसी निश्चित जाति के छात्रावास उसके अन्दर दिखाई देते हैं, केवल मीणा जाति के लोग या .इसी प्रकार से दूसरी जाति के लोग होते हैं। इसी प्रकार के छात्रावास दिखाई देते हैं जिसके अन्दर केवल बलाई जाति के लोग हैं और दूसरे जाति लोगों को उसमें एडमिशन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था है। समाज कल्याण विभाग जो इस प्रकार से राज्य का विभाग है, उसकी इस प्रकार की नीति निर्धारित है। कम से कम भंगी जाति को सवर्णों में मिलाने का प्रयास किया जाता है, यह दूसरी बात है, लेकिन राज्य के एक विभाग में इस प्रकार के कार्य हों, जिन संस्थाओं को राज्य की ओर से अनुदान दिया जाता है, यहां तक कि सारे का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, उनके कार्यों को यदि हम देखते हैं तो वर्ग–भेद मिटाने के बजाय वे और वर्ग-भेद किये जा रहे हैं। और विशेष तौर से भंगियों की जो स्थिति है उसके अन्दर तो उनके काम कराने के ढंग में कोई परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उनका आर्थिक दृष्टि से कोई विकास हो इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि वर्ष में एक दिन चाय–पान जरूर किया जाता है। उन लोगों के विकास के लिए कोई अच्छी तरह शिक्षा दिये जाने के लिए प्रबन्ध नहीं है, यहां तक कि दूसरी जातियों के होस्टल वगैरह होते हैं, उनके अन्दर एडमीशन दिया जाय, प्रयास पूर्वक दिलाया जाय, इसके सम्बन्ध में न कोई निश्चित् योजना है और न ही कोई प्रयास है। इसके अलावा इन लोगों के गृह–निर्माण के संबंध में भी इस प्रकार से कहा जाता है कि इतने घरों का निर्माण हरिजनों के लिए किया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

गया है, लेकिन जहां तक मेरे घूमने का अवसर आया है, इन लोगों को मकानों के लिए वास्तव में कोई अधिक सुविधा नहीं दी गई है। जहां तक बिजली का सवाल है, एक उदाहरण मैं सरकार के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार के भेद-भाव का प्रयास किया जाता है। सीकर जिले में बिजली के लिए सहायता दी गई। जिन मोहल्लों में बिजली गई वह इस प्रकार के थे कि यद्यपि सीकर में इतनी हरिजन जातियां थीं, किन्तु एक ही जाति के लोग जो कि तीन मोहल्लों में थे उनके अन्दर बिजली चली गई, यानी वहां पर बलाइयों के जितने घर हैं उनमें बिजली चली गई, किन्तु रेगरों, खटीकों के और भंगियों के किसी के भी मोहल्ले में बिजली नहीं गई। इस ओर समाज कल्याण विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि उन मोहल्लों में नहीं भेजी जाय, लेकिन उनके ऊपर भी जो ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, जो लोग बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं, उनको उठाने का अधिक प्रयास करना चाहिए। यह एक उदाहरण है इससे आप पता लगा सकते हैं। बिजली लगाने में आधा म्युनिसिपल कमेटी ने और आधा समाज कल्याण विभाग ने दिया और वह योजना सेन्क्शन हुई। ये तीन मोहल्ले अलग अलग वार्ड्स में है और वार्डों में भी हरिजन लोग हैं। उनके यहां पर न जाकर उनके नाम पर जो कुछ पैसा खर्च होता है वह एक जाति विशेष के लिए खर्च होता है। इतर जातियों के छात्रों को उनके लिए बनने वाले होस्टलों में एडमिशन नहीं कराया जाता है।

दूसरे मकान निर्माण के सम्बन्ध में अभी मेरे पास सूचना मिली है कि सोजत के अन्दर गाडोलिया लुहारों के लिए १०४ क्वार्ट बनाये गये।

१ म. प.

इनके लिए जो मकान बनाये गए उनके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया और ऐसे व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने का काम शुरू किया गया कि मकान में रहने वाले तो उनमें बाद में आये लेकिन उसके पहले ही ३७ मकान ढह गये। कार्य-कर्त्ताओं के द्वारा यह काम कराया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि १०४ मकानों में से ३७ मकान पहले ही ढह गये। इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग ने किस प्रकार का कार्य कराया, उसका नक्शा हमारे सामने है। यदि आप इन पिछड़ी जातियों का उत्थान चाहते हैं तो केवल नारे लगाने से और एक दिन हरिजन दिवस मनाने से ही उनका उत्थान नहीं हो जायगा। उनके लिए आज जरूरत यह है कि उनका आर्थिक विकास किया जाय। उनका आर्थिक विकास किस तरह से हो सकता है इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि ये लोग म्युनिसिपेलिटीज़ में काम करते हैं। डाइरेक्टली मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि हम से म्युनिसिपेलिटीज़ का सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जो लोग म्युनिसिपेलिटीज़ में काम करते हैं उनकी दयनीय स्थिति है। आज जयपुर म्युनिसिपेलिटी के हरिजन किस प्रकार काम करते हैं, इसे आप देखें तो पता चलेगा कि वे गंदी गलियों में से किस प्रकार मैला निकालते हैं। उनके झाड़ू, उनकी टोकरियें, उनकी गाड़ियें आदि जो उनको म्युनिसिपेलिटी देती है, उनकी बुरी हालत को देख कर कोई भी व्यक्ति उनसे सम्पर्क रखने को तैयार नहीं होगा। इस गंदे ढंग से काम उनसे कराया जाता है जिसे कोई

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ठीक नहीं कह सकता। इन भंगियों की आर्थिक दशा भी बहुत खराब है। आज ३०–३० रु० माहवार उनको तनख्वाह मिलती है। मुझे याद है कि छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ में उनको ३० रु० माहवार दिया जाता है। इतनी कम तनख्वाह में कैसे अपने परिवार का पालन कर सकेंगे ? इस पर आप कहते हैं कि वे झूठा खाते हैं, रोटियां मांग कर लाते हैं, ये सब उनमें बुरे संस्कार पैदा करते हैं। लेकिन क्या हम मानते हैं कि ३० रु० माहवार पाने वाला आदमी अपने बच्चों को पढ़ायेगा, खुद अच्छे कपड़े पहनेगा और खाना खायेगा और जितनी सुविधाएं प्राप्त करनी चाहियें वे प्राप्त कर सकेगा। तो राज्य सरकार जो अनुदान म्युनिसिपेलिटीज़ को देती है या म्युनिसिपेलिटीज़ को जो सबसिड़ी देती है उसमें से कुछ भाग उनको हरिजन कर्मचारियों के विकास के लिये स्पेशल रूप से देना चाहिये। उनके वेलफेयर के लिये रुपये मांगे हैं लेकिन उससे वेलफेयर नहीं होता है। म्युनिसिपेल्टीज़ को जितनी सबसिडी दी जाती है वह इन हरिजनों के विकास के लिये नहीं खर्च की जाती है। उनकी टोकरियें कैसी होनी चाहियें, उनकी गाड़ियें कैसी होनी चाहियें, उनके झाड़ू कैसे होने चाहियें, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उनके मकानों में बिजली पहुंचती है या नहीं, उनको जो कपड़े मिलते हैं उनका चेकिंग होता है या नहीं, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और न उनके विकास के लिये पूरा खर्चा किया जाता है। जब तक आर्थिक दृष्टि से उन पर खर्चा नहीं किया जाता है और उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं की जाती है तब तक झूठे नारे लगा कर ध्यान आकर्षित किये जाने से कुछ नहीं होने वाला है। यह कहने से भी कुछ नहीं होगा कि उनके लिये सर्विसेज़ में रिजर्वेशन हो गया है। कहने को तो छोटी सर्विसेज़ में उनके लिए रिजर्वेशन हो गया लेकिन बड़ी सर्विसेज़ में उनकी उपेक्षा की गई है। उनके लिये कोई योग्यता का आधार नहीं है और जहां योग्यता को आधार माना गया है वहां उनको बाई पास किया गया है; नहीं उनके अन्दर शिक्षा का उचित प्रसारण किया गया है।

जब तक उनके अन्दर शिक्षा का प्रसारण नहीं होगा तब तक आप चाहे जितनी योजनाएं बनावें, उनमें सफलता नहीं मिलेगी। आज शिक्षा के अभाव के कारण उनके मुहल्लों में जाते हैं और उनको अपने पास बैठाने का प्रयास करते हैं तो वे हमसे हाथ जोड़ कर दूर हो जाते हैं। आज यदि उनके साथ खाने-पीने का प्रयास मंत्री जी करते हैं तो वे स्वयं दूर भागने लगते हैं। उनके अंदर शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि हरिजन मोहल्लों में ही स्कूल खोलना सांप्रदायिकता होगी। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सांप्रदायिकता का सवाल नहीं है। हरिजनों के लिए जो स्कूलें खोली जाती हैं उनका आज बुरा हाल है। मैं आपके सामने सीकर की हरिजन स्कूल का उदाहरण रखूं तो आपको पता चलेगा कि उस स्कूल का छत आज पांच साल से अधूरा है और कोई मास्टर वहां पढ़ाने नहीं जाता। जितने भी अध्यापक रखे गये उनमें से कोई भी वहां जाकर पढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिये बलाई छात्रावास में से कभी किसी को भेजा जाता है तो कभी किसी को भेजा जाता है। उनकी जाति वालों को ही वहां भेजने का प्रयास किया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक हरिजन मोहल्ले में स्कूल खोले जाने चाहियें और दूसरे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लोगों के बच्चे वहां पढ़ने के लिये जाने चाहियें। ऐसे अध्यापकों को पढ़ाने के लिये भेजा जाना चाहिये जो स्वेच्छा से जाने के लिये तैयार होते हैं। ऊपर से यदि किसी पर यह योजना डाली गई तो लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे और समाज में भेद पड़ने लग जायगा। स्वेच्छा से कार्य करने वाले भी कई कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं जो वहां जा कर पढ़ाने को तैयार हो जायेंगे।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी स्कूलें नई खोली जाती हैं उनमें से निर्धारित पर्सेन्टेज हरिजन बस्तियों में स्कूलें खोलने का होना चाहिये। जिस प्रकार का पर्सेन्टेज आप नौकरियों में देते हैं उसी प्रकार का पर्सेन्टेज विद्यालयों के लिये भी होना चाहिये। गांवों में स्कूलें खोलते हैं तो गांवों के हरिजन मोहल्लों में खोलनी चाहिये। यदि उस मोहल्ले में खोलेंगे तो बाकी विद्यार्थी भी उस मोहल्ले में आयेंगे और इस मोहल्ले के निवासियों को वास्तविक परिस्थिति को देखने का उन्हें मौका मिलेगा। इसके विपरीत यदि अच्छे कपड़े पहन कर हरिजन विद्यार्थी दूसरी जगह चले गये तो दूसरे लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने का मौका कम मिलेगा। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिये कि दूसरे लोग अधिक से अधिक उनके संपर्क में आवें। इस प्रकार की योजना राज्य सरकार की नहीं है। मैंने इन्हीं बातों को देखते हुए महसूस किया है कि राज्य सरकार के पास ऐसी योजना नहीं है कि जो हरिजनों के विकास में सहयोग दे सके; प्रायः इन्हीं बातों को सोचते हुए यह कट मोशन रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका जो दूसरा कट मोशन है उस पर भी भाषण हो जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा दूसरा कट मोशन इस प्रकार है : 'that the Demand No.LVII Major head XLVII be reduced by Rs. 1/- (to discuss the unsatisfactory working of the Automobiles Department and misuse of State Cars).'

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य सरकार की मोटरों के सम्बन्ध में एक इस प्रकार की योजना है जैसा कि हमने जिला हैड-क्वार्टर्स पर देखा है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट पूल होता है वहां पर सरकारी गाड़ियें रहती हैं। लेकिन उस पूल के अलावा भी आज बहुत से विभागों के पास बहुत सी गाड़ियें हैं और उनका उपयोग हमको साधारणतः यह दिखाई देता है, जिला स्थानों पर हमको इस प्रकार की चीज देखने का मौका मिलता है कि कलेक्टर्स, एस.पीज. व एस.डी.एम. जिनके पास गाड़ियें हैं वे अफसर जब कभी व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने या जब घरेलू काम से जाते हैं तब अक्सर इन सरकारी गाड़ियों का वे दुरुपयोग करते हैं। जिन स्थानों पर एक आदमी ट्रेन से आसानी से जा सकता है उन स्थानों पर जाने के लिये भी इन गाड़ियों का उपयोग होता हुआ देखने को मिलता है। पूल की गाड़ियों का भी इसी प्रकार से दुरुपयोग होता है। कोई देखने वाला और चैक करने वाला नहीं है। यहां पर भी बाजार में उसमें सरकारी गाड़ियें देखने को मिलती हैं। मैं कोई मंत्रियों की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में होना यह चाहिये कि स्टेट की गाड़ियों का उपयोग केवल सरकारी कार्य के लिये जाते समय ही होना चाहिये। बाकी निजी कार्यों के लिये अपनी निजी गाड़ियों का उपयोग करना चाहिये। एसेम्बली में आवें या सेक्रेटेरियट जावें या दूसरे सरकारी काम पर जावें तभी सरकारी गाड़ियों का उपयोग करना चाहिये।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसी तरह से राज्य के जिन बड़े अधिकारियों को गाड़ियें मिली हुई हैं उनको भी गाड़ियों का उपयोग सरकारी काम के लिये ही करना चाहिये। मुझे यहां तक ज्ञात हुआ है केन्द्रीय सरकार का यह नियम है कि मंत्रियों के घर पर ऑफिस के टाइम पर डिपार्टमेन्ट की गाड़ियें आती हैं और वहां से उनको लेकर ऑफिस में छोड़ आती हैं और जब ऑफिस टाइम खत्म होता है तो वह गाड़ी उनको लेकर उनके घर पर पहुंचा देती है। उसके बाद अगर उन्हें व्यक्तिगत काम से जाना होता है तो वे अपनी निजी गाड़ी लेकर जांय या टेक्सी या दूसरा साधन जो उपलब्ध हो, उसको लेकर जांय। लेकिन आज यहां पर क्या होता है कि यदि व्यक्तिगत काम से भी किसी स्थान पर जाना हो तो वे स्टेट-कार के अन्दर जा सकते हैं। इस प्रकार स्टेट कार से आने से, लोगों में जो भावना होनी चाहिए, वह न हो कर दूसरे प्रकार की भावना का निर्माण होता है। यदि हमें हमारे देश के अन्दर प्रजातंत्र प्रणाली की स्थापना करनी है तो समाज के सामने, देश के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। एक दफा मैंने अखबार में पढ़ा था कि इंगलैंड में जब आम चुनाव हुए थे तो उस समय जो प्रधान मंत्री थे, मि० एटली, उन्होंने चुनाव के पूर्व ही स्टेट की गाड़ी को छोड़ दिया और अपनी प्राइवेट गाड़ी के द्वारा दौरा शुरू कर दिया। हमारे यहां ऐसे भी अवसर आये हैं कि जब चुनाव के दिन आते हैं तो उस स्थान पर मंत्री महोदय दौरे निकाल कर गये हैं। इसलिए अगर हमें अपने देश में, अपने प्रान्त में प्रजातंत्र प्रणाली को सफलता पूर्वक निभाना है तो राज्य का जो धन है, जो सार्वजनिक धन है, उस धन का किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का दुरुपयोग होता है, तो वह क्षम्य नहीं है। इस धन के दुरुपयोग की योजना को रोकने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करनी है तो हमारी चुनी हुई सरकार के रिप्रेज़ेन्टेटिव, मुख्य मंत्री से लेकर मंत्री-परिषद् के अन्य मंत्रियों द्वारा ऐसी योजना शुरू की जाय कि वे स्टेट कार का दुरुपयोग न करें। इस प्रकार नीचे के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा और डिस्ट्रिक्ट के अन्य अधिकारियों द्वारा जो गाड़ियों का दुरुपयोग होता है, उसको चेक करने के लिए हम बिल्कुल योग्य होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार स्टेट गाड़ियों के दुरूपयोग पर हम पूर्णतया पाबन्दी के नियम बनायें कि स्टेट कारों को किसी प्रकार व्यक्तिगत उपयोग के लिए न लिया जाय।

मैंने जो ऑटोमोबाइल डिपार्टमेन्ट और हरिजनों के लिए दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनको सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): माननीय अध्यक्ष, सीकर से आने वाले सदस्य ने, हरिजनों के वैलफेअर के लिए जो धन राशि रखी जाती है, उसका उपयोग उनके वैलफेअर के लिए नहीं होता, इस सम्बन्ध में, कटौती प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलता है, पेपर्स में पढ़ने को मिलता है कि हरिजनों के लिए संस्कार केन्द्र खोले जायं, होस्टल खोले जायेंगे, हरिजनों के मकान जो बरसात में नष्ट हो जायेंगे, उनके लिए उनकी हर प्रकार से मदद की जायगी, हरिजनों के लिए पानी का प्रबन्ध किया जायगा। शायद इसके लिए खर्च भी होता होगा। मगर मैं जिस कॉन्सटीट्यूएन्सी से आया हूं उस स्थान,

Page No.50

(श्री रामकरणसिंह)

कोटपुतली, के बारे में अर्ज कर रहा हूं कि वहां किसी प्रकार की सहूलियत हरिजनों को दी गई, इससे मैं इनकार करूं तो बुरी चीज नहीं होगी। पिछले दिनों में यहां से समाज कल्याण विभाग के इन्सपेक्टर को बुला कर ले गया और बरसात में हरिजनों के मकान जो टूट फूट गये थे, उनको नोट कराया। मैं समझता हूं उन्होंने अपना टी० ए०, डी०ए० तो लिया होगा लेकिन उसके बाद दुबारा जब तलाश किया गया तो वह लिस्ट ही नहीं मिली। जब लिस्ट नहीं मिली तो मैंने डाइरेक्टर से अर्ज किया। उन्होंने इतना जरूर किया कि उन्होंने मेरे आगे ही लिखा कि जो जयपुर डिवीज़न का विभाग है उससे यह लिस्ट मंगाई जाय। जयपुर डिवीज़न के जो डिप्टी डाइरेक्टर हैं, मैं उनसे मिला। उन्होंने बताया कि वे इन्सपेक्टर साहब को दुबारा भेज रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह मैं नहीं जानता, यह विभाग जाने लेकिन न तो वह दुबारा लिस्ट बनाई गई और न कोई चीज हुई। जो लिस्ट तहसील पंचायत में थी, वह मैं जरूर इस बार अपने साथ लेकर आया हूं। इस प्रकार से कार्यवाही होती है, बरसात में टूटे फूटे मकानों के बारे में इस प्रकार कार्यवाही होती है। संस्कार केन्द्र के बारे में मैं कोटपुतली के बारे में अर्ज करूं कि वहां पर काफी संख्या में हरिजन हैं, उनको काफी अच्छी तरह से बसाया गया है लेकिन उनकी ओर से संस्कार केन्द्र के लिए दर्ख्वास्त की गई, उनको इसके लिए विश्वास दिलाया गया और एक-दो बार इन्सपेक्टर को भी भेजा गया। मुझे भी एक-दो दफा जाना पड़ा और उसके लिए एक दर्ख्वास्त माननीय मंत्रीजी को दी और एक डाइरेक्टर साहब को भी दी। वहां से भी मुझे विश्वास दिलाया गया, लेकिन वह विश्वास विश्वास के रूप में ही है। उसके लिए यह चीज जरूर कही गई कि दो दिन में, १० दिन में एक महीने में टेलरिंग स्कूल खुल जायगा, संस्कार केन्द्र खुल जायगा। हमें केवल बात बात पर इन्तज़ार करना पड़ता है और निराश होकर चुप बैठना पड़ता है। इसके अलावा पानी का जो इन्तजाम है, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि समाज कल्याण विभाग ने एक-दो कूएँ इस लम्बे अर्से में भले ही बनवा लिये हों, लेकिन समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजनों को पानी की एड किसी प्रकार से नहीं मिली है। ऐसा पानी का कोई प्रबन्ध हुआ हो, यह सम्भव नहीं है।

हाउस जो हरिजनों के लिए कन्सट्रक्ट किये जाते हैं उसके लिए ३५० रु० गवर्नमेंट की ओर से बतौर मदद के दिये जाते हैं। लेकिन मकान बनाने में एक शर्त हैं कि जो समाज कल्याण विभाग का नक्शा होता है, उसके आधार पर मकान बनाया जाय। इसके लिए भी लिखा पढ़ी की जाती है, लेकिन जब मैं हरिजनों से बार बार मिला तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लिखा पढ़ी करने पर भी हमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली है। कहने को तो यह है कि जो भी पैसा हरिजनों के लिए रखा जाता है, वह उनके लिए ही खर्च होता है लेकिन मेरा निवेदन है कि उस पैसे का प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हैं। किसी एक एरिया में, जहां सरकार का झुकाव हो जाता है, वहां मन माने ढंग से और जबर-दस्ती पैसे को कई कामों में लगाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कुछ ऐरिया ऐसा होता है, जहां कभी कभी विभाग की तरफ से आंख उठा कर देखना भी एक बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है। वहां कभी ही

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

शायद डिप्टी डाइरेक्टर या इन्सपेक्टर महोदय एक-दो दफा गये होंगे, वह भी बुलाने पर, दर्ख्वास्त आदि देने पर। लेकिन जो समाज कल्याण विभाग के इन्सपेक्टर और अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने वहां जाने का कष्ट नहीं किया ।

१.१८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी एरिया में काफी काम होता है और किसी एरिया में किसी प्रकार का काम नहीं होता है। ऐसे एरिया के हरिजनों ने किसी प्रकार का फायदा उठाया हो, इसके बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रकम, मान लीजिये, किसी डिवीजन के लिए मंजूर होती है, वह किसी रूप में क्यों हो, किसी प्रकार की रकम क्यों न हो, जितनी भी रकम होती है, उसको तहसील वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाय ताकि हर हरिजन उसका पूरी तरह से फायदा उठा सके । इसके अलावा जितने भी लोन्स हैं, मकानों के लिए लोन्स हैं, पानी के लिए हैं, अन्य प्रकार के हैं, कई प्रकार के लोन्स और सहूलियत, जो हरिजनों को फायदा पहुंचाने के लिए है, उनके उत्थान के लिए जो रकम मंजूर की जाती है, उन लोन्स का, रकम का गवर्नमेंट की तरफ से तहसील वाइज़ प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन हो । तो मेरे ख्याल से, हर तहसील के हरिजनों को उनके उत्थान के लिए पैसा मिल सकता है । इसके अलावा जो ये कार्य होते हैं, उनकी, विभाग की तरफ से, सर्वे होती है या नहीं होती है, यह मैं नहीं जानता, मगर मेरी राय है कि इनका सर्वे होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस हिस्से में हरिजनों को किस प्रकार से सहूलियत दी जाती है, किस हिस्से के हरिजनों को किस प्रकार सहूलियतों से अलग रखा जाता है, उनको किस प्रकार मदद नहीं दी जाती है और आगे के लिए जो प्लान रखा जाता है, उस प्लान के अन्दर, जो हिस्से रह गये हैं, उनको मदद देनी चाहिए। इसके साथ ही मेरी यह भी अर्ज है कि हरिजनों के लिए जो डिवीजन में रकम अलॉट होती है, उसको तहसील वाइज़ अलॉट किया जाय। इसके अलावा जो संस्कार केन्द्र, टेलरिंग स्कूल आदि खोले जायं, वे ऐसी जगह खोले जायं, जहां अधिक से अधिक क्षेत्र के हरिजन उसका फायदा उठा सकें। यह नहीं होना चाहिए कि जहां पर किसी की निगाह हुई, वहां ही ये केन्द्र आदि खोले जायं लेकिन इन केन्द्रों का कितनी जन संख्या पर, कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, इसका ख्याल रखा जाय। यह भी देखा जाय कि लोगों को ऐसे केन्द्रों में कितनी दूर से आना पड़ेगा और कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी ? इन केन्द्रों से अधिक से अधिक जन संख्या को फायदा हो, इसका ध्यान रख कर आगे से समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार की संस्थायें खोली जायं, तो उत्तम होगा । इसके बारे में मुझे यही अर्ज करना था ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से प्रस्ताव का ?

श्री हीराभाई : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने जो रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया हूं, आप आरम्भ रखिये ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, उनकी आर्थिक स्थिति को सफल बनाने के लिए जो सहायता दी जाती है, उसकी क्या हालत होती है, उसकी में आपके सामने पूरी जानकारी बताऊं। हरिजनों के लिए पहली बात तो यह है कि हरिजनों के लिए नाम मात्र को, एक दूसरे के साथ बैठ कर, जो काम किये हैं, उनके द्वारा हम इनको ऊंचा उठाने में सफल नहीं रहे हैं। वैसे मैं तो भील हूं हरिजन लोग मेरे साथ आ गये, मुझ से दूर नहीं हैं। आज सारे हिन्दुस्तान में हरिजन दिवस मनाया जाता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब कुशलगढ़ में हरिजन दिवस मनाया गया था और जिस समय वहां पर हरिजनों का जुलूस जा रहा था, उस समय वहां के हरिजनों को वहां की म्युनिसिपेलिटी ने छुट्टी नहीं दी थी। वहां के हरिजन उस समय झाड़ू लगा रहे थे और दूसरी तरफ हरिजनों का जुलूस घूम रहा था। इस तरह से एक तरफ तो हरिजन दिवस मनाते हैं, लेकिन सवाल आता है कि हरिजन दिवस क्यों मनाते हैं, हम हरिजन दिवस अपने मतलब के लिए मनाते हैं, हरिजनों के लिए मनाते, उनकी भलाई के लिए नहीं मनाते। उनकी भलाई करना है, उनको ऊंचा बिठाना है तो हरिजनों को उनके जुलूस में जाने के वास्ते नहीं बुलाया जाता। इस तरह का हरिजनों के साथ वर्ताव होता है। दूसरा यह है कि उनको भर-पेट खाने के लायक तनख्वाह नहीं दी जाती है। म्युनिसिपेलिटी में हरिजनों से झाड़ू निकलवाया जाता है, सारे दिन काम लिया जाता है लेकिन उनको तनख्वाह ३० रूपया माहवार से ज्यादा नहीं दी जाती। हरिजनों के पास दो–तीन जोड़ी कपड़े होंगे तभी तो वे लोग सफाई से रह सकते है, एक, ही जोड़ी कपड़ा हो तो वह उसकी सफाई कैसे कर सकता है, जब कि सारे दिन वह सफाई करने में लगा रहता है। इसी तरह से हरिजनों की ऐसी हालत रहती है, नहीं तो हरिजन भी मनुष्य हैं, वे भी सफाई से रहना चाहते हैं। उनके लिये गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि उनकी तनख्वाह ३०) रुपयों की जगह ५०), ६०) रुपयें कर दिये जायं। तब तो हरिजनों में, आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। ऐसा नहीं किया तो हरिजन हमेशा दूर ही रहेंगे, उनके पास कपड़े धोने की गुंजाइश नहीं है, कपड़े बदबू देंगे ही, वे क्या कर सकते हैं ? उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस तरह पिछड़ी जातियों के लिये यह सब नहीं होता, गुजारे के लायक तनख्वाह नहीं मिलती और दूसरी तरफ सरकार हम से कहती है कि हम हरिजनों को ऊंचा उठना चाहते हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, कोरी तसबीरें खिंचाने से और कहने से हरिजन ऊंचे उठने वाले नहीं है। पगार बढ़ाते नहीं, लोग अभड़ाते हैं। चमार मिट्टी खाता है तो हम उनसे अभड़ाते नहीं, देहातों में भेदभाव है, इसका कारण यह है कि उनको गुंजायश के माफिक गुजर करने लायक खर्चा करने के लिये तनख्वाह नहीं मिलती, बदलने के लिये कपड़े नहीं मिलते। मकान बनाने के लिये, और छोरों को पढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है, इसी लिये हरिजनों की ऐसी स्थिति रहती है, वरना वे भी मनुष्य हैं।

पानी के लिए कूएं खोदने के वास्ते समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता दी जाती है तो पहले उनको पैसा नहीं दिया जाता कहा जाता है कि पहले तुम कूंआ खोद दो फिर किश्तों में तुमको पैसे दे देंगे, तो यह सोचने की बात

(श्री हीराभाई)

है कि जब उनके पास पैसे ही नहीं हैं तो वे कूएं कैसे खोद सकते हैं, सरकार को ही वहां प्रबन्ध करना चाहिए, सरकार को ही खुदवाना चाहिए, नहीं तो रकम पहले दे कर कूएं खुदवाएं ताकि वे लोग अपने लिए कूएं खोद सकें, वरना पहले से उनको कह दिया जाय कि पहले तुम अपना कुंआं खोदो, फिर गवर्नमेन्ट के हिसाब के माफिक किश्तें चुका देंगे। पैसा नहीं है तो कैसे खोद सकते हैं, बाद में उनकी मयाद खत्म हो जाती है और आपकी रकम लेप्स हो जाती है। इस तरह का सरकार का हरिजनों के साथ रवैया है। पिछड़ी हुई और समाज कल्याण विभाग के अन्दर जितनी जातियां आती हैं, वे तब तक नहीं उठ सकतीं जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाता। या तो उनको कूएं खुदवाने के लिए पैसे दिए जायं या फिर म्युनिसिपैलिटियों की देख-रेख में, ग्राम पंचायतों की देख रेख में या सरकार अपनी देख–रेख में उनका काम पूरा कराये। नहीं तो कुएं खुदवा कर बाद में किश्तें चुकाई जायं, इससे तो काम बनने वाला नहीं है। आप १०० रुपयों की सहायता देते हैं, १०० रुपयों का काम वे लोग करते हैं, उनको कह दिया जाता है कि तुमने ५० रुपयों का ही काम किया है और इस तरह उन लोगों के द्वारा की गई मेहनत भी बेकार जाती है और सरकार का रुपया यों ही लेप्स होता है तो इस तरह से तो इनको ऊंचा नहीं उठाया जा सकता और न काम होने का है। इसलिए जो हरिजनों के लिए काम करवाने हैं वे आप ग्राम पंचायतों की देख–रेख में, म्युनिसिपैलिटियों की देख रेख में काम करवा दिए जायं तभी सफलता मिल सकती है।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि उनको पूरा टाइम पर पैसा नहीं मिलता, पेट भर तनख्वाह नही मिलती, सारे दिन भर काम लिया जाता है, जुलूस में साथ नहीं दिया जाता तो हमें मालूम नहीं होता कि यह सफल हो रहा है। मुझे यही कहना था।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के मुखालिफ हूँ, विरोध में बोलता हूँ। यह समाज कल्याण विभाग की मांग है, वह उचित है। यह कहा जाता है कि देश में हमारी सरकार हरिजनों के लिए काम नहीं कर रही है, यह बिलकुल गलत है। आप देखिए राजस्थान बना इससे पेश्तर हरिजनों की क्या दशा थी और आज उनकी क्या-दशा है. इस पर विचार करें तो मालूम होगा कि इस प्रदेश में सरकारने क्या काम किए हैं। जहां पहले कोई आदमी एक दूसरे के पास में बैठना तो रहा दरनिकार, सामने से निकल जाता था हरिजन तो लोग नहाने की सोचते थे; आज वह दशा नहीं है। आज हमारे हरिजन भाई हर स्कूल में पढ़ सकते हैं, हर दुकान पर जाकर बैठ सकते हैं, हर रेस्टोरेन्ट में जाकर चाय पी सकते हैं, यह कांग्रेस ने और समाज कल्याण बोर्ड ने किया है। इसमें आगे और क्या क्या खराबियां हैं इसके लिए हमें सोचना है। अगर कहा जाता है कि हरिजनों के लिए अलग बोर्डिंग हाउस और अलग स्कूलें हों तो मैं इसके खिलाफ हूं, इस तरह तो समाज कभी भी एकपन में नहीं आ सकता। हरिजन सोचेंगे कि हम अलग हैं और सवर्ण सोचेंगे कि हम अलग हैं। अत: अभी से हम बच्चों के दिमाग में एकता की भावना पैदा करें तो आगे जाकर एक हो सकते हैं और समाज में एकपन की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए हरिजनों के बच्चों को भी एक ही स्कूल में पढ़ाया जाय और जो हरि-

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जन स्कूल में पढ़ने जायं उसको १० रुपया माहवार जरूर दे दें, पर वह हरिजन उसी स्कूल में जाय जिसमें कि दूसरे लड़के पढ़ने जाते हैं। मेरी यह मान्यता है कि इस तरह हरिजनों के लिए अलग स्कूलें और अलग बोर्डिंग हाउस खोलने में जो हजारों रुपया खर्च किया जाता है वह देश के लिए घातक है। हरिजनों के लिए अलग स्कूलें और अलग बोर्डिंग खोलने से तो हमारे समाज में कभी एकता की भावना पैदा नहीं हो सकती, हरिजनों और सवर्णों का सम्मिश्रण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत बोर्ड हैं उनको चाहिये कि इनको इस प्रकार के साधन दें कि जिनसे ये लोग अच्छे ढंग से अच्छी जगह मकान बना सकें, मकान बनाने के लिये और मकानों की दुरुस्ती के लिये इनको सहायता दी जाय। ये लोग सफाई करते हैं उस समय के लिये इनको अलग ड्रेस दी जाय ताकि सफाई करते समय उस ड्रेस को पहन लें और घर पर बदल लें, यह व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिये।

म्युनिसिपैलिटी में कानून बनाना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति जूटा रोटी नहीं ले सके। रोटियां लेते हैं उनके स्थान पर हरिजनों को माहवारी बांध दी जाय, इससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। गांवों में जहां पानी भरने वालों को पांच–पांच, सात सात रुपया माहवार दिया जाता है वहां भंगी को केवल एक आना या दो आना महीने का देते हैं, और इस तरह आर्थिक समस्या के कारण उनको जूठा खाना पड़ता है।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हरिजनों के लिये स्कूल और बोर्डिंग अलग खोले जाते हैं उनको दिन प्रतिदिन कम किया जाकर उन विद्यार्थियों को जो सवर्णों के स्कूलों और बोर्डिंगों में जाते हैं उनको १० रूपया माहवार देना चाहिये।

रावल श्री नरेंद्रसिंह (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उस कटौती के प्रश्न को लेकर कई तो विरोध में बोल रहे हैं और कई पक्ष में, लेकिन मैं दोनों ही तरफ न बोल कर यह निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक का प्रश्न था कि जहां तक हो उनके अन्दर आपस में भेद-भाव मिटाना चाहिये और इस चीज पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया। मैं तो कम से कम 'हरिजन' शब्द के या अस्पृश्य शब्द के अत्यन्त विरूद्ध हूं। उनके वास्ते जैसे मेरे सज्जन ने अभी फरमाया, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि मेरी संस्था में जोबनेर में वहां के वातावरण में, आज से ६० वर्ष पहले से ही कोई भेद-भाव नहीं था और न अब भी है। वहां जब ऐसी स्थिति नहीं है तो इस विषय की ज्यादा चर्चा ही नहीं की जावे। अभी जैसा इन्होंने ज्यादातर भंगियों के वास्ते प्रश्न उठाया तो उनको जहां तक हो सके बिल्कुल अलग रख कर दिक्कत में पटका जाता है, यह नहीं रहना चाहिये, उनको छाती से लगाया जावे जिसके सबब से वे हमारे समाज के शरीर में वे एक तरह का कोढ़ है वह खत्म हो जाए। उस कोढ को खत्म करने के लिये सब से पहले जैसे मंदिर में और दूसरे स्थानों पर, पानी के स्थानों में सारे हरिजन भी जाते रहें तो सारा संकट समाप्त हो सकता है। मेरे यहां दूदू की कॉन्सटीटुएन्सी में ऐसे भी प्रश्न आते हैं और यह सही है कि जैसे दो पार्टिज़ में, किसी में अगर हरिजन भाइयों ने किसी खिलाफ पार्टी की सहायता की है या वोट दिये हैं तो उनके

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

लिये जो सहायता राज से मिलनी चाहिये नहीं दी जाती है, उसके मैं विरूद्ध हूं। इसके अलावा यह हमारी नीति और भावना को भी ठेस पहुंचाती है। हमारे यहां तो जोबनेर में ६० वर्ष पहले से कोई भी सवर्ण या हरिजन बालक एक ही बेंच पर बैठते व पढ़ते रहे हैं। इसके अलावा आज तक कोई भी हरिजन से ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिये जो कॉलेज में आया उसको फ्री शिक्षा दी गई और फ्रीशिप और स्कोलरशिप दी गई और मैंने व्यक्तिगत रूप से दी है। मेरा यह निवेदन है कि यहां तक होना चाहिये कि जो हो उसको पूरा कर दिखावें और उनको सहायता देकर इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो उनके भाव थे उनको नहीं समझा गया और उनके भाव में यह प्रश्न था कि भंगियों को जिस प्रकार आज भी सहायता दी जा रही है वह जिस प्रकार की होनी चाहिये नहीं होती है। मैं तो आज की सरकार को यह दूषण देना नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत सी खामियें हमारी खुद की हैं। हम लोगों को उनको वाजिब सहायता देना चाहिये और छाती से लगाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव सोशियल वेलफेअर या वेलफेअर के बारे में रखा गया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आज जब कि हमारी आशाएं एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की है और उसके अन्दर हम हमारे समाज का ढांचा समाजवादी लाइन्स पर कायम करना चाहते हैं तो उसके अन्दर हमको यह देखना है कि जो पिछड़ी हुई जातियें हैं या वे जातियें जो. टर्म बेकवर्ड क्लास में आती हैं उनको हम एक लेवल पर ला रहे हैं या नहीं, इसके लिये सरकार ने एक मशीनरी सेट अप की। हम जब कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जा रहे हैं तो आज हमको देखना है कि इस मशीनरी की क्या वर्थ है या कितनी जरूरत है और अब तक इस मशीनरी ने कहां तक बेकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट किया है? कहां तक उनकी कन्डिशन्स को इम्प्रूव किया है? इस सम्बन्ध में जहां तक मेरा अनुभव है मैं बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट एरिया हैं, या जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर जितनी भी आपकी सोशियल वेलफेअर की मशीनरी है वह बिल्कुल फेल्योर रही है और वह फेल्योर क्यों हुई इसका खास कारण यह है कि हर एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता। आपने प्रोपर रिक्रूटमेंट नहीं किये। हमने औरतों के वेलफेअर के लिये लेडीज़ को रिक्रूट किया, वे वेलफेअर का काम नहीं जानतीं। वेलफेअर का काम एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और हमारा जो इस सम्बन्ध में रिक्रूटमेंट मेथड है वह उचित नहीं है। इसके अलावा जो औरत या लेडी इस कार्य के लिये रखी जाती है उसके पास कोई साधन नहीं होते और उसका कोई दायरा नहीं होता। लेडी को सोशियल वेलफेअर के लिये आप रखते हैं उसका कोई आप दायरा नहीं रखते कि वह इतने गांवों में काम करेगी और न आप उनको सुविधायें देते हैं। अगर आपने जितने व्यक्तियों को सोशियल वेलफेअर के लिए नियुक्त किया उनसे इस बात का ब्यौरा लिया जावे कि उन्होंने कितनी औरतों को (प्रौढ़) शिक्षा दी, कितनों की हालत सुधारी, कितनों के घर के हालत को सुधारने की शिक्षा दी, आखिर उन्होंने क्या काम किया;

(श्री श्रीभानसिंह)

तो आपको पता लग जायगा। अगर उन्होंने गांवों में जाकर निटिंग या टेलरिंग का काम सिखाया, जिस प्रकार के इन्सट्रक्शन उनको दिये जाते हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि एक गांव में या घर में उस परिवार की आमदनी क्या है और आया उस आमदनी से निटिंग या टेलरिंग या वुड क्राफ्ट का काम संभव हो सकता है।

हमको सोश्यल वेलफेयर को तब टेली करना पड़ेगा विमेन वेलफेयर के साथ में। हमको औरतों को ऐसी चीजें सीखानी पड़ेंगीं और ऐसी सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स रखनी पड़ेगी जो कि गांवों में फेमीलीज़ की इनकम को इन्क्रीज़ कर सकें। लेकिन ये इसट्रक्शन्स नहीं है। विमन को निटिंग सिखाई जाती है, हाउस क्लीनलीनेस सिखाई जाती है। आप स्वयम् जानते होंगे कि आज विलेज में एक हट होती है, वहां उनका बाथरूम है, वही उसका किचन है और वही केटल रखने की भी जगह है। वन रूम टेनामेन्ट के अन्दर गुजर किया जाय तो कहां क्लीनलीनेस रहे और कहां कन्स्ट्रक्शन करें। उनको इन्सट्रक्शन्स दी जाती हैं कि चूल्हे, ओवन, बनाये जायं। एक फेमिली में गांव वाले कोई दस-बीस सब्जी पका कर थोड़े ही खाते हैं। उनके पास एक ही युटेन्सिल होता है। उनको सिखाई जाती हैं बरतन चीजें, युटेन्सिल को एलमिरा बना कर इस तरह से रखिये। एक मगन चूल्हा चलाया बताया, उसमें फ्युअल की इकोनोमी होती है। वहां एक बरतन में सब्जी बनाने वाली क्या तो अलमिरा में रखे और किस तरह से मगन चुल्हा युटिलाइज़ करें। इसलिए यह जो दृष्टिकोण है वह गलत है और जो गलत चीजें बतायीं तो उसका नतीजा यह होता है कि वीमन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सक्सेजफुल नहीं होगा क्योंकि एक तो ट्रेन्ड पर्सोनल कम हैं और दूसरी जो चीजें सिखानी चाहते हैं वह उनको गांवों के लिये बिलकुल जरूरत नहीं है। तीसरी चीज यह है चाइल्ड वेलफेयर का काम जो उनको एन्ट्रस्ट किया जाता है। इसमें एक टेक्निकल नोलेज की आवश्यकता है कि किस तरह से चाइल्ड को रखा जाय और इसके लिए क्या क्या चीजें बताई जांय। जो लेडी विलेज वेलफेयर की इन्चार्ज है उसको एन्ट्रस्ट किया जाता है यह काम। इसका नतीजा यह होता है कि विमन वेलफेयर और चाइल्ड वेलफेयर ये दोनों ही निगलेक्ट हो जाते हैं। पैसा खर्च करने का टारगेट जरूर बता देते हैं कि यह पैसा खर्च हो गया लेकिन इसके द्वारा जो सुधार होना चाहिए वह सुधार नहीं होता है।

यदि औरतों को पढ़ाने के लिए आज पूछा जाय कि एक वेलफेयर लेडी ने कितनी औरतों को पढ़ाया तो आप फीगर्स नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ाई में आज कल दिलचस्पी नहीं है और वह क्रीयेट नहीं कर सकते, इसलिए एक लेडी वेलफेयर के पास जो आप मल्टी पर्पज़ रख देते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं चल सकती है। यदि इसको एन्लार्ज कर रहे हैं तो मैं बताऊं कि हरिजनों के साथ औरतें इस काम में जो एन्ट्रस्ट की गई हैं वे खुद ही ओर्थोडक्स हैं, वहां भी अनटचेबिलिटी का एप्रोच है। वे सर्विस में जो आयीं तो यह नहीं कि उनमें त्याग और सेवा की भावना थी किन्तु इकोनोमिक अर्निंग की वजह से सर्विस में आयीं। नतीजा यह हुआ कि उनको सेलेरी मिलने लग गई। लेकिन जो

(श्री श्रीभानसिंह)

वेलफेयर का इफेक्ट चाहिये था, जो ध्येय इसके लिए चाहिए था वह नहीं पूरा हुआ। यदि इस डिपार्टमेन्ट द्वारा औरतों और बच्चों का वेलफेयर अच्छा हो तो रेडीकली रिओर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, ट्रेन्ड औरतों को लाना पड़ेगा जिससे प्लान का जो मकसद है, जो कॉन्ट्रियुशन चाहिए औरतों से वह पूरा हो जायगा। इसलिए कन्ट्री के डेवलपमेन्ट की जो एक साइड पैरेलेटिक है, उसको रेडीकली ओर्गेनाइज करें और स्टाफिंग करें। स्टाफिंग पेटर्न देखें कि ग्राम सेविका होती है वह कितना काम कर सकती है। इसके लिए कोई योजना नही है। पर चाइल्ड और वीमन कितनी होनी चाहिए, वह योजना भी नहीं है। हम हेपहैजर्ड (hap hazard) में जा रहे हैं। इस लिए अच्छे आदमी रिक्रुट करके इसको रिओर्गेनाइज़ करके वेलफेयर का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): उपाध्यक्ष मोहदय, जो कट मोशन यहां पर आया है उसके ऊपर कई दिलचस्प और अजीबो गरीब बातें कही गई हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया कि पिछड़ी जातियां और विशेष कर हरिजनों के उत्थान के बारे में बातें करते हैं तो यह मान कर क्यों चलना चाहते हैं कि सरकार की ओर से ही संगिठत प्रयत्न हो रहे हैं, वे प्रयत्न होते रहने चाहिए और इस प्रयत्न के आसपास समाज के कोई और प्रयत्न नहीं हैं। मुझे आश्चर्य हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस विभाग के जरिये जो काम हो रहे हैं वह नितान्त असफलता की कहानी हैं और यदि में ठीक समझ पाया होऊं तो इस विभाग को यदि सरकार न चलाये तो कोई हानि नहीं। उपाध्यक्ष मोहदय, मुझे यह सुन कर बहुत ही दर्द हुआ। मैं यह मानता हूं....

श्री नरेन्द्रसिंह (जोबनेर): ओन ए पोन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरे ख्याल से ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

श्री **उपाध्यक्ष**: अब भी इधर आसन की ओर ध्यान रखें।

श्री जनार्दनराय नागर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आधुनिक जनतन्त्रीय राज्य की धारणा में जो सबसे बड़ा विकास हुआ है और होगा और वह कोई विभाग है तो समाज कल्याण विभाग। सच बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनतन्त्रीय राज्य की धारणा का पूरा रूप हमारे सामने नहीं है और तब ही इस प्रकार की बातें आयास और अनायास, स्पष्टता और अस्पष्टता के साथ कही जाती हैं। जिस सरकार में समाज कल्याण विभाग नहीं होता है तो मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि वह निश्चित रूप से प्रगतिशील सरकार नहीं है। लेकिन जब जन–प्रतिनिधि सरकारों का हमारे देश में निर्माण हो चुका है तो समाज कल्याण विभाग का काम धीरे धीरे ही सही, मैं मान लेता हूं, सरकार के इस प्रयत्न में अधिक विस्तार की आवश्यकता है, अधिक पुनर्गठन और इसके अच्छे संगठन की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि स्वयम् राजस्थान में ऐसी स्थिति आयी है कि समाज कल्याण विभाग का उत्तरदायित्व स्थापित करें तो मैं समझता हूं उसकी और आवश्यकता है। यदि यह कहना शुरू करें कि

Page No.58

(श्री जनार्दनराय नागर)

विभाग के बारे में १६–२० का इधर उधर असंतोष है इसलिए विभाग को बन्द कर दिया जाय, मैं नहीं मानता कि हम राजस्थान की पिछड़ी हुई जातियों के साथ कोई न्याय कर रहे हैं। यह उपाध्यक्ष महोदय, जरूर है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आज बड़े बड़े प्रयत्न हो रहे हैं और इन पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान की कहानी हमारे देश की स्वतन्त्रता की कहानी के साथ जुड़ी हुई कहानी है। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ इस सामाजिक अन्याय को दूर करने वाला शख्स इस काम को चलाता हुआ जिन्दा रहा और उसने उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के उत्थान के कार्य को इस स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ चलाया। महात्मा गांधी के देश के कई महत्वपूर्ण प्रगति के कार्यों के साथ उनका हरिजनों के उत्थान का एक प्रिय कार्य था। यह निर्विवाद मान लेना चाहिए कि समाज की ओर से, पिछड़ी जातियों और खास कर हरिजनों के उत्थान का कार्य बदस्तूर जारी रहना चाहिए। मुझे इस बात से ताज्जुब हुआ कि माननीय मित्र ने इस पर कट मोशन रखा है। यदि इसके माध्यम में कोई असंतोष है तो उसको ठीक करने के लिए राज्य के साथ सम्पर्क साधा जा सकता है और उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के इस सदन में पिछड़ी जातियों और हरिजनों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा रखी गई रकम में उठाकर कट मोशन उपस्थित करें तो यह साबित करता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सारे सामाजिक लक्ष्य और राष्ट्रीय प्रयत्न का काम नगण्य हो गया है। एक बात कही गई, वोट के लिए बात कही गई। हरिजनों के उत्थान के साथ वोट का सवाल कब हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आया। हरिजन एक पिछड़ी जाति है, यह अधिकांश में एक या दूसरी राजनैतिक पार्टी के साथ है। इसलिए नहीं कि उस राजनैतिक पार्टी का वश है, वह प्रभावित है, या प्रसरण मिला है। लेकिन इसलिए कि उस पार्टी ने जब राष्ट्र की आजादी का आन्दोलन उठाया तो उसके साथ हरिजनों के उत्थान का भी आन्दोलन उठाया। गांधीजी ने हरिजनों के उत्थान–कार्य को अपना एक व्यक्तिगत और सबसे प्रिय कार्य चुन कर किया। उन्होंने दरिद्रनारायण की सेवा की और यह कार्य उनके व्यक्तित्व की साया में, देश की आज़ादी के आन्दोलन के साथ चला। मैं मानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि महात्मा गांधी ने पिछड़ी जाति के कल्याण का सवाल देश के सामने न रखा होता तो भारतवर्ष में आज़ादी के लिए वह आग और करिश्मा न मिला होता। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो पिछड़ी जातियों के लिए जो काम किये हैं ऐसे सवाल पर एक दृष्टि से विचार न किया जाय कि वोटों का सवाल है।

(२ म० प०)

मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोई वोट प्राप्त करके फिर उनके कल्याण के लिये काम करने की बातें करते हैं तो यह उनकी एक प्रकार से राजनैतिक नीचता होगी। (करतल ध्वनि) इसका मतलब यह नहीं कि जो काम सरकार द्वारा किया जा रहा है वह केवल वोटों के लिये ही किया जाता है। अगर आपने इससे खुश होकर तालियां बजाईं तो मैं सदैव इससे असहमत हूं।

हरिजनों के उत्थान का प्रश्न हमारी भारतीय संस्कृति के साथ सदा से जुड़ा हुआ विषय है, सरकार उसके लिये अगर

(श्री जनार्दनराय नागर)

अपने फंड से या अपने विभाग से कुछ खर्च करना चाहती है तो हमें सहर्ष उसके लिये स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये । मैं तो यहां तक कहने के लिये तत्पर हूं कि आज जो समाज कल्याण का कार्य विभागीय स्तर पर हो रहा है उससे हमें सन्तोष नहीं है, हम तो आज यह चाहते हैं कि समाज कल्याण नामक मन्त्रालय ही अलग से स्थापित किया जाय ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मंत्री नहीं मिल रहा है ।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी रखते हुए) मंत्री इस विभाग के लिये मिले या न मिले, हमें इस समस्या को भारतीय स्तर पर सुलझाना है । अगर आपने थोड़े दिन पहले, पिछड़ी जाति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसको देखा होगा तो उसमें इस प्रकार की भावना व्यक्त की गई है कि पिछड़ी जातियों के कल्याण का सवाल धीरे धीरे समाज कल्याण का सवाल होना चाहिये । मैं माननीय मित्र के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि जो आज भेद भाव चल रहा है वह समाप्त होना चाहिये लेकिन जो जाति सदियों से शोषित और पीड़ित रही, जिनको सवर्णों ने हमेशा पद-दलित समझा, क्या आप उस जाति को उस अवस्था में रहने देना चाहते हैं ? आज एक संस्था में हरिजनों में और स्वर्णों में भेदभाव नहीं रखा जाता, लेकिन राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों घर हैं जिनमें हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जाता है । मेरे मित्र के इस कथन को भी मैं मान लेता हूं कि हरिजनोत्थान की जो बातें करते हैं उनमें भी हरिजनों के प्रति उतनी सद्भावना नहीं है जितनी होनी चाहिये । मेरा तो यहां तक कहना है कि जिस किसी में भी मनस्विता या नागरिक चेतना है तो यह आज के समय की सबसे बड़ी लड़ाई है । इससे लड़ने के लिये जब तक हमारे खून के अन्दर गरमी पैदा न हो तब तक इन पुरानी हड्डियों को, इन पुरानी परम्पराओं को हम तोड़ नहीं पावेंगे । छोटी-मोटी कार्यवाहियों से यह सवाल हल होने के नहीं हैं । लोकसभा द्वारा भी यह मांग की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार समाज कल्याण के लिये एक अलग मन्त्रालय खोले । इस प्रकार की धारणा लोगों में निरन्तर प्रवेश पा रही हैं । आज हमें इन पिछड़ी जातियों के लिये देश में ऐसा वर्चस्व उत्पन्न कर देना चाहिये कि जिससे इनके साथ जो भेद-भाव किया जाता है, वह बिलकुल समाप्त हो जाय । यदि हम ऐसा कर सके तो यह जनतन्त्र की बड़ी भारी सफलता होगी । आज हमारे देश में सवर्ण हैं भी कितने केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो अपने आपको स्वर्ण कहते हैं और जो कितने ही अर्से से इनका शोषण करते चले आ रहे हैं । इनकी शोषण की कहानी बड़ी दिल को हिला देने वाली कहानी है । आज हम हमारे इस जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो यह एक जीता-जागता सवाल है इसलिये मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार इसके लिये अधिक धन भी मांगे तो यह उसको देना चाहिये । यह मैं भी मानता हूं कि जो भी प्रयत्न इस दिशा में किये जा रहे हैं, उन प्रयत्नों से हमें संतोष नहीं है । जब हमारा भारत का विधान बना था उस समय उसमें पिछड़ी जाति के लिये और आदिवासियों के

Page No.60

(श्री जनार्दनराय नागर)

लिये कुछ विशेष रियायतों की घोषणा की गई थी। तब एक ऐसी परिस्थिति आगई थी कि भील जाति इस सुविधा से महरूम कर दी गई थी, उसके लिये केवल दो तीन जगहों के लिये जरूर रखा गया था। आज उदयपुर डिवीजन में विशेष कर भीलों का एक इलाका है जहां कि इनकी संख्या बहुत अधिक है, दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये कुछ फंड देने का आयोजन है और इसी प्रकार का आयोजन समस्त भारत में भी चल रहा है। हमारे इस इलाके में करीब सात लाख भील रहते हैं, हमारा उनसे निवेदन था कि इन सात लाख भीलों की भी आवाज सुनी जाय। उधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ तो शिड्यूल्ड एरिया कायम कर दिया जाता है, किन्तु उसके अलावा भी लाखों भील आस-पास के इलाकों में बसते हैं, उनके विकास के लिये रुपया नहीं दिया जाता। कुछ उदयपुर डिवीजन में चित्तौड़-गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये ऐसे इलाके हैं जहां लाखों की संख्या में भील बस गये हैं, वहां किसी प्रकार से भी रुपया व्यय नहीं हो रहा है, इसके बारे में राज्य सरकार को कहा गया किन्तु वह भी कानून और कायदों से दबी हुई है। इस बारे में लोक-सभा के स्तर पर प्रयत्न किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि इस सवाल को हल किया जाय। उन्होंने कहा कि इसके लिये पिछड़ी जाति आयोग आपके वहां आयेगा और वह राज-स्थान में आया भी और राजस्थान में घूमा। उनके सामने हमने इन सात लाख भीलों की आवाज को रखा, लेकिन आज तक उसका हल नहीं हो पाया। मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूँ कि इस सवाल को भी हल किया जाना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को विशेष प्रकार की रियायत के केवल तीन साल बाकी रह गये हैं, आगे उनको फिर संरक्षण दिया जाता है या यह अधिकार यहीं समाप्त हो जाता है, उसकी अवधि बढ़ाई जायगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर इनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो यह बहुत मुसीबत की बात है। इन सात लाख भीलों के बारे में क्या करेंगे? दो-तीन साल के अर्से के बाद क्या हमारे यह विभाग इन उपेक्षित लोगों के लिये कुछ खर्च करेंगे भी या नहीं? आज जिस नोर्मलाइजेशन के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते जा रहे हैं उससे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये सारे सवाल बहुत उलझे हुए और पेचीदे मालूम पड़ते हैं। इन पेचीदा सवालों को सुलझाने के लिये हमें सामाजिक वीरता का बाना पहनना होगा। आज हमें ठंडी पड़ी हुई रणचंडी की याद करनी चाहिये। हमें भारत में हुए रणबंकाओं को याद कर उनकी चमचमाती हुई तलवारों को याद कर, इस सामाजिक वीरता के रणांगन में प्रवेश करना चाहिये। मेरा यह मानना है कि यदि हम इस कार्य में सफल होते हैं तो यह हमारी सामाजिक वीरता है कि हम इन पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन को दूर करें। यह हमारी सब से बड़ी लड़ाई और संघर्ष है, इसमें हमें सम्मिलित होकर प्रयत्न करना चाहिये तभी हम इस असमानता की खाई को दूर कर पायेंगे।

मैं माननीय सदस्य को, जिन्होंने यह कट मोशन रखा है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे भी इस कार्य में सहयोग दें और जो भी धन मांगा जा रहा है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वह नष्ट हो रहा है। यह भी कहा गया कि उनके पास टेक्निकल स्टाफ

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि समाज कल्याण के लिये क्या टेक्निकल स्टाफ चाहिये ? यह तो एक उसूलों का मामला है, एक समाज रचना का मामला है। इसके लिये टेक्निकल स्टाफ क्या करेगा ?

यह भी कहा गया कि मल्टीपर्पज़ औरतों से काम करवाया जा रहा है, मैं उनसे निवेदन करूं, औरतें तो मलटीपरपज़ होती हैं। हमारी मातायें हैं, पत्नियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं ये सब मलटी परपज़ ही तो हुआ; यह तो गृहस्थ धर्म का नियम है। औरतें तो मल्टीपर्पज़ ही हुआ करती हैं, सिंगल परपज विमन नहीं होती हैं। यह हमारी भारतीय महिलाओं के लिये बड़ी अन्छाई है कि सारी गृहस्थियां इन्हीं के द्वारा चलती हैं। इसके अलावा पुरुष भी मलटी परपज़ होने चाहिये, सिंगल पर्पज पुरुष तो समाज के लिये एक रोग हैं। उनको तो जितना जल्दी हो सके नष्ट किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण के लिये जो यह उच्चस्तरीय संगठन है उसको पैसा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री नाथूराम मिर्धा : At present I am speaking.

श्री मोघजी : पिछड़ी जातिवालों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Can Mr. Agarwal waive his right ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सीकर से आये माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है और जिसका विरोध मावली से आये माननीय सदस्य ने किया, उस पर मैं भी थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। मावली से आये माननीय सदस्य विरोध करते करते भी अन्त में समर्थन में बोल गये जब उनको मेवाड़ के सात लाख भीलों की याद आई और शायद अपने क्षेत्र का ध्यान आया।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मेरे क्षेत्र के पास मे ही है।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी वकालत माननीय सदस्य ने की। मैं समझता हूं, प्रत्युत्तर में मुझे या किसी अन्य सदस्य को यह बताने की आवश्यकता नहीं जितना कि हमारे कुशलगढ़ से आये माननीय सदस्य बोले या अन्य सदस्य जो विभिन्न हिस्सों से आये वे बोले। यदि वे विचार प्रकट करें तो मैं समझता हूं कि उनके मन में जो एक अविश्वास है उसके स्थान में हमारे हृदयों में वह शंका है, तो शायद उनके मन में भी निर्माण हो जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि इस सदन में भी हमारे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आये हुए जो हरिजन भाई हैं, उन्होंने जब जब भी अपने विचार प्रकट किये तो सबने सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के बारे में और समाज कल्याण के नाम पर किस प्रकार से उनका एक्सप्लोइटेशन किया जाता है इसके बारे में काफी बातें कही हैं और अपने स्पष्ट विचार प्रकट किये हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आये माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते समय यह कहा कि गांवों में जो योजना है समाज कल्याण की उस सारी योजना के पीछे जो जीवन है, जो भावना है उस भावना और उस तमन्ना को लेकर हम आगे चले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं भी जानता हूं कि हमारे दिलों में एक तमन्ना थी और उसको सामने रख कर ही ये योजनाएं बनाई गई थीं। इसके लिये एक बहुत बड़ी धन-राशि भी स्वीकृति की गई थी। पर आज हो क्या रहा है समाज कल्याण के नाम पर, विस्तार सेवा खण्डों के नाम पर, विकास खण्डों के नाम पर, यह हमें थोड़ा बहुत तब मालूम पड़ता है जब भरतपुर से आये, रूपवास से आये माननीय सदस्यों ने इनके बारे में थोड़ी बहुत असल बातें हमें बताई। साफ-साफ बातें जब बताई जाती हैं तो हमारी सरकार के इन माननीय सदस्यों को बुरी लगती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने योजनाएं बनाई ग्राम-सेविकाओं की। गांव-गांव में काम करने के लिए ग्रामों का नव-निर्माण करने के लिये ग्राम-सेविकाओं की नियुक्ति की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर उनका क्या हुआ? ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की गई। ग्राम-सेविकाएं किसी जिले में काम करती हैं और उनके पति किसी दूसरे जिले में काम करते हैं। उनका ट्रान्सफर भी होता है और यह होना स्वाभाविक भी है, होना चाहिये भी। पर इससे होता क्या है, उनके काम करने में मन नहीं लगते। नतीजा क्या होता है, बेमन से काम करते हैं, काम होता नहीं। साल भर में महीना भर छुट्टी पर जाती हैं। महीने भर की छुट्टी कायदे से मिलती है। पर इससे काम चलता नहीं। इससे ज्यादा मिल नहीं सकती कानूनी तरीके से, पर किसी तरह से फ्रैन्च लीव ली जाती हैं। काम का हर्जा होता है, महीने भर फ्रैन्च लीव में चली जाती हैं। काम होता नहीं, बाहर साइन बोर्ड लगा रखा है, पता बना रखा है डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर। पर शायद सरकार ने उनकी इस दिक्कत को महसूस किया। सरकार ने यह महसूस किया कि इस तरह से ग्राम सेविकाओं को नुकसान होता है, उनका मन नहीं लगता, काम में भी प्रगति नहीं होती और उनका घरेलू जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है तो ऐसा किया जाय कि जिन स्थानों पर ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की जाय उन्हीं जिलों में, किन्हीं स्थानों पर उनके पतियों को भी ग्राम सेवकों के रूप में नौकरी दे दी जावे। यह प्रबन्ध किया तो अच्छे के विचार से, पर हालत यह हुई कि पहले तो किसी तरह साल में दो महीने काम नहीं होता था पर अब तो साल भर ही काम नहीं होता क्योंकि काम के लिये उनको अब फुरसत नहीं। यह तो ऐसी स्थिति हुई कि चौबेजी छब्बे बनने गये पर दुब्बेजी रह गये। पहले दो महीने काम नहीं होता था, एक तो महीना कानूनी रूप से और एक महीना फ्रैन्च लीव के रूप में, पर अब तो साल भर ही काम नहीं होता। यह तो स्थिति हुई इन ग्राम सेविकाओं के बारे में।

अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वह शायद माननीय मन्त्री महोदय को कटु लगेगी और हमारे मावली से आने वाले माननीय सदस्य को, वे इस समय सदन में नहीं हैं, चले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गये हैं, होते तो उसे सुनकर तिलमिला उठते। आज वास्तव में होता क्या है, इस ग्रामोत्थान के नाम पर, इस समाज कल्याण के नाम पर, इस हरिजन-उद्धार के नाम पर, आज राजस्थान के कोने-कोने में होता यह है कि वोटों का प्रचार किया जाता है। वोटों को प्राप्त करने की योजनाएं सोची जाती हैं। यह मैं साबित कर सकता हूं। इसके अलावा हम और क्या समझें, अगर समझें भी तो। एक प्रान्त पर समाज कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपयों की, लाखों करोड़ों की धन-राशि खर्च की जाती है, पर वह आम लोगों के काम नहीं आती, उनसे उन लोगों का सामान्य जीवन-स्तर ऊंचा नहीं होता, आर्थिक स्थिति आज तक उनकी नहीं सुधरी, सामाजिक उत्थान उनका नहीं हुआ, उद्योग–धन्धे नहीं पनपे, गांव के लोग आज तब भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन आज समाज कल्याण के नाम पर करोड़ों की सम्पत्ति खर्च की जाती है, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं के नाम पर वोटों का काम होता है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, मैं शहरी क्षेत्र से आया हूं। पर जिन क्षेत्रों से, जिन बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं वे ऐसे आरोप कई बार लगाते रहे हैं। मैंने भी कई स्थानों पर, जब जाने का मौका मिला तो यह देखा है। मैं जब उधर गया तो इन समाज सेविकाओं और समाज सेवकों से सम्पर्क साध कर उत्थान और प्रगति के बारे में जानने की कोशिशें कीं। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी योजना के अन्तर्गत आज जो राजस्थान के जितने भी विकास खण्ड हैं, समाज कल्याण आदि विस्तार योजनाएं हैं, नये नये खण्ड खोले गये हैं वे समस्त उन लोगों की कान्स्टीट्यूएन्सी में हैं जो आज शासक पार्टी के हैं; जैसा यहां कई बार प्रश्नों के रूप में पूछा भी गया है। अगर ज्यादा जोर दिया गया तो ऐसे किसी क्षेत्र में खोल दिये गये जो उनके अपने ही पार्टी के अन्य दूसरे ग्रुप के लोगों की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में हो। पर जहां तक विरोधीदल के सदस्यों के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं, यह आरोप बिलकुल सही है कि उनकी कॉन्स्टी ट्यून्सी में नहीं खोले गये। श्रीमाधोपुर से आनेवाले हमारे माननीय सदस्य का तो यह आरोप रहा कि जब तक वे दांता रामगढ़ के क्षेत्र से रहे कई बार मांग करने पर भी उस क्षेत्र में खण्ड नहीं खोला गया पर आज जब वे दूसरी कॉन्स्टीट्यून्सी से आये तब दांता रामगढ़ में खोला गया, उनकी आज की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में खोलने का तो प्रश्न भी नहीं पैदा होता। ये सारे उदाहरण सरकार की इस वृत्ति के स्पष्ट प्रतीक हैं। आज हमारी राज्य सरकार उन क्षेत्रों में कार्यवाही करती है जिनमें या तो उनके ग्रूप के सदस्य हों या जिनमें चुनावों की दृष्टि से वातावरण बनाना हो, या भविष्य में अपनी राजसत्ता बनाये रखने के लिये वायु–मण्डल तैयार करना है। इस दृष्टि से यह सारी लाखों–करोड़ों की सम्पत्ति लगाई जाती है। यह सारी धन-राशि का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। ग्राम-सेवकों को या ग्राम-सेविकाओं को वह ट्रेनिंग मिलती नहीं जो मिलनी चाहिये। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, सदस्य गण स्वयं इसका काफी अनुभव रखते हैं। ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, पर किस प्रकार की उनको ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी योजनाएं, समाज कल्याण की योजनाएं, जिनके द्वारा राजस्थान के भाग्य-परिवर्तन के स्वप्न हम ले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रहे हैं, और जिनके आधार पर ये सारी योजनाएं होती हैं उनका स्टेन्डर्ड किस तरह का है उनकी विस्तृत आलोचना में मैं जाना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि मनों मैं सभी सदस्य यह जानते हैं । पर ये सारे काम किये जाते हैं; आज हरिजन उत्थान के नाम पर, पिछड़ी जातियों के उत्थान के नाम पर पर हरिजन उत्थान कैसा किया? काम क्या किया, मैं इसके बारे में थोड़ा निवेदन करना आवश्यक समझता हूं । नाई भंगियों की हजामत बनाने से इन्कार कर देते हैं तो उनकी हड़ताल कराते हैं । इधर नाइयों की हड़ताल के विरोध में भंगी हड़ताल करते हैं । यह हड़ताल कौन करता है, कराता है? कांग्रेस के दो ग्रूप कराते हैं । देश में जितने झगड़े इनमें होते हैं, वे एक दूसरे से उनको लड़ा रहे हैं। दोनों ग्रूप उनकी आड़ में लड़ रहे हैं। उनके कन्धों पर बन्दूक रख कर चलाते हैं। वे आपस में नहीं लड़ते, ये ग्रूप लड़ा रहे हैं। फिर वोट के खातिर ये सब कारनामें होते हैं और इस तरह यह हरिजनों का उद्धार हो रहा है!

जयपुर की घटना है । दो साल पहले यहां पर उन्होंने कुछ हरिजनों को भड़काया सवर्णों के खिलाफ । हलवाइयों की दुकान पर वे गये। हममें से भी, पण्डित से पण्डित जो यहां विराजमान होंगे १११ का तिलक लगाने वाले, वे भी हलवाई की दुकान पर जाकर अपने हाथ से उसकी मिठाई नहीं छू सकते, पर हमारे उन भाई लोगों ने कहा यह लड्डू दो, यह पेड़ा दो, यह बरफी दो, हाथ लगा लगा कर। यह हरिजन उद्धार करते हैं। नतीजा क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तीन हलवाइयों को पकड़ कर कोतवाली में बन्द कर दिया। फलस्वरूप सारे हलवाइयों ने शहर में हड़ताल कर दी । हरिजनों में भी रोष बढ़ा। आखिर सारा किस्सा मुख्य मन्त्रीजी तक गया। मैं भी मुख्य मन्त्रीजी से मिला, तो मैं यह कह रहा था कि यह होता कैसे है। आगे सारी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अब जिन्होंने एक्साइट किया, उनको प्रेरणा दी, उकसाया यह सारा किसलिये किया गया, किसने किया, यह मैं बताता हूं । यह एक भूतपूर्व हरिजन मन्त्री ने सारा किया । इसमें उनका अपना स्वार्थ हो सकता है पर इसमें हरिजनों का कल्याण नहीं होता, उनका उत्थान नहीं होता। मैं तो यह समझता हूं कि हरिजन उद्धार और समाज कल्याण के नाम पर जब करोड़ों रुपयों का बजट स्वीकार किया जाता है तो वह इन आशाओं और भावनाओं के आधार पर किया जाता है कि राजस्थान में रहने वाले डेढ़ करोड़ लोगों के साथ पिछड़ी जाति वाले जो भाई रहते हैं, उनके बराबर में आ जावेंगे। जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं, वे आगे आवेंगे, उनके कल्याण की ये योजनाएं क्रियान्वित होंगी। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत काल का अनुभव इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि योजनायें केवल कागजों में रही हैं और कागजों में रहने के कारण इस प्रकार की योजनायें कभी सफलीभूत नहीं हुई हैं। इस प्रकार की योजनाओं से जिस प्रकार का भला हम लोगों का करना चाहते थे वह उनको नहीं मिला। यह मैं समझता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव यहां रखा गया है और इस कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध में बोले हैं और सरकार के पक्ष में बोले हैं उन्होंने स्वयं ने भी अनुभव किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी बात इस कटौती के प्रस्ताव में सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखी है। उन्होंने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मोटर गैरेज के बारे में कहा है, आटोमोबाइल्स के बारे में यहां पर ग्रान्ट मांगी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहूंगा वैसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप जयपुर की सड़कों पर दो घन्टे खड़े हो जाइये तो डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट की मोटर या किसी अन्य विभाग की मोटर में आशा तो यह करनी चाहिए कि इसमें विभाग के कमिश्नर या डाइरेक्टर होंगे मगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है कि जब ६॥ बजे सिनेमा का टाइम होता है तो उन मोटरों में जहां यह आशा करनी चाहिए कि विभाग के कमिश्नर या डाइरेक्टर होंगे, उसमें और सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे; मगर उनके स्थान पर मालूम होता है कि सारा घरबार, भाई बंद ही समाज कल्याण में लग रहा है। सरकारी अधिकारियों के स्थान पर उन मोटरों में देखने को मिलते हैं उनका सारा घरबार, उनके सारे बाल-बच्चे, उनके रिश्तेदार, भाई और बहिन। इसलिए ही मेरे मावली से आये हुए माननीय सदस्य जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने विचार प्रकट किए कि अगर समाज को ऊपर उठाना है, समाज में जागृति उत्पन्न करने का यही अर्थ है कि आज हमारी सरकारी मोटरों में सरकारी अधिकारी न घूमें, सरकारी कर्मचारी न घूमें, डाइरेक्टर न घूमें और विभाग का कमिश्नर न घूमें बल्कि समाज का सारा विकास करने के लिए और कल्याण करने के लिए सारा घर घूमे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह दिखाई देता है कि इसके लिए मुझे सुबूत देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पिछली बार भी मोटरों के प्रयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे, उस समय भी मैंने यही बातें बताई थीं, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने उस समय दो मोटरों का नम्बर भी बताया था जिनसे चुनावों के दिनों में काम लिया गया और वे सरकारी मोटरें थीं। अभी घन्टे भर पहले मुझे एक सदस्य मिले थे और उन्होंने मुझे सरकारी मोटरों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसके बारे में वे बता रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह कहने लगे कि मसला बहुत बड़ा है वह कहने लगे कि फलां फलां मोटर हमारे रास्ते में रोज आती है, अमुक अमुक मन्त्री की मोटर है, उस पर मोटर विभाग लिखा हुआ है और यह ऐसी रंग की है, यह रोजाना सवेरे भी आती है और शाम को भी आती है। मैंने कहा कि तुम्हारी गली में ज्यादा गन्दगी रहती होगी, कोई ब्लॉक डेवलपमेन्ट का ऑफिस होगा। मगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की किसी भी गली में कोई ब्लाक डेवलपमेन्ट का आफिस नहीं है, कोई रेवेन्यु विभाग का दफ्तर नहीं है, कोई योजना नहीं है। फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि लाखों रुपया, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हम मोटर गैरेज के नाम पर खर्च करने के लिए स्वीकार कर देते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल इसलिए स्वीकार किया जाया जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारे मन्त्री महोदयों को आने-जाने में सुविधा हो, दौरा करने में सुविधा हो। मगर वह स्वयं दौरा नहीं करते हैं, शायद दूसरे लोग ही उनकी जगह दौरा करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी योजना के लिए तो कल्याण दूसरे ही करते फिरते हैं। इस तरह से जो कल्याण की योजना चल रही है उससे वह समाज सचमुच समाज का कल्याण कर रहा है। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को सामने रखते हुए जो सीकर से आये हुए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय सदस्य, श्री जगदीश प्रसादजी, ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह बिलकुल सही रखा है। मेरे ख्याल से हमारे स्पष्टीकरण को सदन ने ठीक तरह से सुना तो फिर इसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं आयेगा और जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

२.१८ म० प०

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने समाज कल्याण विभाग के बारे में बहस चल रही है और वास्तव में यह विषय हरिजनोत्थान का है। मैं चूंकि उस कस्बे से आया हुआ हूं इसलिए मुझे दुःख है कि आज हरिजनों की क्या हालत है। अन्य माननीय सदस्यगण तो सब इधर उधर की बात करते हैं लेकिन उसका जो कुछ असर होता है वह हम लोगों के ऊपर होता है। मुझे एक कहावत याद आती है इस मौके पर कि "जिसके फटी न बिवाई वो क्या जाने पीर पराई।" हरिजनोद्धार का मामला कोई मामूली विषय नहीं है कि यह जल्दी ही बहस से खत्म किया जा सके और यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। सन् १९५१ से बराबर सरकार अपने आदेश जारी करती है और इसके लिए एक अलग विभाग भी खोल रखा है, लेकिन सन् १९५८ तक उसकी प्रगति यह हुई है कि आज तक अर्थात् ८ वर्ष में Scheduled casts के केवल आठ गजटेड ऑफिसर्स राज्य में बनाये गये हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ८ वर्ष में ८ गजटेड ऑफिसर्स बने ...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनमें हरिजन कितने हैं?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ८ हैं। यह मानना पड़ेगा कि सरकार की भावना तो शुद्ध है, क्योंकि उसने इस विषय में बराबर आदेश जारी किये हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा बराबर लिखा-पढ़ी होती है, मगर दूसरे डिपार्टमेन्ट्स इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और जहां कहीं भी क्लर्क वगैरह लिये जाने होते हैं वहां पर हरिजनों को बुलाया अवश्य जाता है, उनको इन्टरव्यू में भी बुलाया जाता है मगर इन्टरव्यू के समय किसी को कह दिया जाता है कि तुम्हें आंख से ठीक नहीं दिखता, तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, अर्थात् किसी को कुछ न कुछ कह दिया जाता है। आखिर येन केन प्रकारेण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वास्तव में देखा जाये तो दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सरकार की ओर लैंडलैस हरिजनों के लिये बराबर आदेश जारी किये जाते हैं कि जहां कहीं भी जमीन हो ऐसे हरिजनों को जो कि लैंडलैस हैं उनको तुरन्त दे दी जाये। लेकिन उसका असर यह हुआ कि जिस प्रकार से पुराने जमाने में जयपुर में तोप चलती थी और उस तोप की आवाज दौसा में जाते जाते खत्म हो जाती थी उसी प्रकार का यहां हाल है। सरकार के Orders जोर से जारी होते हैं पर नीचे जाते ही उनकी आवाज खत्म हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं? मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे मन्त्री महोदय, हमारी सरकार सब हरिजनोत्थान चाहते हैं, उनकी भावना भी अच्छी है, लेकिन नीचे जाकर जितनी भी मशीनरी सरकार की है वह

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

इन सारी बातों को खत्म कर देती है । मैं आपको बताऊं कि सांगानेर व फागी तहसील के हमारे हरिजन भाईयों ने आज दो साल पूर्व से सरकार के सामने यह अर्ज कर रखा है कि हमें रहने बसने के लिए ४ बीघा जमीन मिलनी चाहिए और हम एक नया गांव बसाना चाहते हैं। हमारे मन्त्री महोदय भी चाहते हैं कि उनको जमीन मिले, लेकिन नीचे के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगं ने यह लिख कर कि अगर इनको आज चार बीघा जमीन दे दी जायेगी तो यह गांव बसा कर रहने लगेंगे और रहने के बाद में फिर काश्त के लिए भी जमीन मांगेंगे इसलिए इस केस को रिजेक्ट कर दिया जाय। इसके लिये दो साल तक हम भागते रहे और बहुत सा रुपया खर्च भी किया, परेशान भी हुए और नतीजा यह हुआ कि नीचे के अधिकारियों ने यह लिख दिया । यह कैसा हरिजनोत्थान है ? उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमारे लिए ठीक तरह से आदेश जारी करती है लेकिन उनका नीचे के विभागों द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। हमारी सरकार और जयपुर की नगरपालिका द्वारा यह कहा जाता है कि हरिजनों को मुफ्त जमीन दी जायेगी। लेकिन आज हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको जमीनें दी ही नहीं गई, वह पैसे देकर खरीदना चाहते हैं फिर भी जमीन नहीं मिलती है। प्रस्ताव पास होते हैं और कहते हैं हरिजनों के जहां कच्चे मकान हैं उसकी जमीन उन्हें मुफ्त दे दी जाये। ऐसे प्रस्ताव पास किया जाता है लेकिन जमीन मिली एक को भी नहीं, ऐसे और कितने उदाहरण मैं आपको पेश करूं ? अब तकावी का प्रश्न आता है । किसी भी तहसील में चले जाइये, कहीं भी देख लीजिए, ब्लाक डेवलपमेन्ट में जाकर देख लीजिए, वहां सैकड़ों सवर्णों को तकावी मिलते हैं पर हरिजनों को तकावी नहीं मिलती है। उनको तीन तीन साल तक तकावी नहीं मिलती। मैं आपसे क्या अर्ज करूं। मैं कई दफा जाता हूं और उनकी हालत देखता हूं । हरिजनों के लिए कहा जाता है कि उन्हें टीनें मिलनी चाहिए, मैं उनके पास जाता हूं वह कहते हैं कि हमारी तहसील के लिए तो ९० टीनें मिली हैं। फिर टीनों के लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं, तहसील सरपंच के दस्तखत होने चाहिए । वह टीनों का करते क्या हैं कि वह अपने रिश्तेदारों में ही बांट देते हैं। अर्थात् हरिजनों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। हरिजनों को इधर-उधर मारा मारा फिरना पड़ता है । अगर यही रवैया रहा तो, आज लाखों रुपया जो पानी की तरह बहाया जाता है उसके लिए तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सरकार बराबर अपने आदेश जारी करती रहती है मगर नीचे की तरफ से कुछ नहीं होता है। यह सब व्यर्थ है। समाज कल्याण विभाग में संस्कार केन्द्र खोले जाते हैं और कहते हैं इससे कि समाज का कल्याण होता है। लेकिन क्या होता है ? क्या हरिजन विभाग में अपनी बहिन बेटियां या दूसरे ही लोग रख लिए जाते हैं । पांचवीं क्लास और ६ठी क्लास तक पढ़े लड़की व लड़के जो हरिजन हैं, बेकार मारे मारे फिरते हैं । हमारे लोग सर्विस के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इस तरह हरिजनों का कल्याण न होकर दूसरे लोगों का कल्याण हो रहा है।

इसके अतिरिक्त आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से हरिजनोत्थान के लिए जयपुर में एक "बापू आश्रम" का भवन बनाये जाने की बात थी। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा उसका पत्थर रखा गया।

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

बड़े-बड़े नेताओं ने वहां जाकर भाषण दिये कि इसमें हरिजनों के लिए बहुत बड़ा काम किया जायगा; लेकिन आज तीन साल हो गये और इस भवन का निर्माण नहीं हो सका।

एक आवाज : वहां पत्थर हैं कि नहीं?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : पत्थर पड़े हुए हैं, पर, माननीय उपाध्यक्ष, मैं वहां स्वयं देख कर आया हूं कि वहां पर एक गाड़ी पत्थर पड़ा हुआ है और एक गाड़ी चूने की आई है और आस-पास खुदाई कर रखी है। हिसाब से दो वर्ष और भवन का निर्माण नहीं होगा और इस अर्से में ही रिजर्वेशन खत्म हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से छात्रावास खोले जाते हैं। हरिजनों के लिए अलग खोले जाते हैं। सवर्णों के छात्रावास के अन्दर हरिजनों को नहीं रखा जाता है और वही लोग रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि हरिजनों की भावना वैसी की वैसी ही रहती है। शेड्यूल्ड कास्टस का छात्रावास बनीपार्क में रखा है। वहां के विद्यार्थियों को देखें। एक कॉलेज के अन्दर जो लड़का पढ़ता है उसका स्टेन्डर्ड बहुत ऊंचा होना चाहिये लेकिन हरिजन छात्रावास में जाकर देखें तो उनको जौ-बाजरे की रोटी दी जाती है और उनको वैसे का वैसा ही रखा जाता है। आखिर सरकार के संरक्षण में रह कर भी उनकी हालत वही की वही है। दूर से ही मालूम होता है कि यह हरिजन है। छात्रावास का Standard हरिजनों का सा बना दिया गया है, उसका स्टेण्डर्ड अच्छा नहीं रखा गया। वास्तव में जो सरकार करती है उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत कुछ प्रयत्न किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जितना रुपया खर्च किया जाता है वास्तव में अच्छे आदमियों के हाथ में देना चाहिए। बहुत से इस प्रकार के लोग हैं जो सामाजिक काम करना चाहते हैं। वह आपसे पैसा नहीं मांगते, तनख्वाह नहीं मांगते हैं। वे दिल से चाहते हैं पर उनका उत्साह बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे आदमी बेकार लिये जाते जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की जीप में १५-१५ औरतें बिठा कर इधर-उधर फिरते हैं। क्यों हो रहा है? सरकार चाहती सब कुछ है लेकिन नीचे का हाल ऐसा ही चला आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आप करना चाहें वह सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने जो सुझाव पेश किये हैं अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो जितना रुपया हरिजनों के लिए और हरिजन उत्थान के खर्च लिये कर रहे हैं उससे बहुत कुछ ज्यादा काम होगा और जितनी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और जो लोग यह कहते हैं कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया गया, उन सब का मुंह बन्द किया जा सकेगा, क्योंकि इससे हरिजनों का काम होगा और हरिजनों का उत्थान होगा। हरिजनों के लिए कई बस्तियों का निर्माण कर देंगे, ऐसा समय-समय पर कहा गया और कुछ का उद्घाटन समारोह भी कर दिया गया, लेकिन अब हरिजनों को कोई पूछता नहीं है। यह कहा जाता है कि आज ही उनको प्लॉट दे दिया जाय, लेकिन फिर कहते हैं कि टेक्नीकल सेन्क्शन नहीं आई। १२ महिने तक टेक्नीकल सेन्क्शन नहीं आती हैं किसी स्कीम की बेचारे करें क्या? अर्बन इम्प्रूवमेंट वालों के पास जाते हैं तो वे कह देते हैं कि टेकनिकल सेन्क्शन नहीं आई है। यदि वे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि स्कीम काट दी

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

गई, पर क्या करें कागजात गवर्नमेंट के पास में हैं। हरिजनों के काम के लिए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन हरिजन लेफ्ट–राइट करते फिरते हैं, सेक्रेटेरियेट, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और समाज कल्याण विभाग की तरफ। इसलिए मैं जो कुछ निवेदन कर रहा हूं वह हरिजनों की ओर से कह रहा हूं क्योंकि मैं उसी दुखी कस्बे की ओर से आया हूं। रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन उसका हम लोगों के लिए ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस ओर ध्यान दें और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों के उत्थान के लिए सब सहयोग दें। यह छोटा सा मसला नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण काम है। अब मैं फिर एक बार सरकार को धन्यवाद दे कर अपना भाषण समाप्त करता हूं और उसके द्वारा हरिजनोत्थान की दिशा में जो कुछ किया है उसके लिए आभारी हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष,...

श्री धर्मपाल : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे थोड़ा समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सीकर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो कट मोशन मूव किया है, उसके समर्थन में दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ।

अभी खास तौर से समाज कल्याणकारी केन्द्र और विकास के कार्यों के सम्बन्ध में कई बातें आईं और उसके विषय में अन्य अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष में अपने विचार रखे और कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इसके विपक्ष में रखे। जहां तक मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में अभी अभी एक सम्मानीय सदस्य ने जो अपनी विचारधारा रखी, वे उस क्षेत्र के हैं और उसके साथ साथ जहां तक उनके दिल के जो उद्‌गार थे उनको मैं समझ पाया हूं कि जरूर उनके ऊपर कोई वैधानिक अड़चन होने की वजह से जबान नहीं खुल सकती है, लेकिन जहां तक ऊपर का दिल था वह जरूर खुल गया और तुरन्त एक आवाज इस प्रकार की निकली कि इस बात से ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में वे भी ऐसा महसूस करते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है।

अभी कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कई बातें रखी हैं उनको मैं जहां तक समझ पाया हूं कि इसमें हमारे सम्माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किये हैं। कोई भी आदमी होटल में चाय पी सकता है, हजामत बनवा सकता है, किसी मन्दिर में प्रवेश कर सकता है; हर प्रकार की आजादी मिली हुई है। जहां तक कानून का सवाल है मैं मानता हूं कि सरकार ने कुछ कानून ऐसे बनाये हैं कि जिससे उनको अधिकार मिले हैं। परन्तु वे इस बात पर गर्व करते हैं कि कानून बना लिया और कानून का लाभ हर आदमी को मिलता है, तो मैं समझता हूं कि वे कानून कागजों में जरूर है। मैं उसका यथार्थ जीवन में जहां तक समझ पाया हूँ १०० में से १ प्रतिशत भी लाभ नहीं मिल रहा है। कानून बन जाते हैं और कानून कई प्रकार के बने,

(श्री मुरलीधर व्यास)

परन्तु जब तक कि समाज के अन्दर कोई कान्तिकारी परिवर्तन करने के लिए हम स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते तब तक किसी भी हालत के अन्दर हम सुधार नहीं ला सकते। आज सही मायने में हम यह देखते हैं कि जो लोग समाज कल्याण केन्द्रों में काम करते हैं, वे स्वयं भी इस भेदभाव को दूर नहीं कर सके। वे समाज कल्याण विभाग के अन्दर नौकरी करते हैं। नौकरी इसलिए करते हैं कि काम करना है, वेतन पाना है, परन्तु जहां तक उनके जीवन का ताल्लुक है वे आज जिस उद्देश्य को लेकर जाते हैं कि हमें यह काम करना है, उस उद्देश्य पर चलने को तैयार नहीं हैं, उसको मानने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कामयाबी नहीं मिल सकती।

दूसरी बात, एक सम्माननीय सदस्य ने यह कही कि काफी सुधार किये हैं। जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा सरकार धन लगाती है और इसके पहले भी जहां तक पिछड़ी जातियों के, हरिजनों के सुधार का सवाल था, महात्मा गांधी ने अपना कदम उठाया तो कोई ऐसी सरकार उन्हें धन नहीं देती थी। उनके द्वारा किये गये काम में और आज के काम में बड़ा भारी भेद है। गांधीजी के काम का जो तरीका था उसका सम्बन्ध उनके जीवन से था, उनके व्यवहारिक कार्यों से था, परन्तु आज जिस क्षेत्र का सम्बन्ध है, सही मायने में आप मानें चाहे न मानें, उसका सम्बन्ध जीवन से नहीं, व्यवहार से नहीं, उसका सम्बन्ध कुछ राजनीति से भी है और इसके साथ साथ कुछ इस प्रकार के ढंग से भी है, और मैं यह मानता हूं कि उसके साथ साथ जरूर कुछ न कुछ काम किया है, पर जो काम गांधीजी का उदाहरण दे कर बहुत भारी सुधार किया तो गांधीजी के जमाने में और अब जब कि बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत अन्तर है। परन्तु गांधीजी के जमाने में जो विकास हुआ, जो जागृति हुई बिना पैसे के और हमारे पैसा लगाने से जो काम होना चाहिए वह उस जमाने और उस वक्त के साथ में ज्यादा नहीं हुई है। हमने सुना है कि सन् ५१ के अन्दर जहां तक पैसे का सवाल है ७ लाख रुपया समाज कल्याण केन्द्रों पर लगाया गया था वह धीरे धीरे सन् ५१ से आज ५७ में ४५ लाख रुपया हो गया है। केन्द्रीय सरकार से भी २८—३० लाख मिलता है और हमारी सरकार भी कम से कम ५० लाख रुपया लग जाता है। यदि हम उस दृष्टिकोण से तुलना करें जिस प्रकार से कि पहले काम चलता था तो मैं समझता हूं कि आज उस दृष्टिकोण से वह सुधार जो दिलों में होना चाहिए और उसके साथ ही साथ उसका सम्बन्ध हर व्यक्ति से होना चाहिये, वैसा नहीं हुआ।

मैंने खुद ने देखा कि एक बार खुद सुशीला नायर बीकानेर आई थीं उस समय उन्होंने कुछ ऐसे लोग जो बड़े भारी इस विचारधारा के मानने वाले थे उनके सामने बैठकर एक साधारण हरिजन से कहा कि पानी पिला दो। उस समय बड़े अच्छे अच्छे सक्रिय सदस्य जो वहां बैठे हुए थे वे वहां से उठ कर बाहर चले गये यह सोच कर कि यदि वहां बैठे रहे तो उनको भी उस हरिजन के हाथ से पानी पिलाया जायगा। तो जो उसूलों को मानने वाले हैं, उसूलों पर चलने वाले हैं वे उसूलों को न मान कर पानी नहीं पीने के कारण वहां से उठ कर चले गये तो यह सम्बन्ध उनके हृदय का हो गया। इसलिये मैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

निवेदन करूंगा कि हृदय का सुधार आवश्यक है ।

इसके साथ ही साथ जब तक आर्थिक सुधार नहीं होता तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है । सही माने में हमको यह विचार करना है कि उनका आर्थिक विकास होना चाहिये । खास कर हरिजनों के उत्थान के मामले में जो कदम उठाना चाहिये वह नहीं उठाया जा रहा है । सरकार चाहे यह कहे कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप खास उदयपुर डिविजन में ही चले जाइये वहां की कई नगरपालिकाएं ऐसी मिलेंगी जहां के हरिजनों को २० रु० माहवार वेतन मिलता है और उनकी अजीब आर्थिक स्थिति है । जब तक आप उनके जीवन के विकास के लिए आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । आप चाहे होटलों में जाकर चाय पीने देने के लिये कानून बना दीजिये, चाहे ऐसा कानून बना दीजिये कि नाई की दुकान पर जा कर हजामत बना सकते हैं या दूसरी और कई बातें आप कानून के जरिये कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ही जब तक उनको विकास का साधन नहीं देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सही माने में उनका जो विकास होना चाहिये वह नहीं होगा और लोक कल्याणकारी समाजवादी समाज की जो स्थापना करना चाहते हैं या जाति-विहीन समाज की स्थापना का जो आपका लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा । उसके लिये यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लायेंगे और विषमता को दूर नहीं करेंगे तब तक खास कर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी हालत नहीं सुधरेगी । जो लोग खास कर पिछड़े हुए हैं उनके पिछड़े हुए होने का वैज्ञानिक कारण क्या है ? उसका एक मात्र कारण उनकी आर्थिक कमजोरी है और जब उनका आर्थिक विकास हो जाता है तो एक हरिजन जो मन्त्री बन जाता है उनके साथ बड़े बड़े ब्राह्मण खाने पीने को तैयार हो जाते हैं और यदि कोई हरिजन केन्द्रीय सरकार का मन्त्री बन जाता है तो ब्राह्मण उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो जाते हैं । इसका क्या कारण है ? इसका एक मात्र कारण यह है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उसको समाज में प्रतिष्ठा मिल गई तो उसके लिये जो चाहे वह हो जाता है । आज यदि हम इस दृष्टिकोण से उनका विकास करने के लिये सक्रिय कदम नहीं उठाते हैं तो चाहे कुछ भी करें, उनका विकास नहीं हो सकता । चाहे जितने रुपये लगावें, उनका विकास नहीं होगा । मैं मानता हूं कि रुपयों से बात हो जाती है लेकिन असल लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जब तक सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे तब तक किसी भी हालत में जाति-विहीन समाज की स्थापना हो जाय या समाज में से भेद भाव उठ जाय यदि ऐसा चाहें तो भी हट नहीं सकते । इसके लिये सरकार को गहराई से सोचना पड़ेगा ।

समाज कल्याण केन्द्र के द्वारा जहां तक आर्थिक विकास करने का सवाल है कई दफा हम देखते हैं कि उसके पैसे को किस तरह लगाया जाता है । मुझे याद है बीकानेर में शिवबाड़ी में हरिजन रहते हैं । वहां पर एक ही कुआं था जिससे वे पानी भरते थे । वहां पर उनको निःशुल्क पानी मिलता था, पानी के लिये पैसा नहीं लगता था और वह कुआं राज्य का था । उस पर आज शिवबाड़ी के महन्त का कब्जा है । जहां पहले हरिजनों को पानी मुफ्त मिलता था वहां उन्होंने मुफ्त पानी देने से इन्कार कर दिया । इस पर वहां के हरिजनों की औरतें ३ माइल की दूरी से

(श्री मुरलीधर व्यास)

कलेक्टर साहब के पास बीकानेर आईं और उनसे कहा कि हमको पानी नहीं मिलता है। कलेक्टर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यह कुआ महन्त के कब्जे में है, बिजली उनकी है, चाहे वह सरकार के द्वारा ही लगी हो लेकिन वे इसका इन्तजाम नहीं कर सके। समाज कल्याण विभाग से कहा कि आप मदद करिये, लेकिन उन्होंने भी कहा कि कानून से हम कोई मदद नहीं कर सकते। आज वहां पर १०० परिवार हरिजनों के रहते हैं उनके पीने के पानी के लिये कोई इन्तजाम नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि उनके लिये हम बड़ा बड़ा काम करते हैं लेकिन सबसे बड़ी आवश्यक चीज जो पानी है और जो मुफ्त मिलना चाहिये उसे भी नहीं दिला सके। इस काम को समाज कल्याण केन्द्र नहीं कर सका। वे लोग महीनों तक हैरान हुए और अन्त में पैसे देने पर पानी उनको मिला। समाज कल्याण केन्द्र सोच सकता था कि इतने से घर हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में साल में ५० रु. या १०० रु. मिलते तो हम सोच सकते थे कि उनको आर्थिक सहायता मिल रही है। इसी प्रकार गंगाशहर में हरिजनों ने पानी के लिये मांग की और कहा कि हम खुद श्रमदान करके कुआ खोद लेंगे। पाइप आप लगा दें, नालियें हम बनालेंगे, आप हमको सिर्फ पाइप दे दीजिये। यह आर्थिक मदद का सवाल था। इस मामले में भी उनकी सहायता नहीं कर सके।

आज बीकानेर में साढ़े चार लाख रुपये हरिजन बस्तियों को बसाने के लिये दिये गये हैं। तीन चार साल से सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं कि उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। सरकार की ओर से मकान बनवाकर उनका उपयोग हरिजनों द्वारा करने का सवाल था लेकिन आज तक मकान बने नहीं। यदि उनके दिल में हरिजनों के प्रति प्रेम होता तो ४ साल से सरकार सोई हुई नहीं रहती और कुछ न कुछ काम करती।

मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिये। आज होना यह चाहिये कि जितनी भी नगर-पालिकाएँ हैं उनको जो ७५ लाख रुपये दिये जाते हैं उनमें से ३४ लाख रुपये हरिजनों को मिलते हैं। इन नगरपालिकाओं में कहीं हरिजनों को कुछ वेतन मिलता है तो कहीं कुछ। सरकार की ओर से निश्चित यह होना चाहिये कि किसी भी नगरपालिका में हरिजन काम करते हैं उनको ६० रुपयों से कम वेतन नहीं मिलेगा। यह घोषणा होनी चाहिये। यदि उनको इतना वेतन नगरपालिकाएँ नहीं देती हैं तो उसको सरकार की ओर से जो ग्रान्ट मिलती है उसमें से अपनी तरफ से सरकार को मिलाकर देना चाहिये, लेकिन उनको इतना वेतन जरूर मिलना चाहिये। यह उनकी सक्रिय सहायता होगी।

इसी प्रकार यह करना चाहिये कि गांवों में जो किसान रहते हैं उनको जिस तरह से जमीन दी जाती है उसी तरह से हरिजनों के लिये भी यह किया जाना चाहिये कि उनके लिये इतनी जमीन है। यदि यह चीज होती है तो मैं समझता हूँ वाकई उनके आर्थिक जीवन के विकास के लिये सरकार सक्रिय है। जो लोग उनके आर्थिक जीवन का उत्थान करने में सक्रिय हैं उनको कहिये कि वे काम करें। यह ठीक है कि पैसा लगता है तो लाभ होता है। लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि सर-

(श्री मुरलीधर व्यास)

कार सही माने में समाजवादी समाज की स्थापना में विश्वास करती है तो अछूतों के लिये यह काम करना पड़ेगा। उनके आर्थिक विकास के लिये निश्चित योजना बनाकर कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिये सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस पर विचार करेंगे।

२. ३८ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री धर्मपाल (नोहर) : माननीय चेयरमेन महोदय, जो सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कट मोशन रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ऐसी भावनाओं को रखने वाली मौजूदा कांग्रेस विचारधारा की हमारी सरकार है और जो हरिजनों का कल्याण चाहती है और दूसरी तरफ समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है जो पुरानी परम्पराओं से बंधा हुआ है, जिसका आज हम दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं। आज हम यह भी देख रहे हैं कि महात्मा गांधी की कृपा से और कांग्रेस के महान प्रयत्नों से आज हरिजन समाज में चेतना आई है, आज हरिजन समाज इस बात को महसूस करने लगा है और यह देखने लगा है कि हमारी क्या अवस्था है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे लिये सच्चे दिल की भावना से काफी कुछ कर रही है। आये साल काफी पैसा बजट में रखा जाता है और खर्च भी किया जाता है। लेकिन बीच में एक ऐसा तबका है जो हमारी सरकार की नीति को सफल नहीं होने देता है।

जो यह हरिजनों के उत्थान का काम है, यह मामूली काम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा काम है और इसे पूरा करने के लिए हर आदमी को अपने विचारों को बहुत ही विशाल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पुराने संस्कारों के अनुसार हमारे समाज के, कुछ के, बहुत ही संकीर्ण विचार हैं, जिनकी वजह से यह कार्य बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटता जा रहा है और इसका कोई विकास संतोषजनक नहीं हो रहा है। मैं बताऊं कि आज कितनी ही योजनायें सरकार ने चलाई हैं। हरिजनों की बस्ती के लिए भी काफी रुपया भारत सरकार से मंजूर होता है। हमारे यहां की म्युनिसिपेलिटियों को इसकी जानकारी कराई जाय, वे योजनायें बना कर भेजें। आधा रुपया वे लगायें और आधा रुपया भारत सरकार से मिले, तब इस सरकार के द्वारा इस प्रकार की आदर्श बस्तियां बसाई जा सकती हैं। हम देखते हैं कि जयपुर के आस-पास हरिजन बस्तियां हैं, इन बस्तियों के अन्दर कूड़ा करकट डाला जाता है, इससे इन बस्तियों में रहने वालों की तन्दुरुस्ती अच्छी बनने के बजाय उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। उन लोगों ने बार-बार पुकार की है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक बनाने के लिए, हमारी बस्तियों को स्वच्छ बनाने के लिए, सरकार हमारी मदद करे। लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो कुछ करती है, जो स्कीम बनाती है, वह समाज के बहुत बड़े समुद्र में जाकर पनप नहीं सकती। इसलिए यह सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य हो जाता है कि हरिजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मिल जुल कर काम करें। सरकार अपनी तरफ से कानून बनाती है हरिजनों के उत्थान के लिए, लेकिन समाज उस कानून की अवहेलना करता है।

(श्री धर्मपाल)

एक माननीय सदस्य ने बताया कि हरिजन जिस वक्त होटलों में जाते हैं तो मिठाइयों को हाथ लगा कर कहते हैं कि यह मिठाई दीजिये। यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्या हरिजन अब भी इतने अयोग्य हैं कि मिठाई को हाथ लगा कर कहें कि यह लाओ? यह सिर्फ आलोचना करने का ढंग है। उनमें इतनी चेतना जरूर आई है सरकार के प्रयत्न से, कांग्रेस के प्रयत्न से, कि हमें मानव बनना है, हमें अपनी अवस्था को सुधारना है। हां, वर्तमान अवस्था के अन्दर उनकी स्थिति को ऊंचा नहीं समझते। हमें उन्हें इससे ऊंचा उठा कर मानवता के सही धरातल पर ले जाना है। यह तभी हो सकता है जब समाज और सरकार दोनों इस काम को हाथ में लेवें। मैं एक मिसाल बताता हूं, जैसा कि एक माननीय हरिजन सदस्य ने बताया कि होस्टलों के अन्दर उनको खान-पान अच्छा नहीं मिलता; यह बात सही है। जो लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें महाराजा कॉलेज के होस्टल में क्यों नहीं रखते, उन्हें हरिजन होस्टल में क्यों रखा जाता है? यदि उन्हें महाराजा कॉलेज के होस्टल में स्थान मिलता है तो उनके स्टेन्डर्ड में फर्क अवश्य आयेगा। वे अन्य लड़कों के साथ रहेंगे तो उनके साथ रहने से उनके जीवन में, विचारों में, परिवर्तन आयेगा। मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था कि जो बी. ए. की श्रेणी के छात्र हैं, जो मैट्रिक की श्रेणी के ऊपर के छात्र हैं, उनको सामुहिक होस्टल में दाखिल करना चाहिए और उनका जितना खर्च हो, उतना सरकार को देना चाहिए। इसी प्रकार छोटे होस्टलों में देखते हैं। बीकानेर होस्टल में पिछली सर्दी में लड़कों को रजाई नहीं मिली, उन्होंने सर्दी में हड़ताल की और रात भर वे बैठ रहे। लेकिन सर्विस करने वाले भाइयों का बर्ताव हरिजन समाज के साथ ठीक नहीं है। उन छात्रों को कपड़े नहीं मिलते हैं। हमने उनसे पूछा कि इन्हें ऐसा खाना क्यों देते हो, तो जवाब मिला कि इन्हें सातवें रोज मोटा खाना इसलिये खिलाया जाता है कि वे अपनी सही स्थिति को न भूल जाय। ये सारी बातें हमारे विचारों की संकीर्णता की ओर इशारा करती हैं। हमें आज विशालता की ओर जाकर, समाज की संकीर्णता का विनाश करना है। आज के युग में संकीर्णता की भावना को लेकर हम हरिजन समाज का कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए समाज को चाहिए कि वे हरिजन उत्थान के लिये दिल खोल कर मैदान में आ जाय। कोरी बातें बना देने से काम नहीं चल सकता। मुझे एक कविता याद आ जाती है :

कोई क्योंकर न रो दे, देख कर
यह हालो ज़ार अपना।
जुबानी लैक्चरों से रह गया,
खाली सुधार अपना।
अछूतों की वही हालत,
जो पहले थी सो अब भी है।
वही छुआछूत और नफरत,
जो पहले थी सो अब भी है।
पुकारा न अछूत उनको,
हरिजन कह दिया तो क्या?
नहीं दिल में सफाई तो
जुबां से कुछ नहीं होता।
दलित भाई के साये से भी,
कतराते हुए रहना।
यही है क्या सुधार अपना,
जरा ईमान से कहना।
हुआ क्या खा लिए एक दिन,
बताशे इनके हाथों से।

(श्री धर्मपाल)

भला कल्याण होता है
कहीं ऊपर की बातों से।
इरादे तो हैं मंजिल के,
सफर करना नहीं आता।
हमें कहना तो आता है
मगर करना नहीं आता।

(करतल-ध्वनि)

आज करने की जरूरत है। बातें करने की बात पीछे रह गई है। आज समाज के कल्याण को चाहते हैं तो उन्हें गले लगा लेना चाहिए और हरिजनों को बराबर के धरातल पर ले आना चाहिये। यदि हमें दुनियां के साथ चलना है तो इन्हें साथ लेना ही पड़ेगा। आज हरिजन समाज कुचला जा रहा है, इससे हरिजन समाज को ही खतरा नहीं है, हमारे देश को भी खतरा है। हमारे देश के सब समाज सबल होंगे, तभी देश आगे चल सकता है। हर काम में त्रुटियां होती हैं, गलती होती है, इस काम में भी त्रुटियां बहुत हैं, पर उन त्रुटियों को लेकर ही आलोचना करना मैं अच्छा नहीं समझता। आज के युग में हर व्यक्ति को संजीदगी के साथ काम करना है, सारे समाजों को एक होकर काम करना चाहिये। मैं इतना कह कर आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आप लोगों और सारे समाज को सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जो कुछ करती है, वास्तव में उसके सामने वह एक भावना है और उसी भावना को लेकर वह प्रोग्राम रखती है लेकिन हमारा समाज उस भावना की कद्र नहीं करता और उस प्रोग्राम से सहयोग नहीं करता है। इस कारण से वह प्रोग्राम फेल होता जाता है और उसमें कमजोरी आती है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापतिजी, आज इस समाज कल्याण विभाग के बारे में काफी बातचीत हुई और जब बात बहुत ऊंची बढ़ने लगी तो मेरा विचार हुआ कि दो चार शब्द मैं भी कह दूं। यह जो समाज कल्याण विभाग का नाम है, उसमें जो कल्याण शब्द है, यह शब्द बहुत पुराना है और योजनायें नई हैं, इसलिए ही यह कल्याण पूर्ण नहीं होता। मेरा विचार है कि कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर-शक्ति के साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। जब तक हमारा धर्म में विश्वास नहीं है, जब तक हमारा संस्कृति में विश्वास नहीं, तब तक लोगों की भलाई के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन आप समाज कल्याण नहीं कर सकते हैं। आज-कल हरिजनों का प्रश्न हमारे सामने है, उसके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग में कौन-सा दयानन्द जैसा महात्मा बैठा हुआ है, जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो सकता है। केवल रुपये फेंक देने से, संगठन बना देने से, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। जो यहां पर आध्यात्मवाद की बात कही गई, उसके द्वारा समाज का कल्याण हो सकता है। हमारे देश में समाज कल्याण की हवा चलाई गई और विचार हुआ कि बड़ा बड़ा कल्याण होने वाला है, शायद यह काम किसी बड़े महात्मा को दिया जाय, जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो। लेकिन केवल रुपये फेंक देने से समाज का कल्याण न करके विनाश करते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार केवल पैसा लगाने से समाज का विनाश होता है। आज के जमाने में पैसा उछाल उछाल कर

(श्री मदनसिंह दांता)

गांव वालों को देंगे तो उनके आपस में झगड़ा करवा देंगे, यह क्या समाज के विनाश का कार्य नहीं है। इसलिए या तो यह शब्द पलटा जाय, या फिर समाज कल्याण शब्द रखते हैं तो उसके साथ ईश्वर प्रेरणा की जरूरत है; कल्याण के लिए महात्माओं की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। आज आप समाज का कल्याण उनसे करा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि यह कार्य कैसे करना है, जिन्हें पता नहीं कि जीवन आज-कल कैसे चलता है, जिन्हें यह पता नहीं है कि समाज की क्या रचना है, उनके द्वारा भारत सरकार हरिजन समाज को किस तरह उठा सकती है। मैं तो सोच रहा था कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रन्थ; रामायण जैसे ग्रन्थों को हरिजनों को पढ़ा कर कल्याण करेंगे, उन्हें ईश्वरवाद की बात बतलाई जायगी जिससे उनका उत्थान हो सके। मैंने यह भी सोचा कि शायद इस समाज कल्याण के लिए कोई रैदास जैसा महात्मा पैदा होगा, जिन्हें नमस्कार कर मंदिरों में जाने देंगे। लेकिन जो पैसा उछालने की बात है, इसके कारण विरोध हो सकता है, इसके कारण लड़ाई हो सकती है। गांवों में पैसे के कारण विरोध हो रहा है, कहीं अगर बलाई को पैसा दिया जा रहा है, तो भंगियों में नाराजगी होती है, कहीं उन्हें दिया जाता है तो बलाई नाराज होते हैं। इस प्रकार पैसे के कारण गांवों में विनाश हो रहा है, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। आज के जमाने में पैसे के आधार पर गांव के समाज कल्याण नहीं होता है। इस कारण इसका नाम समाज कल्याण न रख कर और दूसरा कोई नाम रख दिया जाय तो मान सकते हैं कि समाज की आर्थिक समस्या का हल करने के लिए योजनायें कर रहे हैं। आज इस प्रकार के विभाग की जरूरत क्या है? आज इस विभाग के जितने प्रतिनिधि हैं, वे काम कर रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है... ...

श्री सभापति : यह तो कट मोशन का अभिप्राय नहीं है।

श्री मदनसिंह : इसका अभिप्राय यही है। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार व्यर्थ में पैसा खर्च हो रहा है और वह हो रहा है समाज कल्याण के नाम से, पर धीरे धीरे से उससे कल्याण के स्थान पर विनाश हो रहा है। आज पैसे के कारण गांवों में लड़ाई हो रही है और हरिजनों को और अन्य जातियों को समाज कल्याण के नाम से आपस में लड़ाया जा रहा है, इस कारण से ही भंगी और बलाई आपस में लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी चीज़ लाई जाये जिससे समाज का कल्याण हो सके। पर आज ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि राजस्थान में बलाई वोटिंग के टाइम पर नहीं रहते, वे राजस्थान के बाहर काम के लिए जाते होते हैं। अगर राजस्थान में काम किया होता तो बलाई राजस्थान से बाहर न जाकर, अपनी झोंपड़ियों को छोड़कर विदेशों में जाकर काम नहीं करते, वे दूसरी जगह नहीं रहते। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिससे समाज का कल्याण हो। ऐसी व्यवस्था तो नहीं हुई पर समाज कल्याण विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार फैला है। हमारे मंत्री महोदय जब बोलेंगे तो कहेंगे कि भ्रष्टाचार की ही बात मैं करता हूँ। हम बात करें क्या जब कि सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के कोई चीज नहीं है और समाज कल्याण विभाग की नींव भी भ्रष्टाचार पर रखी गई है।

हम खुद देखते हैं, मोटरों का दुरुपयोग होता है, हम देखते हैं पेट्रोल का दुरुपयोग

(श्री मदनसिंह दांता)

होता है, समाज कल्याण के नाम पर। पैसे वहां दिये जाते हैं जहां इनके मेम्बर ज्यादा हैं, जहां लोग इनको ज्यादा वोट देने को तैयार हों, वोट लेने के आधार पर ही पूरा का पूरा विभाग, समाज कल्याण विभाग और फलाने फलाने विभाग चलते हैं। ये सब विभाग वोटों के लिये हैं, अन्यथा आज विभागों की आवश्यकता क्या है? जनता के इतने प्रतिनिधि यहां पर हैं, बाहर हैं, उनके जरिये पैसा खर्च किया जा सकता है, पर नये ओर्गेनाइज़ेशन्स तैयार किये जाते हैं, उनका पूरा मतलब यह होता है कि वह राजस्थान के अन्दर गांवों में सरकार की ओर से वकालत करें, और आज वकालत होती है। हम फिर चिट्ठी लायेंगे और मन्त्री महोदय, इस्तीफा देने को तैयार होंगे और कहेंगे कि मेरे बारे में थोड़ा सा भी सन्देह हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। अरे साहब, सन्देह क्या, सन्देह की दादी को ला दें, अगर आप स्तीफा दे दें तो। आज सब इसी तरह के विभागों के द्वारा सारा खाना-पीना हो रहा है, इससे बढ़ कर सन्देह और क्या हो सकता है?

अत: मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। यह समाज कल्याण नहीं, आज हरिजनों के साथ खाना खा लिया तो क्या, हर मिनिस्टर के लड़के की शादी हरिजनों के यहां होती उनकी और इनकी औरतें, एक चूल्हे पर बैठ कर खाना बनातीं, तो हम मानते कि समाज कल्याण हो रहा है। हरिजन भाई भी समझते नहीं, सीटों के लोभ में आ गये हैं, वर्ना उनको तो इनका साथ देना ही नहीं चाहिये। आ जितने हरिजन भाई इस पर बोलने के लिये खड़े हुए उन्होंने बोलने में केवल 'समर्थन' शब्द कहा, पर अन्तर्मन से इससे वे सब असन्तुष्ट हैं। यदि आज पूरी की पूरी असेम्बली का शो बाहर गांवों में किया जाय तो पता चल जाय कि लोग कितने सन्तुष्ट हैं ....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य विषयान्तर न हों, जो इस कट मोशन का सब्जेक्ट है उसी पर बोलने की कोशिश करें।

श्री मदनसिंह दांता: इसलिये मैं इस कट मोशन का समर्थन करता हूं और यह बताना चाहता हूँ कि इस समाज कल्याण विभाग के जरिये कोई काम नहीं हो रहा है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस कट मोशन पर जो कुछ बहस हुई है और मेरी खुद की जानकारी से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सोशियल वेलफेयर बोर्ड है उसकी तरह से मैं मानता हूं कि इसके जरिये कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है।

(विरोधी दल की ओर से करतल-ध्वनि)

इसके जरिये जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका ज्यादातर पैसा, फिजूल खर्ची जिसको कहते हैं, वेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें हो रहा है। जो उन्होंने कॉन्क्रीट एचीवमेंट किया है, उसका हिसाब लगाते, उसकी रिपोर्ट मन्त्री महोदय सदन में पेश करते तो वाकई में उनके एचीवमेंट्स को हम असेसमेंट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

यह जो सोशियल वेलफेयर है, उसमें

(श्री पी. के. चौधरी)

हमारा दृष्टि-भेद है, उसमें कुछ फर्क है, हमारे पी. एस. पी. के माननीय सदस्य मेम्बर हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके मैं बिल्कुल साथ हूं। जो हरिजनों का अपलिफ्ट करना है तो इस तरह सिर्फ मन्दिरों में जाने की इजाजत देकर, होटलों में बैठ कर चाय पीने की इज़ाजत देकर, हम उनका अपलिफ्ट नहीं कर सकते। यह गलत कन्सेप्शन है। वाकई में हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनके स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग अपने बराबर में ले आवें। हरिजन वेलफेयर की कोई जरूरत नहीं है, हरिजनों का इकोनोमिक अपलिफ्ट आप सबसे पहले करिये। बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में और जयपुर में जिस हरिजन का स्टेन्डर्ड आपके बराबर है, उसके साथ छुआछूत का बर्ताव कोई नहीं करता। एक हरिजन को क्लास ए. का ऑफिसर बना दीजिये, जितने उसके अन्डर में अफसर होंगे, कर्मचारी होंगे वे चाहे ब्राह्मण हों, उसके पैरों पड़ेंगे, छुआछूत की भावना उनके दिलों से निकल जाती है। यह जो डिस्टिंक्शन है, वह डिफरेन्सियेशन जो हमारा आर्थिक डिफरेन्सियेशन है, दोनों के रहने का स्टेन्डर्ड है, उसमें जो डिस्टिक्शन है, उससे यह भेद-भाव बढ़ा है। हरिजनों को अपने बराबर बनाना चाहते हैं तो मन्दिरों, मस्जिदों, में जाने से कुछ नहीं होता है। मैं सही कहूं तो लोगों के दिलों में इतनी भावना नहीं है, मन्दिरों में नहीं जाने दें तो उसका कोई नुकसान नहीं हो जाता है। कुछ सदस्य-यहां सदन में हैं, बाहर भी हैं वे मन्दिरों में जाते हैं, ट्रेडिशन है, रूढ़ि है, इस लिये जाते हैं। यह नहीं है कि मन्दिरों में नहीं घुसने देंगे तो कोई खास उसका नुकसान है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारा एम्फेसिस है, एप्रोच है, वह गलत है। यह जरूरी नहीं है कि आप उसको मंदिर में जाने दें, साथ में बैठने दें। शहर में जिस हरिजन की इकोनोमिक कन्डीशन अच्छी है, वहां ब्राह्मण और हरिजन के लड़के बराबर साथ-साथ चलते हैं, भेद-भाव नहीं रहता; सिर्फ स्टेन्डर्ड ऑफ़ लिविंग ठीक कर देंगे तो जो सामाजिक भेद-भाव है वह मिट सकता है। आप सिर्फ इनके आर्थिक कन्डीशन्स को, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठा दें। शहर में कोई नहीं पूछता कि यह हरिजन है, या ब्राह्मण है या मुस्लिम है। हर एक स्टेन्डर्ड को देखता है। असल बात जो है हरिजनों की, वे लोग गंदे तरीके से रहते हैं, कपड़े मैले हैं, पर कपड़े मैले क्यों हैं यह नहीं सोचते, हम समझते हैं कि लेक्चर देने से कपड़े साफ हो जायेंगे। उसके पास कपड़े साफ रखने के लिये साबुन खरीदने को पैसे नहीं, अच्छा खाने-पीने का साधन नहीं, अच्छा मकान रहने को नहीं; तो फिर कैसे उसका अपलिफ्ट हो सकता है? इस तरह सोशियल वेलफेयर का हिसाब है, वह बिल्कुल गलत है, इस हिसाब में खास बात है वह यह है कि उनकी इकोनोमिक कन्डीशन है उसे अपलिफ्ट करना है, सोशियल वेलफेयर के हिसाब में आज जितना पैसा जाता है उसको इनके इकोनोमिक अपलिफ्ट करने में खर्च करें तो इतने व्याख्यान करने की, इतने भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

आज सामाजिक उत्थान की बातें करते हैं। वह एक महज प्रोपेगेन्डा है। असल जड़ की बात इकोनोमिक प्रोब्लम है, इसको ठीक कर दीजिये। मिल में, कारखानों में देखिये, एक केटेगरी के वर्कर हैं, जिनकी तनख्वाह का स्तर एक है, चाहे वह हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो; वे लोग साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ खाते हैं,

(श्री पी. के. चौधरी

क्लब में रहते हैं; सिर्फ घर में जाते हैं तो वह भेद भाव रहता है । यह हमने देखा है । एक वर्ग की तरह से फेक्ट्री में वे लोग काम करते हैं । वहां पर कोई ब्राह्मण या हरिजन का भेद भाव नहीं रखते । वे लोग साथ में बैठते हैं और मीटिंगें करते हैं । एक कमेटी में रहते हैं और हरिजन को प्रेसिडेन्ट चुनते हैं और उसके साथ काम करते हैं । तो हमें यह कहना चाहिये कि हमारा जो एप्रोच है वह गलत है । इसको मैं सिर्फ प्रोपेगेन्डा मानता हूं या एडवार्टाइज़मेंट मानता हूं । हो सकता है कि इसको करने से हमको एक प्रकार का आत्म सन्तोष मिलता हो ।

३. १ म. प.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, I would like to know whether it is a general discussion or only supplementary budget on a particular item which has been submitted now. The Hon. member is speaking in favour of the cut motion or against that or you will allow general thesis-like debate in such a way which is not beneficial to the House except in wasting the time of the House ?

श्री सभापति : I do not think, it is a general discussion. Since it relates to a particular class and the Harijan members are very much interested in the debate, I am allowing the members to express views on the subject. It is not a general discussion.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति, इसमें जो कमी है उसके सम्बन्ध में सुझाव हो वे कहें और जो व्यापक नीति है उस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है; दूसरे अवसरों पर कहा जा सकता है ।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order ! Order-please !!

श्री पी० के० चौधरी : (अश्रव्य) मुझे अफसोस है कि जिस माननीय सदस्य ने अब ऑब्जेक्शन उठाया, अब तक क्या वे सो गये थे ? कब से इस किस्म का डिस्कशन चल रहा था !

श्री ज्वालाप्रसाद : The time of the House is very valuable. We are here to discuss the supplementary budget. This is an idealist sort of talk. Is it relevant to the House ?

श्री सभापति : I think I have been drawing the attention of the Hon. membrs to keep them engaged on the subject matter of the cut motion and I would request Mr. P. K. Chaudhari just to continue his speech on the subject which is very clear and I think there should be general remarks on it.

श्री पी०के० चौधरी : I will obey the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद : I was waiting ultimately......

(बाधाएं)

श्री मदनसिंह : The Hon. member.........

श्री सभापति : You should not enter into discussion. The Hon.

(श्री सभापति)

member should not enter into discussion. No cross discussions please.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सब्जेक्ट था उस पर ही कह रहा था और मैं इस बात को मान कर चल रहा था कि कट मोशन है उनमें हम फन्ड को एलाउड नहीं करना चाहते; वह क्यों नहीं करना चाहते उसकी वजह बतानी चाहिये कि यहां पर यह फन्ड वेस्ट हो रहा है इसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाहिये ।

श्री सभापति : The Hon-member will speak on this motion, subject only.

श्री जगदीशप्रसाद : The demand is quite clear and it is such that we can speak, we can discuss anything regarding social............

श्री सभापति : The Cut motion is very clear to discuss the failure of the Govt. in the proper utilisation of the funds allotted for their welfare. So things connected with this matter, the utilisation of the funds should only be discussed and talked.

श्री जगदीशप्रसाद : We can discuss only, 'How welfare is carried on'?

श्री पी. के. चौधरी : I will speak strictly now to the subject.

श्री ज्वालाप्रसाद : (अश्रव्य)

श्री सभापति : The Hon. member will help me to maintain the decorum of the House, please.

श्री पी. के. चौधरी : मैं सिर्फ, सोशियल वेलफेअर के कार्य में गड़बड़ी होती है, उसके बारे में कहना चाहूंगा । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सोशियल वेलफेअर फन्ड का मेनेजमेंट और इन्तजाम बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । आज सुबह मैंने सोशियल वेलफेयर मिनिस्टर से प्रश्न में पूछा था कि सोशियल वेलफेअर बोर्ड हैं उनके जो सदस्य हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं और उनको मंत्री जी नहीं बता सके । उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि यह एक सेपरेट क्वेश्चन है । लेकिन वह सेपरेट क्वेश्चन कैसे हो सकता है ? जब हम किसी प्रश्न को सदन में पेश करते हैं तो हम ऐसा प्रश्न पेश करते हैं जिसका उत्तर हम जानते हैं । उसको इसलिये पेश करते हैं कि यह एक महज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है और जिसका जवाब नहीं जानते उसको हम प्रेस नहीं करते ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे एक्सप्लेनेशन देने की कृपा न करें। कट मोशन पर ही बोलें और अपना टाइम वेस्ट न करें ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, इस मसले पर इतनी बहस हुई । इसलिये मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं कि फन्ड का जो मिसयूज़ होता है, उसको ठीक तरह से काम में नहीं लाया जा रहा है, उसके एन्टिसिडेन्ट पर हमको कहने का वक्त है । लेकिन आप यह समझें कि फन्ड के मिसयूज़ के बारे में सिर्फ यह कहा जाय कि उसका मिसयूज़ हुआ, यह उचित नहीं; लेकिन उसका रूट कॉज़

(श्री पी. के. चौधरी)

क्या है उसको जो लोग जानते नहीं कि किस ढंग से फंड का मिसयूज़ हो रहा है उसके बारे में नहीं कहा जावे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने यह नहीं कहा कि उनकी त्रुटियों को न कहें। आपने त्रुटियों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, उससे आपका समय नष्ट हो रहा था।

श्री पी.के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई एक्प्लेनेशन नहीं दिया था। मैं मानता हूं कि सोशियल वेलफेअर बोर्ड में जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छे आदमी काम किये हुए मौजूद हैं और उनको राजस्थान में उन लोगों को नहीं रखा गया है। पोस्टिंग्ज़ जो होती हैं वे मैं समझता हूं कि मेरिट्स पर होती हैं और अगर मेरिट्स पर होती हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जब अदर कन्सीडरेशन पर पोस्टिंग्ज़ होती हैं तब हमें देखना पड़ता है। उस समय हमें यह देखना होता है कि वास्तव में काम करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। इसके अलावा सब से ज्यादा खेद की बात यह है कि सोशियल वेलफेअर बोर्ड में एक भी हरिजन नहीं है जहां तक माननीय मंत्रीजी ने लिस्ट को पढ़ कर सुनाया उससे प्रतीत होता है। आप बोर्ड बनाते हैं हरिजनों के उद्धार के लिये और उसमें हरिजन एक भी नहीं। यह एक प्रकार का उपदेश है जिसके एन्टिसिडेन्ट हम जानते हैं, माननीय मंत्री महोदय सभी जानते हैं लेकिन बताते नहीं। अच्छा कार्य तो तभी हो सकता है जब उनके (सोशियल वेलफेअर वर्क्स) के दिल में कोई भावना हो और उनके दिल में हरिजनों के लिये लगन हो और यह तभी हो सकता है जब या तो वह खुद हरिजन हो या दूसरा वह व्यक्ति हो जिसने अपनी जिन्दगी हरिजनों की भलाई के लिये बिताई हो और हरिजनों के साथ काम किया हो। मगर यहां पर हम देखते हैं कि पहले तो उन्होंने और धन्धे किये और जिस दिन से सोशियल वेलफेअर के सदस्य बने और जब उनको जीप गाड़ी मिल गई वे समाज-सेवी बन जाते हैं। यह चीज गलत है। सोशियल वेलफेअर का काम यदि आपको अच्छी तरह से करना है तो हरिजन को अवश्य लीजिये। यह क्या बात हुई कि सोशियल वेलफेअर में हरिजन सदस्य नहीं हो; और यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान में हरिजनों में काम करने वाले आज तक कोई आदमी नहीं, आप कहां से लोगों को उठा कर लाये जिसने आज तक कभी हरिजनों में काम नहीं किया और उनको वहां बिठा दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (समाज कल्याण मन्त्री) : मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सोशियल वेलफेयर बोर्ड अलग चीज है और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग, जो गवर्नमेंट का है। सोशियल वेलफेयर बोर्ड हरिजनों तक सीमित नहीं हैं। 'सोशियल वेलफेयर बोर्ड' तमाम स्त्रियों में, बच्चों में काम करने वाला शब्द है।

श्री पी. के. चौधरी : हरिजन शब्द का आज कल इस्तेमाल करते हैं, उसको ईडियोमेटिक शब्द बना दिया है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : जो कट मोशन मूव किया है उसमें यह है : "Scheduled Caste, Scheduled Tribes and ex Criminals"

श्री श्रीभानसिंह : यह नहीं है।

श्री सभापति : This is the cut motion before me.

श्री जगदीशप्रसाद : This is not before us.

श्री श्रीभानसिंह : I would draw your attention to page 2.

श्री सभापति : I am just referriing to the cut motion by the Hon. member who has moved it.

श्री श्रीभानसिंह : No. 5-"to discuss the failure of the Govt. in..."

श्री सभापति : The cut-motion is just like that I have explained..

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of information, Sir, the cut motion is against the Social welfare Department.

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष (सभापति) महोदय,....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि वेलफेयर में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब्स को एक्स्क्ल्यूड करते हैं और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन सब एक्टीविटीज़ को डील करता है; what do you say ? It is under the Social welfare Board.

वैसी हालत में आनरेबल मेम्बर के लिये तमाम वेलफेयर एक्टीविटीज़ को रेफर करना उचित प्रतीत होता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कन्फ्युजन रहता है, इसलिए मैंने निवेदन किया था। मैं नहीं कहता कि वे उनको रेफर न करें।

श्री सभापति : ठीक है, आपने एक्स्प्लेन कर दिया।

श्री मोतीलाल चौधरी : The cut motion is against the Social welfare Department. He is not to speak against the Social welfare Board. He is speaking and totally speaking against the Social welfare Board. So I want to draw the attention, Sir, That he should speak against the department itself.

श्री सभापति : Order ! Let the Honourable member continue.

श्री मोतीलाल : What I meant was that he should speak against.

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order. (interruptions)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड अलग चीज़ है और डिपार्टमेंट अलग चीज़ है। किन्तु एक ही मिनिस्टरी के अन्तर्गत हैं; इसलिए आपको आशंका हो सकती है और इसी लिए मैंने निवेदन किया।

श्री सभापति : I allow him to speak.

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) मैं जहां तक समझता हूं सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट का काम सोशल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू होता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के लिम्बस हैं, हाथ पैर हैं। जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं करता है तो उसके सिर में हथौड़ा नहीं ठोकते हैं किन्तु हाथ पैर में चम्पी करता है। इतनी बात होती है, सोशल वेलफेयर बोर्ड की। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, यह जानकर खुशी हुई कि इसमें हरिजन ही नहीं हैं, शिड्युल कास्ट नहीं है, शिड्युल ट्राइब्स नहीं है। सब का है तो सब के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ ले लीजिए। आपने जानकारी दी है तो मैं कहूंगा कि ट्राइब्स को भी ले लीजिये। इस बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्युट करना चाहिए। शिड्युल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब्स और लोग हैं उनके भी इसमें रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ ले लीजिए। जिन्होंने शिड्युल्ड कास्ट्स में काम किया है, सोशल वर्कर्स हैं उसके अन्दर उनको ले लीजिये; नहीं तो, जैसा कि इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, पहले गांधीजी के जमाने में जो बगैर पैसे से काम होता था और ज्यादा अच्छे ढंग से होता था, इच्छा से और बड़ी लगन और तेजी से काम होता था उसी काम को आज पैसे से कराना चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे भावना नहीं है, जो काम करना चाहते हैं वे पेड वर्कर्स हैं और इसीलिए काम नहीं हो रहा है। इस बात से मैं सहमत हूं और इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है कि बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्युट किया जाय और सोशल वेलफेयर की एक्टीविटीज़ रखनी हैं तो उनमें हरिजनों को और शिड्युल्ड ट्राइब्स को शामिल किया जाय। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : क्योंकि इस डिमान्ड पर १२ सदस्य बोल चुके हैं, मैं समझता हूं कि वादविवाद हो चुका है।

श्री श्रीभानसिंह : बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

("बोलने दिया जाय" इस प्रकार की आवाज)

श्री हीराजीभाई : श्री सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग ...

श्री सभापति : देखिये, इतना ध्यान जरूर रखिए कि जो कट मोशन आपके सामने है उसी पर आप अपने विचार प्रकट करें।

डॉ० चन्द्रकला : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम २३० की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूँ कि कट मोशन के काफी प्रस्ताव डिमान्ड्स पर हैं और इस डिमान्ड के कट मोशन पर काफी वाद-विवाद हो चुका है, इसलिए अब आगे वाद विवाद बन्द किया जावे।

श्री सभापति : इस वक्त जो सज्जन बोल रहे हैं, आपकी राय है क्योंकि वे हरिजन हैं, शिड्युल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

डा० चन्द्रकला : जो सदस्य बोल रहे हैं वे ही बोल सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, two members are standing in the House.

श्री सभापति : I allow him to speak-

श्री हीराजी भाई : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मुझे जो जानकारी है वह सदन के समक्ष रखूं। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आदिवासियों और हरिजनों के नाम से विकास खण्डों में, स्कूलों में या किसी योजना में, या किसी तरीके से काम

Page No.84

(श्री हीराजी भाई)

किये जाते हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है, किस तरीके से खर्च किया जाता है, कितने गलत तरीके से खर्च किया जाता है, उसके लिए मेरा जो अनुभव है, मेरी जो जानकारी है उसको मैं यहां बता दूं। बांसवाड़ा में दो आदर्श गांव खोले गये। एक गिरड़ी करके गांव है और दूसरा गांव है आदर्श गांव बिसिरिया करके। उन गांवों में सिर्फ आदिवासी ही बसाये गये हैं और वहां पर तीन वर्ष होने आये, पहले उन आदिवासियों के लिए इस प्रकार की योजना थी कि उनके लिए मकान बनाये जांय, कुए खुदवाये जायें, पीने के पानी के लिए कुए खुदवाये जांय और पंचायत–घर बनाया जाय, सड़क बनाई जाय और सारी की सारी योजना कल्याण विभाग से कराई जाय। उन आदि-वासियों में सुधार और एक आदर्श नमूना पेश करने के लिए वह योजना बनाई थी तीन वर्ष निकलने के बाद। वहां पर मैंने देखा कि दोनों आदर्श गांवों में एक स्कूल बनाई गई थी और कुआ खुदवाया गया था और एक पंचायत–घर बनाया गया, उनका आज तक किसी प्रकार का नमूना नहीं है। जो कुए खुदवाये गये थे, मकान बनाये गये थे, पंचायत घर, स्कूल बनाये थे तीन वर्ष से आज नामो-निशान नहीं है। आज जो समाज–कल्याण विभाग के मंत्री जाकर देखना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि जो स्कूल बनाया, पंचायत घर बनाया, कुआ खुदवाया कितने ही हजारों रुपया खर्च करने के बाद तीन वर्ष बाद उनका वहां कोई निशान नहीं है। इस प्रकार योजना बना कर रुपया खर्च करना बर्बादी करना है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस ढंग से काम किया गया? एक मील का भी एरिया नहीं है, सड़क बनाई गई, १५ हजार का एस्टीमेन्ट था, १२ हजार में ठेका दिया गया, कल्याण विभाग ने दिया, जिस ठेकेदार ने १० हजार में लिया उसने दूसरे ठेकेदार को ८ हजार में दे दिया, उसमें कितना गबन किया गया यह जानकारी समाज कल्याण विभाग बांसवाड़ा कराये। उसका दूसरे को फिर ठेका दिया और अब भी काम बन रहा है।

मुर्गी पालन केन्द्र खोलने का, कुए खुद-वाने, मकान आदि बनाने के लिये सात हजार रुपया मन्जूर हुआ था, उसका नामो निशान नहीं है।

आदिवासियों के लिये वहां मन्दिर बनाने की भी योजना थी, न मालूम मन्दिर बनाने की योजना कहां उड़ गई, पता नहीं?

समाज कल्याण विभाग की ओर से एक छात्रावास खान्दू में खोला गया है वहां बीस आदिवासी छात्र पढ़ते हैं लेकिन आज तक पैसा भी नही दिया गया।

कुशलगढ़ में एक आदिवासियों के लिए छात्रावास है जहां २६ विद्यार्थी रहते हैं, जो अपने घर से अनाज लाते हैं लेकिन आज तक उसको भी कोई एड नहीं मिली। न पुस्तकें मिलती हैं और न किसी प्रकार की एड ही मिली है।

इसी प्रकार डूंगरपुर में एक आदिवासी सेवा संघ नाम की संस्था चलती है जिसमें ३६ छात्र हैं, वहां पर भी उनको कोई एड नहीं मिल रही है। इस प्रकार आदिवासी और हरिजनों के नाम से इतना पैसा खर्च किया जाता है, न मालूम वह पैसा जाता कहां है।

जिला बांसवाड़ा में आदिवासी कल्याण विभाग के लिए एक मोटर दी हुई है, उस मोटर में समाज कल्याण का तो क्या कार्य

(श्री हीराजी भाई)

होता है उन अधिकारियों के बच्चे तक उस मोटर से नीचे नहीं उतरें। एक बार एक गांव में जापे से एक औरत मर रही थी, उसके लिए जब मोटर मांगी गई तो कहा गया कि पहले पैसा जमा करा दो फिर मोटर दी जायगी। इस प्रकार वहां का जो वातावरण है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि जहां जहां भी विकास खण्ड खोले जाते हैं; जैसे बांसवाड़ा, घाटोल, घड़ी वहां क्या क्या होता है उसकी जानकारी हमने विभाग को दी है लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। जब कोई कांग्रेसी साथी से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि आप तो विरोधी पक्ष वाले हैं, आपकी तो इस प्रकार आलोचना करने की आदत पड़ गई है। इस प्रकार लाखों रुपया आदिवासी और हरिजनों के नाम पर खर्च होता है, वह पैसा न मालूम किन लोगों की जेबों में जाता है इसलिये हमें कहने का अधिकार है, जो कुछ भी गड़बड़ियां वहां हो रही हैं उनको बताने का हमारा अधिकार है, हम बता सकते हैं। यह नहीं समझना चाहिये कि यह पैसा तो भारत सरकार से मिलता है या राजस्थान सरकार से मिलता है, यह तो सारे राष्ट्र का धन है जो वेश्यावृत्ति से नहीं कमाया जाता। इसलिये इसको गलत तरीके से न खर्च किया जाय और न इसे बरबाद ही किया जाय।

सरकार के विरोध करने का यह मतलब नहीं कि जो भी पैसा सरकारी स्तर पर खर्च किया जाता है उसको ठीक मान लिया जाय। जो कुछ गलतियां होती हैं उनको हम बता सकते हैं, हमारे राष्ट्र का धन है जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको गलत तरीके से खर्च न किया जाय, उसका सदुपयोग होना चाहिये ताकि जिस काम के लिये और जिन लोगों के लिए पैसा खर्च किया जाता है उनको फायदा मिल सके।

जहां तक आदिवासी और हरिजनों की आर्थिक अवस्था सुधारने का ताल्लुक है उनके लिए इस प्रकार का माप दण्ड होना चाहिये और ऐसा कानून होना चाहिये जिससे वास्तव में उनकी हालत सुधरे; तो यह हमारे लिये नयी चीज़ होती और इससे आदिवासी और हरिजनों को भी मदद मिल सकती है।

सरकार की तरफ से कई विकास खण्ड खोले गये। उस एरिया में आदिवासी छात्रों की पढ़ाई के लिए और उनके अनाज संबन्धी। स्कूलों में पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था की जानी चाहिये। यह तो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे तो लोगों की एक भावना बन गई है कि केवल वोट लेने के लिए चुनावों के समय वोट प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और इसी के लिये पैसा खर्च किया जाता है। आज जो कुछ भी जागृति आदिवासियों में हो रही है वह इसलिये कि समाजवाद की भावना लोगों में जागृति हुई है और उसी से लोग अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से पैसा जो खर्च किया जाता है वह विदेशी एजेंटों की तरह किया जाता है। विकास खंडों में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जरिये पैसा खर्च किया जाता है, न उसकी कोई रूप रेखा होती है न और भी कुछ होता है लेकिन पैसा खर्च कर दिया जाता है। यहां भी आदिवासियों के नाम और हरिजनों के नाम से जो पैसा खर्च किया जाता है वह पूंजीपतियों के लिये और उनके लिये लोगों के वोट मिल सकें, इसलिये यह खर्च किया जाता है। सरकार की जो इस प्रकार की नीति है उसके लिये मेरा तो यह कहना है कि इस नीति में सरकार

(श्री हीराजी भाई)

असफल रही है। इसलिये सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आदिवासियों के उत्थान के लिये ऐसे नियम और कानून बनने चाहिये जिससे सही मायने में उनकी उन्नति हो सके और जो भी पैसा उनके नाम से खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग हो सके।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : चूंकि अभी थोड़ी देर पहले डॉ० चन्द्रकला ने एक क्लोज़र मूव किया है.....

श्री श्रीभानसिंह : The Closure was not in proper form, Sir, the closure was not moved praperly. The specifie question should have been put. Therefore, I request your honour to reject it.

श्री सभापति : मेरे विचार से डॉ० चन्द्रकला ने रूल नं० २३० की ओर ध्यान दिलाया था।

श्री श्रीभानसिंह : She should have specifically placed it before the House and your Honour......

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आप जरा सन्तोष रखें। यह निवेदन कर रहा था कि डॉ० चन्द्रकला ने रूल नम्बर २३० की ओर ध्यान दिलाया था और उन्होंने उसके मुताबिक क्लोज़र मूव कर दिया था हालांकि टेक्निकली जो क्लोज़र का रूप होना चाहिये वह उस रूप में नहीं था, लेकिन उनका संकेत क्लोज़र की तरफ था, जिसे आप भी स्वीकार करते हैं और मैं भी स्वीकार करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो स्वीकार नहीं करता।

श्री सभापति : नंबर २३० के मुताबिक डॉ० चन्द्रकला क्लोज़र मूव कर सकती हैं और उन्होंने वैसा किया भी है। ऐसी हालत में इस विषय पर आगे डिस्कशन करने की गुंजाइश नहीं रहती।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ मे हमेशा लीनियेन्सी बरती गई है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : ऑर्डर प्लीज़। और दूसरे पोइन्ट्स आ रहे हैं, आप उन पर बोलियेगा।

श्री किशनसिंह बट्टड : इस पर ही बोलने की इच्छा थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन में इस समय सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो कट मोशन्स रक्खे। इसमें से एक सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से था, जिस पर भाषणों में काफी सदस्यों ने अपने अपने विचार रक्खे।

श्री श्रीभानसिंह: He is drawing your attention, Sir, that the question should have been put to the House.

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : He is replying to the debate.

श्री श्रीभानसिंह : But the question should have been put, Sir, to the House. That is very essential.

श्री सज्जनसिंह (सभापति) : After his reply, the question will be put. The Closure question will be put after his reply.

श्री अनूपसिंह : No, Sir, it is put before the reply.

श्री सभापति : I think so many Hon. Members have spoken on this cut motion. it is absolutely right of the Hon. Minister-in-charge to rebut the criticisms. After the reply, I think the motion will be taken.

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

Orderl ! order please !! After his reply cut motions will be taken one by one and after discussing these out motions ? demand will be taken.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : That is all right, but what about closure motion ?

श्री सभापति : Closure motion means that there will not be further debate on it. Of course, the reply is not precluded.

(सम्बन्धित मन्त्री महोदय से)

Yes, Continue.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन साहब, यह जो कट मोशन रखा उसके पीछे जो बात मैंने देखी ....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of order, Sir, perhaps you are committing an irregularity. Unless the motion of closure is carried in the House, the Minister in-charge cannot give reply. The Minister in-Charge has no right to speak, before the motion is carried. At least the question must be put before the House.

श्री सज्जनसिंह : The Chair, in its discretion, as the rules provide, has ruled out that it should be taken as a closure.

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : सोशियल वेलफेयर बोर्ड के सिलसिले में जो बातें रक्खी गई उनकी सारी भावना जो कुछ मैं समझा, वह यह है कि यहां हरिजनों की जो समस्या है वह हमारे देश की एक मुख्य समस्या है, और इस बारे में जो राज्य–सरकार व केन्द्रीय सरकार काम करने जा रही हैं, उनसे अधिक काम करने की आवश्यकता है । हमारे देश में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब की काफी संख्या है और जो काम इनके क्षेत्रों में पिछली पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में खोले गये हैं, वे काम काफी आगे बढ़े हैं । पर यह मान लेना कि इस काम का इतना ही विस्तार और दायरा होना चाहिये यह सरकारी पक्ष भी मानने को तैयार नहीं है, काम बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है । पर जिस बात को लेकर इस मुद्दे को यहां उठाया गया कि हरिजनों की अलग–अलग जो कौमें हैं उनको सरकार की ओर से काम करने वाले लोग आपस में लड़ाया करते हैं, यह कहना बिलकुल गलत है । हरिजनो में भी कई कौमें हैं और उनमें भी आपस में भेद-भाव हैं, यह माना पर उन भेदभावों को मिटाने और उनका ज्यादा अच्छी तरह से मिलकर आगे बढ़ने के लिये वेलफेयर बोर्ड की कई प्रकार की योजनाएं हैं ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एक माननीय सदस्य ने इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में यह कहा कि अमुक जिले में काम नहीं हुआ, वहां भी हरिजन ट्राइब के लोग बसते हैं । मैं माननीय चैयरमैन साहब, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से जिस किसी भी योजना में दिलचस्पी लेकर जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में उसे लागू करवाना चाहें तो वे आगे आएं; वे करवा सकते हैं । भाषण देने के लिये तो बड़े जोश-खरोश से दे दिये जाते हैं पर काम करने का मौका जब आता है तो कई प्रकार की खामियों नजर आती हैं । मैं बताना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जितने भी हरिजन छात्र हैं, वे किसी भी कौम के हों, सबको छात्रावासों में रक्खा जाता है, उनको निःशुल्क वहां रहने की व्यवस्था की जाती है, उनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उन्हें पानी पिलाने का आम प्रोविजन है; वे सार्वजनिक कुओं, तालाबों पर कहीं भी पानी पी सकते हैं । कानूनी दिक्कत इसमें कोई नहीं है । कइयों ने यह कहा कि कानून तो बना है पर कागजों में है । मैं इतना ही निवेदन उनसे कर देना चाहता हूं कि कानून पहले कागजों में ही बनता है और कागजों के जरिये फिर उन्हें पालन कराने की सरकार व्यवस्था करती है । इन कानूनों का पालन करवाने के लिये जितने भी स्टेप्स उठाये जाने चाहिये वे कई बार उठाये भी गये हैं । पर जो समाज की पुरानी रूढ़ियां चली आ रही हैं वे तो धीरे-धीरे से ही मिटेंगी । आज इतना तो अन्तर आया ही है कि जो हरिजन से छू जाने पर या उसकी छाया मात्र पड़ जाने पर सात दिन तक स्नान किया करते थे और तब तक अपने को अशुद्ध गिनते थे, वे आज हरिजन उद्धार की बातें करने लगे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है और एक ऐसा संकेत है कि जिससे साबित हो रहा है कि हमारी योजनाएं पूरी हो रही हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : स्नान तो रोज ही करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी छाया पड़ने पर भी? जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्यों में कई सदस्य ऐसे हैं जो हरिजनों की छाया पड़ने पर सात दिन तक स्नान करते हैं शुद्ध होने के लिये । तो इस वोट का डर तो सबको है । वोट उनके भी हैं, इसलिये आज वे लोग भी अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं यहां इस तरह की बातें करके; तो यह तो बहुत अच्छी बात है ।

फिर मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह काम कोई इलाके वाइज़ नहीं होता, जिसमें ज्यादा लोग समाज-सेवा के कामों में दिलचस्पी लेकर करने वाले होते हैं, वहां पर इस प्रकार की योजनाएं चालू हुई हैं और ज्यादा होनी चाहिये । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और पैसा भी ज्यादा खर्च होना चाहिये, इसमें भी दो रायें नहीं हैं । अभी हमें बहुत कुछ करना है ।

कुछ ने यह कहा कि सोशल वेलफेयर बोर्ड में काम करने वालों में कुशल और टैकनीक्ल स्टाफ नहीं है । औरतों के लिये खास तौर से कहा गया । यह बोर्ड महिलाओं और बच्चों के लिये बना हुआ है । अब उनमें काम करने के तरीके पूरे इकोनोमिकल नहीं हैं । सफाई की बात कहते हैं, खामियां हैं । सदियों से वे पिछड़ी रही हैं । अशिक्षा बहुत है । अब जितना काम वे कर पा रही हैं, कर रही हैं । जो कुछ पढ़ लिख कर महिलाएं आगे आ रही हैं उनको हम गांवों में हर क्षेत्र में भेज रहे हैं । वे भरसक अच्छा काम भी कर रही हैं । कुछ काम ठीक तरह से नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भी कर पा रही हैं. यह भी हमें जानकारी है। सदियों से पिछड़े वर्ग को और गरीबी से बुरी तरह जकड़े वर्ग को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े काम को एक दिन में यह सदन या सदन के माननीय सदस्य करना चाहें तो वह नहीं किया जा सकता। स्त्रियों की स्थिति में आपको बताऊं कि स्त्री-शिक्षा हमारे यहां इतनी कम हैं कि स्त्रियां हमारे किसी भी क्षेत्र में नहीं आ पातीं..

श्री मुरलधर व्यास : हमारी कैबिनेट में भी तो कोई महिला नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो एक अलग विषय है, इसके लिए अलग चर्चा कीजिए।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय हरिजन सदस्य भी इस पक्ष में बोले कि यह तो हमारे सुधार का विभाग नहीं है बल्कि जो कुछ लोग इस विभाग में नौकरी करते हैं यह उनके ही सुधार के लिए है। ये शब्द काफी कटु मालूम होते हैं लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अगर उन्हीं लोगों में कोई ऐसा पढ़ा लिखा होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले उसको प्राथमिकता दी जाती। मगर जिस समाज में न तो पढ़े लिखे हैं और न ऐसे लोग तैयार हैं....

श्री हरिशंकर सिद्धांत-शास्त्री : पढ़े-लिखे तैयार हैं, लेकिन लेते ही नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कभी आकर कहा। आज जिस समाज में सवा-सवा हाथ का घूंघट औरतें निकालती फिरती हैं और बोलने के लिए 'तुझे तुझे' के सिवाय कुछ नहीं आता उनसे हम समाज कल्याण का काम कैसे करवा सकते हैं और यह काम वह कर भी कैसे सकती हैं? इसके अलावा या तो यह कहा जाये कि बहुत से पढ़े-लिखे फिरते हैं मगर उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मैं आपको याद दिलाऊं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो दिन पहले भी कहा था कि आज हमें मैट्रिकुलेट्स टीचर्स की जरूरत है लेकिन मिलते नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी हरिजन मैट्रिकुलेट नहीं है........

श्री हरिशंकर सिद्धांत-शास्त्री : मेरे पास इस समय भी पांच तैयार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो यहां कह रहे हैं, आप मुझे बतायें कि आप मेरे पास कब आये?

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य इस आश्वासन पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, उनसे मिलें और उनको जानकारी दें।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : इन्हीं से कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी की आप इस समय कह रहे हैं और····

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब आप बता रहे हैं···

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय चेयरमैन साहब, ये जो बातें यहां कही जाती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं उनके बारे में मिला जुला कर चर्चा करना और बिल्कुल यहां खड़े होकर बढ़ा-चढ़ा कर बात कहना और क्योंकि हरिजन-समस्या पर बोलना ही है इसलिए कुछ न कुछ कह डाला, इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं यह कहूं कि कोई गड़बड़ नहीं है। यह भी सही है कि जहां अच्छे काम करने वाले हैं वहां खराब भी काम करने वाले हैं। जहां अच्छे आदमी हैं वहां अच्छा काम होता है, यह समाज का ढांचा है और उसमें यह आमूल परिवर्तन इन लोगों को बराबरी का स्तर दिलाना, यह बहुत बड़ा काम है और इस काम को करने में कांग्रेस के लोगों ने तो हमेशा ही रास्ता दिखाया है। मैं यह नहीं कहता कि इस कांग्रेस संस्था में बराबर के ही काम करने वाले हैं; कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी। लेकिन कुछ लोगों ने तो जिन्दगी ही इसमें खपाई है। चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग न करता हो फिर भी उसने सारा जीवन इन हरिजनों की भलाई के लिए ही लगा दिया। यह उनके जीवन का आचरण था। इस तरफ अलबत्ता योजनायें भी बनी हैं और आगे काम भी होने लगा है और सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा है। दिलचस्पी लेने के लिये कुछ माननीय सदस्य भाषण देते हैं, उनसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे अपने भाषण में रचनात्मक तरीके से किसी चीज को रखें और रचनात्मक तरीके से ही अपने क्षेत्र में इस काम को करें तो ज्यादा अच्छा और सहूलियत से होगा। इसके अलावा इस कटौती के के प्रस्ताव में यह कहना कि अमुक मुहल्लों में तो लाइट लग गई और पानी लग गया और अमुक मुहल्लों में लाइट नहीं लगी और पानी नहीं लगा, ठीक नहीं है। यह हो सकता है कि धन की कमी है। पर सारा धन और सारी योजनाओं को मिला कर सभी मुहल्लों की जरूरतों को तो हम एक ही साथ में पूरा नहीं कर सकते। कहीं कुए बन जायेंगे, कहीं लाइट भी लग जायेगी, कहीं पर उनके लिए हाउसिंग लोन भी मिल जायेगा। फिर माननीय सदस्य रहते कहां हैं और बात की कहां की करते हैं? गाड़िया लुहारों की एक कोलोनी के बारे में बताया कि वहां ३७ क्वार्टर्स गिर गये। मैं तो रोज ही वहां से निकलता हूं। उसमें कुल ६ फैमीलीज़ आज तक आई हैं। मैंने तो नहीं देखा कि वहां पर ३७ क्वार्टर्स गिर गए। हां, ३७ क्वार्टर्स में से दो क्वार्टरों के दो कोने गिरे हैं। मुझे पर्सनली जानकारी मौके की है। इसलिए किसी बात को गलत कह देने से समस्या का हल नहीं हो सकता है। उस कोलोनी में जितने लुहारों को बसाने की योजना थी उसमें नहीं आये हैं। इसका कारण यह है कि लोग ही आने को तैयार नहीं हैं। तो यह जो चर्चा हुई उसके बारे में मैंने जिक्र किया।

इसके अलावा जो दूसरा प्रस्ताव मोटर गाड़ियों के बारे में था, मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट के बारे में था, उसमें मोटर गैरेज के बारे में चर्चा पहले शुरू होनी चाहिए थी मंत्रियों से। लेकिन आज क्रम जरा उल्टा रहा और शुरु गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट से रहा, मगर साथ-साथ में मंत्रियों को भी घसीटा गया। मैं आपसे माननीय चेयरमैन साहब, निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारी मोटरें हैं, वे चाहे किसी विभाग की हों, चाहे गैरेज की हों, चाहे पूल की हों, उन सारी मोटरों को को चलाने के लिये रूल्स बने हुए हैं। उनके साथ साथ ही मोटरों को सरकारी तौर से चलाने के लिए अपनी डायरी मेन्टेन करनी पड़ती है और जो डायरीज़ मेन्टेन की जाती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं उनको देखने का हक हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को, एस्टीमेट्स कमेटी को है, और भी दूसरे सभी देखते हैं। अगर उनका किसी तरीके से गलत यूज़ होता है और ये कमेटीज़ किसी की उसके अन्दर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करती है तो जो सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक वह उनको मिलेगी । मैं यह दावा नहीं करता कि मोटरों का दुरुपयोग नहीं होता....

श्री मदनसिंह दांता : आप खुद नहीं करते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी ऑफिसर्स के बारे में कह रहा हूं, फिर मंत्रियों पर भी आऊंगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले पूरा सुन लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको कभी संतोष होता है ? मेरे ख्याल से नही होता और न होगा । और आपको संतोष नहीं भी होगा तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा क्योंकि आपको कभी संतोष होता ही नहीं ।

तो माननीय चेयरमैन साहब, मोटरों आदि के प्रयोग के लिए रूल्स बने हुए हैं और उनका पालन होता है । मैं यह नहीं कहता कि इन रूल्स का सभी जगह पालन होता है क्योंकि यह तो सब आदमियों के व्यक्तिगत रूप से सोचने के तरीकों पर निर्भर करता है और कई दफा जो डायरीज़ मेन्टेन करते हैं वे गलत भी भर दी गई होंगी । परन्तु उन डायरीज़ के चैक्स और काउन्टर चैक्स का प्रोवीज़न कानून में है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स इसको चैक करती है और जहां कहीं उनको कमी नजर आती है, वह जानकारी कर सकते हैं और इसमें जो नियमों के पूरे यूज़ की हुई गाड़ियां ध्यान में आती हैं तो उनको लिखना चाहिए कि फलां फलां गाड़ी का यूज़ ठीक तरह से नहीं हुआ है । मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इसको हम ठीक तरह से देखेंगे और जो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनको सज़ा मिलेगी । मंत्रियों की भी बात कही गई, जिसको हमारे दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं । इस बारे में मैं माननीय चेयरमैन साहब. निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने के पहले यह सोचना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है ! आखिर बोलने के भी कुछ नियम हैं जो इसी सदन के बनाये हुए नियम और कानून हैं । उनके अनुसार हम ठीक तरह से बोलें और उसके विरोध में कोई काम होता हो तो फिर टीका टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा रहता है । माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपको निवेदन करूं कि मिनिस्टरों के लिए क्या इमोल्युमेन्ट्स होने चाहिए और सदस्य के लिए क्या होने चाहिए, इन सब के लिए कानून बने हुए हैं और मिनिस्टरों की सैलेरी का जो कानून बना हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि मिनिस्टरों को एक हजार तनख्वाह मिलेगी । खैर वह तो बाद में ८०० हो गई । उसके बाद में मुफ्त में सवारी के लिए कार मिलेगी ....

कुछ माननीय सदस्य : मुफ्त में ...

श्री नाथूराम मिर्धा : मतलब, सवारी के लिए सरकारी कार मिलेगी और उसके अलावा रहने को मकान मिलेगा और अगर कोई सरकारी मकान में नहीं जाये और अपने मकान में ही रहेगा तो उसकी एवज़ में २५० रुपया मिलेगा और अगर कार भी नहीं लेगा

Page No.92

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो २५० रुपया उसका भी मिलेगा। पहले तो गाड़ियों को बहुत काम में लिया जाता था, अब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई कि कि हम ६० गैलन से ज्यादा नहीं देंगे। अब ६० गैलन से ज्यादा अगर काम में आता है तो मिनिस्टर को जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब उस ६० गैलन में जैसा माननीय सदस्य चाहते थे कि मिनिस्टर्स असेम्बली आयें तो सरकारी कार में बैठ सकते हैं और सचिवालय में जायें तो भी बैठ सकते हैं लेकिन यह कहना कि चौपड़ में और गलियों में मिनिस्टर साहब का क्या काम है; मान लीजिए कि मिनिस्टर साहब के बच्चे वहां पढ़ने जाते हों, या फिर मिनिस्टर साहब का कोई आदमी यहां रहने वाला शफाखाने में बीमार है और अगर शफाखाने में गाड़ी जाये तो उस समय तो गाड़ी जायेगी ही। इसलिए ६० गैलन में जिस प्रकार से काम में लाना चाहिए जो घर की नीड्स हैं उनके मुताबिक हम काम में ला सकते हैं। इसका नियमों में प्रोवीज़न है, और इसके लिए छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करके आपको दिमाग खराब नहीं करना चाहिए और कानून को सही ढंग से आपको समझना चाहिए। और इस हिसाब से इन सारी चीजों को जानकर जो कुछ टिप्पणी की गई हैं वह नियमों की कम जानकारी की वजह से या दिमाग की संकुचित विचार-धारा की वजह से हुई है। सही दृष्टिकोण जो मैंने आपके सामने रखा है उसको समझने की कृपा करेंगे। इसके बाद में जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा उनसे आशा करता हूं कि वे अपने आप इन प्रस्तावों को वापिस ले लेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय चेयरमैन, मैं कुछ बातों की सफाई देना चाहता हूं। कुछ रह गये थे सवाल।

एक माननीय सदस्य ने यह बताया था कि प्रोपेगेन्डा पर अनाप शनाप खर्च हो रहा था, तो मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ ३ पर्सेन्ट खर्च हो रहा है। प्रोपेगेण्डा भी आवश्यक है कि छुआछूत दूर की जाय। छुआछूत दूर करने की जिम्मेदारी, उनके शिक्षण और आर्थिक अवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अनुसार हरेक राज्य गवर्नमेंट के ऊपर है; उसके मुताबिक खर्च कर रही है।

यह कहा गया कि....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : यदि माननीय मंत्री महोदय माइक को पास में रख कर बोलें तो सब को सुनाई दे।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि तीन परसेन्ट खर्च किया जा रहा है प्रोपेगेण्डा में और बाकी रुपया शिक्षण और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने में खर्च किया जा रहा है।

दूसरी बात सोश्यल वेलफेयर वर्क की क्वालिफिकेशन के लिए पूछी गई थी, तो उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक की और असिस्टेन्ट वेलफेयर ऑफिसर और लेडी वेलफेयर ऑफिसर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट की है। यह कोई चीज़ नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स्ड नहीं हैं।

इसी तरह से यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी अपने व्यवहार में छुआछूत को दूर नहीं करते तो यह तो आप जानते हैं कि

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

राज्य सरकार ने नियम बना दिये हैं जो इस प्रकार से करेगा वह अपराधी होगा, दण्डनीय होगा। फिर भी सरकारी अधिकारी छुआछूत मानते हैं तो अनुचित है, लेकिन इसमें थोड़ा यह भी देखना जरूरी है कि समाज का स्तर क्या है? हमारे हरिजन सरकारी अधिकारी जब गांव जाते हैं, उनको गांवों में डेपूट, किया जाता है, तो उनको मकान नहीं मिलते हैं। उनको बड़ी दिक्कत होती है। गांव के लोग उनके साथ छूआछूत का व्यवहार करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी छूआछूत के सिलसिले में विधान सभा में ही सीमित नहीं रह जाती है। उसके अनुकूल वातावरण गांवों में बनाने की आवश्यकता है।

श्री मदनसिंह दांता : शादी होने से भी मिट सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शुरू कीजिये बहुत पहले।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ये तीन-चार बातें जो यहां पर कही गई थीं, उन पर रोशनी डाली।

एक और बात जो कही गई थी कि अलग अलग जातियों के हरिजनों के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए पाठशालाओं और छात्रावासों में। इसके लिए मैं सदन की जानकारी के लिए कह देना चाहाता हूं कि हमारी सरकार सोचती रही थी और २ दिन पहले दिल्ली में जो समाज कल्याण विभाग के मंत्रियों की परिषद हुई थी उसमें जिसमें सब राज्यों के मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी थे उसमें यह निर्णय लिया गया कि आगे से कोई अलग अलग संस्थाएं नहीं होंगी और सब मिली जुली संस्थाएं होंगी। गवर्नमेंट के द्वारा चलाये जाने वाले जितने भी होस्टल्स हैं उनमें निश्चय ही कम से कम १० पर्सेंट हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। जो कोई माननीय सदस्यों के द्वारा भावनाएं प्रदर्शित की गई हैं उनके अनुकूल निर्णय दिल्ली में पहले से ही हो चुका था।

मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी के बाद जो कट मोशन लाया गया है उसको प्रेस करने का कारण नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

एक माननीय सदस्य : रिज़र्वेशन के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय जगदीश प्रसाद माथुर।

एक माननीय सदस्य : यह चर्चा चली थी क्या, कि रिज़र्वेशन के लिए कोशिश की गई है?

श्री सभापति : आप इसके लिए अलग से प्रश्न रख सकते हैं। ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री बालमुकुन्द : माननीय वित्त मंत्री ने यह बताया था कि सोशल वेलफेयर वर्कर की क्वालिफिकेशन मेट्रिक तक की हो सकती है तो जो आदिवासी मेट्रिक पास हैं उनको क्यों नहीं वेलफेयर डिपार्टमेंट में जगह दे दें?

श्री सभापति : एक अन्य माननीय सदस्य ने निवेदन किया था। इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए उनकी जानकारी के लिए यह स्टेटमेंट दिया है। अगर आपको पूछना है तो प्रश्न के द्वारा पूछिये।

श्री बालमुकन्द : आप बता रहे हैं तो उस क्वालिफिकेशन के आदिवासियों को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि यह समय इस तरह के प्रश्न करने का नहीं है। आपकी सूचना के लिए यह स्टेटमेंट दिया था, इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। कट मोशन मूव करने वाले की सूचना है। उसका जवाब देना चाहिए तो दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) **:** सभापति महोदय, जिस प्रकार का मेरा कट–मोशन था उसमें मैंने यही लिखा था कि प्रोपर युटीलाइज़ेशन ऑफ फन्ड नहीं हुआ है। यह तो आप मानते हैं कि इस समाज के विकास के लिए राज्य सरकार ने कितनी योजनायें बनाई हैं और योजनाओं द्वारा रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जिस ढंग से रुपया खर्च हो रहा है, जिस ढंग से विकास हो सकता है उसकी नीति का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। इस समाज का आर्थिक विकास जब तक नहीं किया जायगा तब तक वास्तव में उनका उत्थान नहीं हो सकता। मैंने एक उदाहरण दिया था, इसमें से सबसे गिरी हुई जाति को, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जाति को ले सकते हैं तो मेहतर हो सकता है। मेहतरों का उत्थान करने की दृष्टि से उनके कार्यों में किसी प्रकार का सुधार ला सकते हैं, उस दृष्टि से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। उनको झाड़ू किस प्रकार से देना चाहिये, काम करने के जो उनके ढंग हैं उनको किस प्रकार से उन्नत किया जा सकता है, उनसे कार्यों के किस प्रकार की व्यवस्था हो; इस सारे सम्बन्ध में मैंने विस्तृत रूप से कहा था। उनको सुधारने के लिए आज तक राज्य सरकार की ओर से कोई योजना पेश नहीं की गई। सभी क्षेत्रों में नहीं हो सके तो कुछ क्षेत्रों को चुन कर योजना चलाई गई हो। उन क्षेत्रों में इस दृष्टि से, इस समाज को उठाने की दृष्टि से, आज तक कोई भी योजना किसी भी ओर से नहीं हुई है। इसके लिए मैंने कहा था कि कम से कम राज्य सरकार को स्पेसिफिकेली म्युनिसिपेलिटीज़ को सब्सिडी देनी चाहिये, इस काम के निमित्त सब्सिडी देनी चाहिये, उपकरणों को ठीक ढंग से रखने के लिए म्युनिसिपेलिटी को स्पेशल फंड दिये जाने चाहिए। उस दृष्टि से अभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

दूसरे, उनकी शिक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है कि इन क्षेत्रों के अन्दर छात्रावास के अन्दर कहा गया कि सरकार की योजना जो है वह उनको संरक्षण करने की है। सारे विद्यालयों में हरिजन छात्रों को प्रवेश कराने की योजना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए केवल कागज़ों में योजना बनाने या सिद्धान्त रूप से योजना बनाने से तो ठीक नहीं होता है, व्यावहारिक स्वरूप क्या हो सकता है। व्यावहारिक स्वरूप आज हमारी सरकार की दृष्टि में क्या रह जाता है कि जैसा कि जयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि दौसा के अन्दर नाइयों के द्वारा हजामत बनाने से इन्कार करने पर एक ओर तो नाइयों से हड़ताल करवाई गई और दूसरी ओर हरिजनों से। यह ठीक है कि नाइयों को हजामत करना चाहिये, फिर भी उनके बारे में समाज के तहत वाता–वरण पैदा करें। एक और उदाहरण आया था छूआछुत के बारे में कि समाज में उनके प्रति सद्भावना का वातावरण पैदा नहीं हो रहा है। हमें उनके प्रति सद्भावना जाग्रत करना है। इस बात को मानता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि शहरों में इस प्रकार की योज-

Page No.95

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नाओं के लिए वातावरण पैदा करना चाहिये। चालू करने के बाद में जो तरीका सरकार अपना रही है और जो समाज कल्याण विभाग या समाज कल्याण बोर्ड हैं उनके द्वारा जिन मार्गों का निर्देशन करवाया जा रहा है, उनके द्वारा बाकी समाज में फूट उत्पन्न होती जा रही है। बाकी समाज उसको अपना अंग समझ लेवे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हो रहा है। जब कभी एक हरिजन का नाम आता है तो उससे समाज में यह भावना होती है कि हो न हो यह इस प्रकार का व्यक्ति है जो अछूत है। हरिजन का नाम लेना ही अपराध होना चाहिये। हरिजन शब्द के उपयोग को यदि हम अपराध घोषित करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हम सब एक समाज के व्यक्ति हैं। जिन्होंने वर्गीकरण किया है वह गलत है। श्री नाथूरामजी ने कहा कि जन संघ....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य, जब किसी के नाम का उच्चारण करें तो जो हाउस का डिकोरम जिन सम्मान सूचक शब्दों को काम में लाने का है, उन्हें काम में लावें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जारी) : उन्होंने जनसंघ पर आरोप लगाने से पूर्व जनसंघ का घोषणा–पत्र नहीं पढ़ा। यदि वे उसे पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि जन संघ की जो नीति है वह कांग्रेस से ज्यादा व्यवहारिक है और कांग्रेस से ज्यादा प्रगतिशील है और उससे एक कदम आगे रखने वाली है। उन्होंने केवल कही सुनी बातों के आधार पर कह दिया कि जनसंघ वाले किसी हरिजन के हाथ लगाते हैं तो सात बार स्नान करते हैं। मैं समझता हूं, यह गलत इन्फोर्मेशन देना है और गलत वातावरण पैदा करना है। आज इस सम्बन्ध में जो योजना हमारी सरकार की होनी चाहिये थी, वह केवल कांग्रेस का प्रश्न बनने वाली नहीं होनी चाहिये थी, केवल सरकार का प्रश्न नहीं होनी चाहिये थी। यदि केवल सरकार या कांग्रेस का प्रश्न ही मानकर चलें तो मैं मानता हूं कि सही हाल जो होना चाहिये वह नहीं हो सकता। मैं मान सकता हूं कि महात्मा गांधी ने किसी समय खास परिस्थिति के कारण ऐसे समाज को हरिजन नाम दिया होगा। लेकिन आज की परिस्थिति में जब हमने संविधान को स्वीकार किया है उसके बाद भी जो वर्ग-भेद की नीति कांग्रेस की है वह पीछे ढकेलने की है और हमारी जो नीति है, वह वर्ग भेद को नहीं मानने की है। जन संघ की नीति कांग्रेस की नीति से एक कदम आगे है।

मैं समझता हूं, सरकार इसको अपना प्रश्न नहीं बनायेगी। जैसा कि समाज कल्याण के बारे में श्री चौधरी ने कहा, जो लोग इस प्रश्न पर विचार करते हैं और जो इस क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं, उन सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये ? कि एक ही वर्ग के लोगों को लिया जाय। इस बोर्ड के बारे में यह आपत्ति हो रही है कि इस बोर्ड में कोई हरिजन भी नहीं है। ऐसे लोग जो कहें कि हमने इस क्षेत्र में काम किया है या जिनको इसमें दिलचस्पी है, उनको लेना चाहिये। जिनको लिया है उनको लेने में हमें आपत्ति नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि एक ही समाज के लोगों को न लेकर जो आगे बढ़ने वाले दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी लेना चाहिये। यह किसी पक्ष विशेष तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, विरोधी पक्ष के लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं। क्या सरकार यह नहीं

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मानेगी कि जिनको हरिजन कहा जाता है उन लोगों में से भी कांग्रेस के विरोध उन्होंने में वोट दिये हैं। आज इस वर्ग में केवल कांग्रेस ही ठीक काम कर सकती है, यह ठीक नहीं है। इसमें दो राय नहीं हैं कि इसमें सब पक्ष के लोगों को लेकर राष्ट्रीय समस्या इसको मानना चाहिये। जब तक इसको राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं सोचेंगे तब तक मैं समझता हूँ किसी प्रकार का युटेलाइज़ेशन ऑफ फंड्स नहीं होगा। यदि आप समाज कल्याण के मामले में अपनी पार्टी के लोगों को ही नियुक्त करते हैं और उसी आधार पर सब काम चलाते हैं तो बाकी लोगों को इससे ईर्षा होती है और टांग पकड़ कर खींचने का सवाल पैदा होता है। क्योंकि तब यह राज-नैतिक प्रश्न हो जाता है। वे लोग देखेंगे कि कांग्रेस के लोग मोटरों में बैठ कर घूमते हैं, तो वे कभी काम करने के लिए आगे नहीं जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य नया भाषण न दे कर कोई हमने नई बात कही हो तो उसका उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिसका उत्तर नहीं दिया, उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आपको क्यों दुःख हो रहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य वास्तविक बातों का ही जवाब दें, नयी बहस शुरू न करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मंत्रीजी ने बताया कि हमने इस प्रकार का काम किया।

श्री सभापति : No discussion please, continue your speach.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसके सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं। जो उन्होंने उत्तर दिया उसमें ऐसा नहीं करके इस प्रकार किया जाय तो सही रूप से हो सकता है, यही मेरा उत्तर था। यदि कहना ही अनुचित है तो हम लोगों के साथ की अपेक्षा नहीं रख सकते।

अब मैं मेरा जो दूसरा कट मोशन है मोटरों के उपयोग के सम्बन्ध में, उसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा।

मंत्रीजी ने कहा कि हमको ६० गैलन पेट्रोल मिलता है उसका चाहे जैसे उपयोग कर सकते हैं। मेरा इसमें विरोध है........

श्री नाथूराम मिर्धा : विरोध आपका होना नहीं चाहिये, यह चीज कानून में है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य को कहने दीजिये नियम से होगा तो रहेगा ही।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) राजकीय कार्यों के लिये जो पेट्रोल दिया है उसका मतलब यह नहीं कि पूरा का पूरा ६० गैलन आप खर्च कर दें। यदि उसमें से बचता है तो वापिस जमा कराना चाहिये। मेरा उसमें यह निवेदन है कि हमने जो ६० गैलन पेट्रोल आपको दिया है उसका उपयोग एसेम्बली आने में या सेक्रेटीरियट आने जाने में या अन्य जो राजकीय फंक्शन्स हैं, उनमें जाने के लिये जितना पेट्रोल चाहिये, उतना लेना चाहिये। इससे ज्यादा की भी आवश्य-कता पड़े तो लेना चाहिये, लेकिन आदर्श उपस्थित करिये। राजकीय कार्यों के लिये

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसका उपयोग करना ठीक है। नियम के अनुसार आपको जो गाड़ी दी है उसका उपयोग गलत ढंग से होता है तो साधारण जनता में वह ठीक नहीं रहता। इसमें आपको आदर्श उपस्थित करना है।

अब रहा सवाल दूसरे अधिकारियों का, सेक्रेटरीज़ वगैरह का, जिनको सरकारी मोटरें दी जाती हैं, उनके लिये नियम बनाये हैं और मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि उनका पालन ठीक ढंग से नहीं होता है और दुरुपयोग होता है। जो नियम बनाये हैं उनको बदलने का भी हमारा अधिकार है। उनका ठीक पालन नहीं होता और दुरूपयोग होता है तो मैं कहूंगा कि सार्वजनिक ढंग की जो चीज है, उसका दुरूपयोग नहीं होवे और ठीक उपयोग होवे, इस नाते और भी कड़े नियम बनाने पड़ें तो हमको हिचकिचाना नहीं चाहिये। सदन के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि जो नियम बने हैं उनका ठीक ढंग से पालन नहीं होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) जब नियम ही ठीक ढंग से न बने हों तो उनसे अच्छी भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है, उनसे प्रकाश किस तरह हो सकता है?

मैंने दो कटौती प्रस्ताव जो रखे उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैं उन्हें सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : आप अपने कट मोशन्स वापिस ले रहे हैं?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नहीं साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमाड नं० ४७ के ऊपर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने कट मोशन रखा है। (विराम) मैं कटमोशन पढ़ कर सुना देता हूं-वह कट मोशन इस प्रकार है :

"That the demand No. LVII, 47- Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Govt. in the proper utilisation of the funds allotted for their welfare."

क्या सदन की अनुमति है कि इसे स्वीकार किया जावे।

(मत–दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता, आपका कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

दूसरा कटौती प्रस्ताव इसी मांग पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर का इस प्रकार है :

"That the demand No. LVII Major Head 47--Miscellaneous Departments be reduce be Rs 1/- (to discuss the unsatisfactory working of the Automobiles Department and mis - use of State Car.)"

(अस्वीकृत)

क्या सदन की अनुमति है कि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

ना पक्ष जीता, आपका कटौती प्रस्ताव गिर गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आज बहुत हो चुका है, अब कल के लिए रख दिया जाय।

श्री सभापति : The Hon. member will please sit down while the Chair is on its legs.

श्री सभापति (जारी) : प्रश्न यह है, "Demand No. 57 - Miscellaneous Departments for Rs. 15,37,000 /-, be passed."

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई ।

४. ११ म० प०

मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१ विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र ।

श्री रामकिशोर व्यास : चेअरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक नं० ४१—विद्युत (संयुक्त) स्थापना इत्यादि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १४,६६,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।"

श्री सभापति : इस पर एक कटौती प्रस्ताव है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, श्री जगदीशप्रसाद माथुर का है ।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, इस मांग के अन्तर्गत मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, जिन्हें मैं पढ़ देता हूँ....

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों के लिए मोशन मूव कर दें ।

श्री सभापति : दोनों साथ-साथ मूव कर दें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं

"That the demand No. LIX, Major Head XLI-Receipts from Electricity Schemes be reduced by Rs. 1/- (to discuss the unsatisfactory working of Electric plants at Sikar and Jhunjhunu Towns.)"

श्री सभापति : आप माइक के पास मुँह रख कर बोलें ताकि सब सुन सकें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That the demand No. LIX. Major Head XLI-Receipts from Electricity schemes etc. be reduced by Rs. 1/- (to discuss the unsatisfactory working of the power Houses.)"

सभापति महोदय....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : You have moved both the cut motions.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री) : अब आप बहस कीजिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मैं दोनों कट मोशन्स को एक साथ मूव करता हूं । वैसे तो क्षेत्रीय बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इस प्रकार के दो शहरों की बात विधान सभा के समक्ष रखता हूँ जिनको हमेशा हमारे मंत्री-मण्डल ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है ....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It is your right.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राइट है, फिर भी विधान सभा में बैठ कर मैं बात नहीं कर रहा हूँ और सारे राजस्थान की बात कर रहा हूं।

जहां तक सीकर पॉवर हाउस का सम्बन्ध है, इसके लिए जो सरकार की ओर से कार्यवाही की गई, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। सीकर का पॉवर हाउस जिस इलेक्ट्रिक कम्पनी के हाथ में था और उसके हाथ में रहने से पॉवर हाऊस की ऐसी दशा हो गई कि वह पॉवर हाउस बन्द हो गया। जनता की मांग पर राज्य सरकार ने उस पॉवर हाउस को सम्भाल लिया लेकिन सम्भाल लेने के बाद सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिये गये, उन आश्वासनों का किसी रूप में पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमें कहा गया था कि इस पॉवर हाउस का हम पूरी तरह से विकास करेंगे और जिस प्रकार की भी इस पॉवर हाउस की आवश्यक डिमान्ड्स होंगी, उसको पावर हाउस में लगाने का प्रयत्न करेंगे....

४. १५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

लेकिन साल, डेढ़ साल हो गया, यह पॉवर हाउस न तो पूरी तरह से बिजली दे पा रहा है, साथ ही दिन के अन्दर कुछ टाइम यह चलता है और कुछ टाइम रात में चलता है और इस कारण से जो पॉवर सप्लाई होनी चाहिए, वह नहीं कर पा रहा है। जनता की मांग होती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन केवल घरों में बिजली दे देने का ही काम पॉवर हाउस का नहीं होता, घरों के अन्दर बिजली देने से ही विकास नहीं होता बल्कि हमारी पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है, इसके अन्दर बिजली विभाग के विकास करने की जो योजना है, इसके साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग धन्धे, कल कारखाने खुलें और इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी बिजली देकर सिंचाई की योजना को पूरी कर सकें, इस दृष्टि से पॉवर हाउस का कार्य होना चाहिए। लेकिन यह पॉवर हाउस इस प्रकार है कि कभी दिन में नहीं चलता और कभी रात में नहीं चलता। इस कारण से योजनाओं को सफल बनाने के लिए इस पॉवर हाउस का कितना योग हो सकता है, इस पॉवर हाउस से कितनी अपेक्षा कर सकते हैं कि यह पावर हाउस योजनाओं की सफलता के लिए, विकास के लिए योग देगा, मैं समझता हूँ यह सोचना ही गलत होगा। आजकल पॉवर हाउस के दृष्टि से विकास करने की हमारी राज्य सरकार की योजना नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, वहां पर नौ आने बिजली की रेट है, जो जलाने के काम में आती है। इसके अलावा जो पॉवर सप्लाई की जाती है, उसके लिए दूसरे स्थानों पर दो आने, डेढ़ आने, छः पैसे पर युनिट लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर चार आने पर यूनिट पर पॉवर सप्लाई की जाती है। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण, विकास की दृष्टि से, किसी प्रकार की दृष्टि से ठीक नहीं है।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह झुन्झुनूं के लिए कहना चाहता हूं। हमारे सीकर के अन्दर यह कहा जाता है कि सीकर के बजाय झुन्झुनूं को प्रिफरेन्स देते हैं। लेकिन जहां बिजली का प्रश्न आता है वहां ऐसा लगता है कि झुंझुनूं पीछे रखा जाता है। आज कल वहां यही समाचार है कि बिजली

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आज आयेगी, बिजली कल आयेगी, बिजली आयेगी, लेकिन अभी तक भी बिजली कब आयेगी, यह तय नहीं है। आज तक भी सरकार पॉवर हाउस के द्वारा वहां बिजली का प्रबन्ध नहीं कर सकी है। इससे भी मजेदार चीज यह है कि भाखरा को बहुत ही लुभावना दृश्य बना रखा है। उसके आधार पर ही आश्वासन दिया जाता है कि भाखरा से बिजली आयेगी। इसके लिए सरकार कई टारजेट फिक्स कर चुकी है, कभी कहती है कि १९५६ में आ जायेगी, कभी कहती है १९५७ में आ जायेगी लेकिन अब १९५८ आ गया है, अब भी यह नहीं कह सकते कि बिजली कब आयेगी। यह क्षेत्र, जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, ऐसा है जिसका बिजली के द्वारा काफी विकास हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि यह सेट लोगों का क्षेत्र है; बिड़ला, डालमिया आदि का, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर सेठ हैं

एक माननीय सदस्य : बिजली के खम्भे तो लग गये ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) खम्भे कहां लगे ? जिन सेठों के लिए कहते हैं, वे वहां नहीं रहते हैं, वे बम्बई और कलकत्ता में रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनकी स्थिति देखे और दोनों जगहों के अन्दर सर्वे करवाये कि इन क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में आज तक राज्य सरकार की उपेक्षणीय नीति रही है या नहीं।

यह एक कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है। मेरा दूसरा जो कटौती प्रस्ताव है वह अनसेटिस्फेक्ट्री वर्किंग ऑफ दी पॉवर हाउसेज़ के सम्बन्ध में है। आज हमारे यहां जितने पॉवर हाउसेज़ हैं, राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पॉवर हाउसेज़ है, उनकी कहीं भी स्थिति देखें, चाहे बीकानेर की, चाहे जोधपुर की, चाहे उदयपुर की और चाहे जयपुर की; कहीं की भी स्थिति देखते हैं तो जहां की जनता की एकमात्र शिकायत हमारे समक्ष आती है कि हमारे वहां का पॉवर हाउस ठीक ढंग से नहीं चलता है, हो सकता है कि जयपुर के रहने वाले यह कहें, या बाहर के लोग, जहां कि गवर्नमेंट के पॉवर हाउसेज़ नहीं हैं, कहें कि यहां के पॉवर हाउस की स्थिति अच्छी है, यह सम्भव हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं कि उदयपुर के लिए आम शिकायत माननीय सदस्य करते हैं कि सब पैसा वहां जाता है, किन्तु उदयपुर के पॉवर हाउस की भी शिकायत आती है। वहां जो बिजली कम्पनी थी, उसको जब गवर्नमेंट द्वारा सम्भाला गया था, तो उसके सम्बन्ध में जनता ने आन्दोलन किया था। वर्तमान में ही मैं उदयपुर गया था, वहां पर लोगों से मिलने पर मुझे पता लगा कि उदयपुर का पॉवर हाउस भी बहुत खराब है। जोधपुर के सम्बन्ध में भी हमें अखबारों में देखने से, जनता से प्रत्यक्ष मिलने से पता चलता है कि वहां नई लाइनें नहीं डाली जातीं, वर्तमान में जो लाइनें हैं वे ठीक नहीं हैं। जब तक पॉवर के लिये बिजली नहीं दे सकते तब तक इन पॉवर हाउसेज़ का रहना न रहना समान है। हमारा एक उद्देश्य यह होना चाहिये कि कितना पॉवर सप्लाई कर सकते हैं, अगर छोटे-मोटे उद्योग धन्धे नहीं पनप सकते तो फिर पॉवर हाउसेज़ क्या काम के ? राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि गांवों में जेनरेटर्स चलायेंगे, गांव में केवल रोशनी दी गई तो इसका कोई खास उपयोग नहीं होगा, पढ़ने के लिये, दैनिक काम चलाने के लिये रोशनी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहिये उतनी रोशनी चाहिये, उतनी रोशनी आज उसे मिल जाती है, इसलिये जो भी योजना बनायें वह पंच वर्षीय योजना को निगाह में रख कर बनायें। हमारी पंच वर्षीय योजना में जो जो योजनाएं रखी जा रही हैं उनमें इन पॉवर हाउसेज़ से क्या सहायता पहुंचती है, क्या फायदे पहुंचते हैं, इस बात को हमें इन पॉवर हाउसेज़ को बढ़ाते समय ध्यान में रखना होगा।

जयपुर पॉवर हाउस के वर्किंग के सम्बन्ध में हमारे सदन में चर्चाएं हुईं, उसके हिसाबात में गोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, यह चर्चा हुई। गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जो मुकदमे चले हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनके सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये थे, मुकदमे चलाये गये, इस सम्बन्ध में जो गोटाले थे उनके सम्बन्ध में सबकी चार्ज शीट नहीं लगाई गई है, केवल सामान खरीदने के आधार पर मुकदमें चला कर शायद राज्य सरकार टेस्ट केसेज़ बना रही हो, वह ठीक है पर जितनी गड़बड़िया हुई, जो आरोप सदन में लगाये उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार जनता के सामने और सदन के सामने स्थिति स्पष्ट कर सके, ऐसी व्यवस्था कहीं नही दिखाई देती।

इसी तरह बीकानेर पॉवर हाउस के सम्बन्ध में हमें इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं कि किस ढंग से जो पदार्थ उपयोग में लाना चाहिये वह नहीं लाया जाता। पलाना के कोयले से वहां पावर हाउस में कम खर्च से काम चल सकता था, मशीनों को ठीक रखा जा सकता था पर वह कोयला वहां काम में नहीं लिया गया, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हमने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। पर इससे कितना अच्छा कार्य पॉवर हाउस कर सकता था इस पर राज्य सरकार ने विचार नहीं किया और लाखों रुपयों का घाटा हुआ, इसकी जांच नहीं कराई गई।

इसी तरह जितने पावर हाउसेज़ हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की योजना बनायें कि चाहे रोशनी कम दें पर विकास के सम्बन्ध में अधिक से अधिक कितना पॉवर दे सकते हैं, इसका ध्यान अवश्य रखें। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला !

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, "मैं मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१–विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र में एक रुपये मात्र की कटौती कर दी जाय (निवाई का बिजलीघर हटाने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)" यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

हम सब जानते हैं कि बिजली हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, छोटी-मोटी जीवन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये बिजली की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ छोटे–बड़े उद्योग–धन्धों का विकास बिजली से होता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बिजली की ओर पर्याप्त ध्यान दे तो यह उचित ही है। पर जब हम यह रुपये की मांग रखते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस राशि की मांग करते हैं, उसकी व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा कि इस तरह के आय–व्यय में किसी तरह का अपव्यय नहीं हो।

(डॉ० चन्द्रकला)

निवाई में एक बिजलीघर कई वर्षों से काम कर रहा है और अपने आस पास के क्षेत्रों को बिजली पहुंचा रहा है। अब एक चर्चा सुनी जा रही है कि उसको निवाई से हटा कर टोंक ले जाया जायेगा। जो पॉवर हाउस एक जगह कई वर्षों से काम कर रहा है और उस क्षेत्र में लोगों को उससे कोई विशेष असन्तोष नहीं है, उसको एक जगह से हटा कर दूसरी जगह ले जाना ठीक नहीं। समझ में नहीं आता कि यह एक तरह की फिजूल-खर्ची के अलावा और क्या है, विशेषकर उस स्थिति में जब इसके लिये मकान बन गया है ? जब इसको दूसरी जगह ले जायगे तो मकानों को तोड़ कर यंत्र दूसरी जगह ले जाये जायंगे।

जब सरकार को बताया जाता है कि इसमें किसी को लाभ नहीं है तो आश्वासन यह मिलता है कि जो बिजली निवाई से मिलती है वह टोंक से मिलेगी, तुम्हारे लिये इसमें क्या खास बात है ? यह किसी की समझ में नहीं आता कि टोंक में बिजलीघर बना कर निवाई और उस क्षेत्र में बिजली दी जा सकती है, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो जाय कि निवाई में ही बिजली-घर रहे और टोंक तक बिजली पहुंचा दी जाय, कोई खर्चा नहीं बढ़ता है खम्भे लगेंगे, फर्क यही पड़ता है कि निवाई से टोंक जाय उसके स्थान पर टोंक से निवाई आय। इसके साथ ही निवाई में दूसरी सुविधाएं भी हैं, रेल्वे स्टेशन पास लगा हुआ है, और पॉवर हाउसेज़ के लिये आवागमन के साधनों की आवश्यकता होती है, वह सब यहां हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों इसे हटाया जा रहा है ?

साथ ही कहा जाता है कि विशेषज्ञों की सलाह ली गई है और उन्होंने सलाह दी है कि इसको निवाई से हटा कर टोंक में रखा जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि विशेषज्ञों की राय इतने वर्षों बाद क्यों लेने की आवश्यकता पड़ी। जब मकान नहीं बने थे, टिन के शेड में मशीनें चल रही थीं तो उस समय विशेषज्ञों की राय ले कर ही मकान क्यों नहीं बनाये गये। विशेषज्ञों की राय तो बहाना मात्र है। कुछ दिनों पहले सुना था कि हमारे चम्बल बांध के बारे में फ्रेन्च इन्जीनियरों ने राय दी थी तो उस राय के बारे में कह दिया गया कि वह तो चलते फिरते आदमी का सुझाव मात्र था। तो एक जगह तो विशेषज्ञों की राय चलते फिरते आदमी का सुझाव मात्र हो जाता है और वही दूसरी जगह ब्रह्म वाक्य हो जाता है। यह एक छोटी सी बात है इसमें किसी विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता नहीं, हम इसके विशेषज्ञ होते हैं, हम सोच सकते हैं कि पॉवर हाउस वहां से हटाने में कौन से लाभ होंगे, रखने में कौनसा नुकसान होगा ? सरकार विशेषज्ञ बुलाती है तो इसलिये क्यों नहीं बुलाती कि पावर हाउस वहीं रख कर जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचाया जाय, बिना पॉवर हाउस को हटाये सब को बिजली मिल जाय। क्या हमारी सरकार इसीलिये विशेषज्ञ रखती है कि वह बताये निवाई से पावर हाउस हटा कर टोंक ले जाया जाय, जोबनेर से कृषि कॉलेज हटा कर उदयपुर ले जाया जाय, जोधपुर से इन्जीनियरिंग कॉलेज हटा कर और जगह पर ले जाया जाय। विशेषज्ञों की राय इसमें क्या मतलब रखती है ? इसमें निर्णायक हमें होना पड़ेगा, हम इसका निश्चय कर सकते हैं। उस स्थिति में जब कि राज्यपाल महोदय ने भाषण में कहा है कि चम्बल योजना बहुत प्रगति पर है, कुछ ही दिनों बाद चम्बल से बिजली आनी शुरू

(डॉ० चन्द्रकला)

हो जायगी, निवाई और टोंक दोनों इस चम्बल योजना के क्षेत्र में आते हैं, बिजली आने लगेगी तो एक सब स्टेशन टोंक में और दूसरा सब स्टेशन निवाई में होगा, तो ऐसी सूरत में एक दो साल के लिये इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिये सरकार क्यों तैयार होती है ?

एक मजे की बात तो यह हैकि जिस निवाई के लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां पर बिजली घर नहीं रह सकता उसी के लिये भारत सरकार की तरफ से आने वाले विशेषज्ञ अनुकूल रायें प्रकट करते हैं। ऐसी हालत में हमें क्यों नहीं दोहरे खर्च को बचाना चाहिये और इसके लिए दोनों सरकारें मिल कर संयुक्त योजना बना कर इस प्रकार का प्रबन्ध करें कि इन सब क्षेत्रों की बिजली की कमी पूरी हो जाए और धन भी बरबाद न हो। यह मैं नहीं कहूंगी कि टोंक में बिजलीघर न हो और कोई भी यह नहीं चाहेगा। हम सब यही चाहते हैं कि पॉवर हाउस निवाई में भी हो और टोंक में भी हो और देश के हर छोटी बड़ी जगह बिजलीघर हो। बिजलीघर की हर जगह आवश्यकता है। लेकिन एक जगह आवश्यकता है। लेकिन एक जगह से उसको हटा कर दूसरी जगह रखना, यह उचित मालूम नहीं होता और वह भी विकास की योजना के अवसर पर। हमको तो इस समय नये नये पॉवर हाउस बनाने की बात सोचनी चाहिये। एक जगह से दूसरी जगह उलटा-पुलटी की बात मैं समझती हूं कि हानिकारक होगी। इन सब से आगे मुझे यह कहना पड़ता है कि कुछ भी हो सरकार के वहां के जनमत का खयाल करना होगा। यदि हम जनमत को साथ लेकर चलते हैं तो जन-शक्ति मिलेगी और अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि पॉवर हाउस उसके सामने एक नगण्य चीज है। असल में हमारी मूल शक्ति जो है वह जन-शक्ति है और उस जनशक्ति का संचय हमें करना चाहिए। हर एक व्यक्ति यहां एक छोटे छोटे पॉवर हाउस के समान है। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो पॉवर हाउस फिर एक दम बिना दम के चलते रहेंगे। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मैं यह चाहूंगी कि इस विषय पर विचार किया जावे और यह सोचा जावे कि इन छोटी-छोटी बातों से किस तरह का अपव्यय होता है और उस अपव्यय को बचाया जावे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव नम्बर ८ रक्खा है उसका समर्थन करना चाहता हूं। राजस्थान में जितने भी पॉवर हाउस हैं उनकी स्थिति बहुत ही सोचनीय है, जैसा कि मेरे माननीय सदस्या ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए बताई और यह बताया कि वे पॉवर हाउस असंतोषजनक स्थिति में चल रहे है। मैं यहां पर खास तौर से बीकानेर पॉवर हाउस का जिक्र करूंगा। बीकानेर पॉवर हाउस से न केवल बीकानेर डिविजन को ही पॉवर मिलता है लेकिन बीकानेर डिविजन के अन्य करीब २० कस्बों को पॉवर मिलता है। उसके ठीक रूप से काम न करने से बीकानेर के अन्य कस्बों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है और बीकानेर के साथ साथ सभी दूसरे कस्बों की जनता के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। जब तक भाखरा से बिजली प्राप्त न हो यह कष्ट दूर नहीं हो सकता और लोगों को बीकानेर से ही बिजली मिलना आवश्यक है। इसलिए इस बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

Page No.104

(श्री चन्दनमल वैद)

बीकानेर का पॉवर हाउस पिछले चार सालों से गड़बड़- अवस्था में चल रहा है। यहां के पॉवर से २० कस्बों में बिजली दी जाती है और बिजली के बल से वहां पर पीने का पानी निकालने का काम लिया जाता है। लेकिन जब पॉवर हाउस बन्द हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है और लोगों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस पॉवर हाउस का ठीक तरह से काम नहीं करने की जिम्मेदारी पलाना कोल माइन्स पर है। क्योंकि जिस समय यह बनाया गया था उस समय उसमें ऐसी मशीनें लगाई गई थीं जो पलाना के कोयले से ठीक तरह काम कर सकें, लेकिन जब पलाना का कोयला बन्द हो गया और बंगाल का कोयला काम में लाया जाने लगा तो मशीनें तो पलाना कोल के प्रयोग के लिये थी उस कोल के उपयुक्त न होने के कारण उसमें टूट फूट होने लगी और इस कारण से वह पॉवर हाउस दिन में ३—४ बार और कभी कभी १० बार भी बन्द होने लगा।

अब मैं पलाना का कोयला क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके लिये कुछ जिक्र करूंगा और इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट जो फरवरी १९५५ में पेश की है आकर्षित करूंगा। उसमें उसने बताया है कि पलाना का कोयला नहीं मिलने से बीकानेर के पॉवर हाउस में ९ लाख का सालाना घाटा हो रहा है। पलाना कोल माइन्स में कोयला काफी निकलता है, मगर हुआ यह कि वहां पर जो मैनेजर था उसको निकाल दिया गया। यह ५३ या ५४ की बात है, मुझे ठीक याद नहीं रहा; उसको यह कह कर हटा दिया गया कि यह सैकिन्ड क्लास का मैनेजर है, दो हजार टन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकता, इसलिए हटाया गया। जिस समय उस मैनेजर को हटाया गया तो सरकार को चाहिये तो यह था कि उसकी जगह दूसरा मैनेजर नियुक्त करती जो फर्स्ट क्लास केडर का हो, मगर सरकार चुप रही और कोई मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई। यह रिपोर्ट फरवरी १९५५ में एस्टीमेट कमेटी ने दी कि फर्स्ट ग्रेड का माइन्स मैनेजर नियुक्त न होने से ज्यादा कोयला नहीं निकल सकता था इसलिये मैनेजर को हटाया गया और पलाना कोयले की जगह बंगाल से बंगाल का मंहगा कोयला मंगा कर काम में लिया गया जिससे सरकार को ९ लाख का सालाना घाटा हुआ और इस बात को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं ने डिमान्ड पेश करते समय बताया कि बंगाल का कोयला मंहगा आता है और इस कारण से बीकानेर पॉवर हाउस में ९ लाख का घाटा सालाना हो रहा है। फरवरी १९५५ में एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद भी कोई कार्यवाही हुई या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मगर इसके बाद में भी सरकार चुप रही और कोई नियुक्ति नहीं की। अभी सरकार ने बताया है कि मैनेजर की नियुक्ति १९५८ में हो गई है। मगर चार साल तक उस मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई, यह इस बात को बताती है कि सरकार कितनी लापरवाह इस मामले में रही है। केवल यही नहीं कि मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई बल्कि सरकार को भी पिछले चार सालों में ३६ लाख का नुकसान हुआ है। समझ में नहीं आता कि यह क्यों? जब कि हम तीन तीन आई. जी. पी. बदल सकते है, दो तीन चीफ सेक्रेट्री बदल सकते हैं और मैं समझता हूं कि एक बार मन्त्री मंडल भी बदला ही है, मगर हमारी सरकार फर्स्ट ग्रेड के माइन्स मैनेजर को नियुक्त करने में कितनी लापरवाही बरतती रही है और

(श्री चन्दनमल वैद)

पैसे को किस तरह से खर्च करने में लापरवाह रही है। मैं आपका ध्यान एक किताब की तरफ दिलाना चाहता हूँ और आपने सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के पेज ६७ पर बताया है कि तीन साल में हम इतनी उन्नति करेंगे कि रोजाना ५०० टन कोयला निकाला जायगा। दो साल होने को आये हैं, मगर मैं यह कहूँगा कि अभी तक ५०० टन रोजाना तो क्या ५००० टन मासिक भी नहीं हो पाया है। मेरी दिसम्बर की सूचना है कि दो हजार टन हो सकता है। जनवरी में चार हजार हो गया हो तो माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी महीने में पलाना में कितना कोयला उपलब्ध हुआ। ५०० टन रोजाना के हिसाब से १५ हजार टन मासिक होता है, और कहां ५००० टन मासिक। यह बात साफ बताती है कि सरकार ने किस तरह से इस पॉवर हाउस को डील विथ करने में लापरवाही की है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बीकानेर पॉवर हाउस, जिसकी जान पालाना कोल माइन्स है, उसकी तरफ ध्यान दें और बीकानेर पावर हाउस को ठीक तरह से चालू रखने के लिए और बीकानेर के लोगों के हित के लिये इस तरफ ध्यान दे। बस मुझे माननीय उपाध्यक्षजी, इतना ही कहना है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मैं मानता हूं कि हमारे राज्य में बिजली की शक्ति की दिनों-दिन उपयोगिता बढ़ती जा रही है और मैं यह भी मानता हूं कि भाकरा से बिजली लाने में सरकार को जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए नहीं बरती गई। मैं यह भी मानता हूं कि पॉवर हाउस राजस्थान में हैं उनकी हालत संतोषजनक नहीं कही जा सकती और खास तौर से बीकानेर पॉवर हाउस की स्थिति तो बहुत असंतोषजनक है लेकिन कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव पेश करने से पहले जो स्पलीमेंटरी ग्रान्ट है, जिस पद के लिए मांगी जा रही है उसको माननीय सदस्य पढ़ने की कोशिश करते तो यह कटोती का प्रस्ताव पेश नहीं करते।

जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स मांगी जा रही हैं, जिनके लिए यह ग्रान्ट मांगी जा रही है वह है खास तौर पर, कोल, फ्युल की एकस्ट्रा कीमत बढ़ जाने से जो खर्चा हो रहा है उनके लिए मांगी जा रही है। कोई उसमें दो राय नहीं हो सकती कि बीकानेर पॉवर हाउस की बड़ी असंतोषजनक स्थिति है और कभी भी बीकानेर का पॉवर हाउस कोलेप्स हो सकता है और इससे बीकानेर में रहने वाली दो लाख जनता का जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ सकता है क्योंकि वहां पॉवर हाउस की जो मशीनरी है वह बहुत पुरानी मशीनरी हो चुकी है और बीकानेर का पॉवर हाउस राजस्थान के पुराने पॉवर हाउसेज़ में से है और इस दृष्टि से भी मशीनरी आउट ऑफ डेट हो सकती है। वहां का जन-जीवन पॉवर हाउस पर ही डिपेन्ड करता है। वहां की जो पानी की व्यवस्था है, क्योंकि वहां बिजली से ही पानी निकलता है इसलिए इसी पॉवर हाउस पर डिपेन्डेड है और यदि किसी भी वक्त पॉवर हाउस कोलेप्स हो जाय तो वहां का जन-जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह एक गम्भीर स्थिति है और सरकार को इस सम्बन्ध में सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक असंतोषजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मांगी जा रही है उसका

(श्री भीमसेन) समर्थन करता हूं और जो कट मोशन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

डा० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी.......

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon. Member on the mike in front of me.

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसकी सरकारी उपेक्षा करती रही है और वह है धौलपुर का पॉवर हाउस। धौलपुर का पॉवर हाउस बिजली दो जगह, धौलपुर और बाड़ी, सप्लाई करता है। यही नहीं ये दोनों कस्बे इस प्रकार के हैं कि जहां राजस्थान के लिए नाज विशेष स्थिति में तो पूरा बीकानेर और धौलपुर डिविजन दोनों को देते हैं। धौलपुर पॉवर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और अब तो हालत यहां तक हो गई है कि दिन में तीन दफा बिजली गायब और बाड़ी में पैसा देने पर भी बिजली नहीं मिलती।

एक माननीय सदस्य : डाके इसलिए बहुत पड़ते हैं।

डा० बहादुरसिंह : इस पावर हाउस से वाटर वर्कस चलता है और उसका यह हाल है कि १ घंटा सुबह पानी और आध घंटा शाम को। इस पावर हाउस की ऐसी स्थिति हो गई है जिससे राजस्थान सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। वहां के पावर हाउस से धौलपुर का ग्लास वर्क्स (चलता था) लेकिन दुख है कि राजस्थान सरकार की नीति के कारण अलग पॉवर हाउस उनको लगाना पड़ा। अच्छा हुआ कि उन्होंने अलग पॉवर हाउस लगा लिया नहीं तो पांच हजार मजदूर भूखे मर जाते, छोटे मोटे उद्योग धन्धों की तो और भी हालत खराब हो गई है। अगर किसी के घर पर आटा नहीं है और बिजली बन्द, तो व्रत ग्रहण करें। धौलपुर के पास छोटी छोटी चक्कियां हैं जहां पर दस दस मील दूर लोग आटा पिसाने के लिए जाते हैं। धौलपुर का पॉवर हाउस बिगड़ा, क्यों यह देखने की बात है? धौलपुर के पॉवर हाउस में जब महाराज थे तो दो इन्जिन मंगाये थे लेकिन राजस्थान के योग्य इन्जीनियरों ने यह हालत कर दी कि दो तीन साल में इस योग्य हो गए कि समाप्त हो जाना पड़ा। समाप्त क्यों हुए? धौलपुर पॉवर हाउस के फोरमेन करते यह हैं कि अपने लड़के की दुकान बना रखी है, यहां से पार्ट बना लिये और उनमें लगा दिए और इस कारण इन्जिन बर्स्ट हो जाया करते हैं। आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि धौलपुर के पावर हाउसेज पर कम से कम एक मेहरबानी रखें, जो स्थिति उसकी महाराज ने छोड़ी, और जो स्थिति बाद में हुई, उसको पुनः बना दें तो कृपा होगी।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, अर्ज यह है कि पॉवर हाउसेज के बारे में मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं। अपने अपने इलाकों के और अपने डिवीजन्स में जिस तरह से पॉवर हाउसेज की हालत है उनको सदन के सामने प्रस्तुत किया और जैसे कि हर जगह के लिए कहा जा रहा है कि मेरे डिविजन के पॉवर हाउस की हालत खराब है तो मैं भी अपने डिविजन जोधपुर के पॉवर

Page No.107

(श्री अनोपसिंह)

हाऊसेज़ में बहुतों की हालत खराब होगी लेकिन जोधपुर पॉवर हाउस की तो हालत नाजुक है और किसी दिन भी भरोसा नहीं हो सकता है कि पॉवर आज तो मिल ही जायेगा और करेन्ट फैल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है; विश्वास नहीं होता है। यहां तक कि जोधपुर के पॉवर हाउस में जहां कि मशीन अच्छी थीं और करेन्ट का फेल्योर कम हुआ करता था, जहां के इन्जिनीयर काफी अच्छे माने गये थे कि पॉवर हाउस को अच्छा चला रहे थे, उस पॉवर हाउस की यह हालत है कि किसी दिन विश्वास नहीं होता कि यह करेन्ट फैल नहीं होगा और तारीफ यह है उपाध्यक्ष महोदय कि करेन्ट ऐसे वक्त पर फैल हुआ करता है जब कि विद्यार्थियों के इम्तिहान चल रहे हों और जब कि विद्यार्थी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फैल न हो, पढ़ाई कर ली जाय, लेकिन उस वक्त बिजली जरूर फैल होती है और ऐसा होता है कि इम्तिहान के दिनों में अक्सर बिजली फैल होना शुरू होती है। छोटे मोटे कारखाने, रिपेयरिंग शोप्स वगैरह खोल कर छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, सिन्ध से आने वाले बहुत से रिफ्यूजीज़ चाहते हैं कि किसी तरह से छोटे मोटे कारखाने जमा लें, छोटे मोटे कारखाने और शोप्स लगा कर काम धंधा करें लेकिन उनको बिजली नहीं मिल सकती है। मैं मानता हूं कि जोधपुर की जनसंख्या काफी बढ़ गई है और इसलिए पॉवर हाउस का भी बढ़ना जरूरी था लेकिन इतना होते हुए भी सबसे बड़ी बात जो सामने लायी जाती है वह डोलर एक्सचेन्ज की है किन्तु डोलर एक्सचेंज की वजह से तो मशीनें आती नहीं गवर्नमेन्ट मंगाती नहीं किन्तु जोधपुर पॉवर हाउस की स्थिति यह हो रही है कि इस सम्बन्ध में सिवाय इसके कि इसकी बड़ी नाजुक स्थिति है और कोई शब्द मेरे पास नहीं है। छोटे मोटे उदाहरण अर्ज करूं तो यह है कि छोटे मोटे उद्योग धन्धों को तो पॉवर नहीं मिल सकता, करेन्ट मिलेगा या नहीं, यह उम्मीद नहीं हो सकती है, घर में बिजली लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, अगर नया घर बनाया है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है तो करेन्ट नहीं मिल सकता। इतना होते हुए भी पॉवर हाउस की कमज़ोर हालत होते हुए भी नजीर के तौर पर अर्ज करता हूं कि चौपासनी में एक आइस फैक्टरी है, जैसी मेरी जानकारी है, मैं ज्यादा जोर देकर तो इस बात को अर्ज नहीं कर सकता, १ लाख रुपया उस चौपासनी आइस फैक्टरी में बिजली की सरकार के बकाया है, जैसी कि मेरे जयपुर तक पहुंचते पहुंचते जो इन्फोर्मेशन है, वह नहीं चुकाया है और उसको फिर करेन्ट दिया जा रहा है और दूसरी ओर लोगों को काम धन्धे के लिये, निर्वाह करने के लिए करेन्ट नहीं दिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, वृद्ध मंत्री जी के होते हुए भी यह हालत है।

एक माननीय सदस्य: वृद्ध मंत्री जी कहा है! बुजुर्ग कहे।

श्री अनोपसिंह: मैं वृद्ध नहीं मानता हूं, बुजुर्ग कहिये।

श्री उपाध्यक्ष: Please proceed on.

श्री अनोपसिंह: (भाषण जारी रखते हुए) उनके होते हुए भी आज यह हालत हो रही है कि जिस आइस फैक्ट्री को १ लाख रुपया सरकार को देना बाकी है, उसको वापिस करेन्ट दिया जा रहा है और जहां तक मुझे मालूम है वह १ लाख रुपया अब तक चुकाया नहीं गया है लेकिन फिर भी उनको

(श्री अनूपसिंह)

बिजली मिल रही है जब कि छोटे २ कारखानों वालों को, निर्वाह के लिए काम धन्धा करने के लिये छोटे मोटे कारखाने खोलने वालों को, घर में बिजली नहीं मिल रही है उनको, पढ़ाई के लिये स्टुडेन्ट्स को बिजली नहीं मिल सकती। यह सब कुछ हो सकता है लेकिन चौपासनी आइस फैक्ट्री को बिजली देने के लिए आॅर्डर्स या तो हो चुके हैं और नहीं तो सेक्रेटेरियेट से दो तीन दिन में होने वाले हैं। हो सकता है कि एन्टीकरप्शन विभाग में श्री बोम्बे वाला साहब के आने से कुछ करप्शन में कमी आयी हो, उन्होंने करप्शन उड़ाने की कोशिश की हो, इतना सब कुछ होते हुए भी चार-पांच हजार रुपये इधर से उधर जरूर हुए होंगे जहां एक लाख रुपया गवर्नमेंट का बकाया हैं उनको तो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, इसमें आगे क्या रहस्य है यह तो भगवान ही जाने। मैं केवल आपकी सूचना के लिये इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर पॉवर हाउस की हालत बहुत नाजुक है, इसके अलावा दूसरे शब्द मेरे पास कहने को नहीं हैं। छोटे छोटे उद्योग धन्धों के लिये भी वह पॉवर सप्लाई नहीं कर सकता और पोपुलेशन को देखते हुए भी आज जो स्थिति जोधपुर पॉवर हाउस की है वह बहुत ही दयनीय है। वहां के पॉवर हाउस में घोटाले बाजी का बाजार भी गरम है, ये बातें माननीय मन्त्री महोदय से छिपी नहीं होंगी। इसके बावजूद भी मैं कई कॉन्क्रीट सुझाव लेकर कि क्या क्या घोटाले बाजी जोधपुर पॉवर हाउस में हो रही है माननीय मंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित हो सकता हूं। इन शब्दों के साथ सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हुआ यह जरूर निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो मांग रखी है उसे जरूर मन्जूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट ही बाकी हैं, इसलिए आप शनैः शनैः बढ़ रहे हैं।

श्री अनोपसिंह : यह बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा भी कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। I think You have concluded.

श्री अनोपसिंह : अगर आप बन्द करने की आज्ञा दें तो बन्द कर सकता हूं, I can do it.

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप बन्द कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

श्री अनोपसिंह : (जारी रखते हुए) इसलिए जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए जोधपुर पॉवर हाउस में जो कमियां हैं उनको हटाया जाय, अगर नहीं हटाई जाती हैं, इनका छोटा सा कटौती का प्रस्ताव है उसको मन्जूर कर लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि क्या हम इस डिमान्ड को कल भी कन्टिन्यू कर रहे हैं या आज ही समाप्त कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलालजी बहुत संक्षेप में ही इस पर कहेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पॉवर हाउसेज़ की अव्यवस्था के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप किशनगढ़ पर ही आजाइये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी रखते हुए) किशनगढ़ में जो पॉवर हाउस है वह बहुत पुराना है और जिसे गवर्नमेंट ने सन् ५० में अपने कब्जे में लिया था। सन् पचास से किशनगढ़ की जनता देख रही है कि सरकार के हाथ में आते ही इस पॉवर हाउस की व्यवस्था ठीक ढंग से होगी और छोटे-मोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सन् ५० से आज सन् ५८ आ गया है, वहां नया एन्जिन भी लग गया है लेकिन आज भी यह दशा है कि बिजली जो जलती है उसका प्रकाश एक दीपक के प्रकाश से ज्यादा नहीं होता और इस पर भी आठ आना यूनिट चार्ज किया जाता है। इस पर जब पॉवर हाउस के अधिकारियों से मिलते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें बहुत कमियां हैं, क्या सन् ५० से ५८ तक वे कमियां पूरी नहीं हो सकीं? वहां की अव्यवस्था के बारे में बताऊं कि वहां चार सौ पांचसौ गैलन तेल की कमी बहुत अर्से से चली आ रही है, उसकी कोई जांच नहीं की गई।

तांबे और पीतल में कमी आ रही है, उसकी कोई जांच नहीं की गई। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है उनके साथ भी बहुत भेद-भाव बरता जाता है, वहां का कर्मचारी बारह घंटे काम करता है जब कि यह नियम है कि आठ घंटे से ज्यादा काम न लिया जाय। बिजलीघर जिसे सरकार चलाती है उसमें भी बारह घंटे काम लिया जाता है। इस बारे में कई बार प्रश्न भी किये गये, उत्तर भी मिला लेकिन उसको अब तक भी ठीक नहीं किया गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, जहां बिजली दूसरों को प्रकाश देती है वहां दीए तले अन्धेरे की कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था चल रही है उसको ठीक किया जाय।

इसके अलावा एक बात और है, वह यह कि राजस्थान में बिजली के समान दर होने चाहियें। कहीं आठ आना यूनिट है तो कहीं सात आना और कहीं छः आना। इस पर राजस्थान सरकार विचार करे और तेल से चलने वाले जहां इन्जन हैं उनके लिये तो कम से कम एक दर निश्चित करे। ऐसा नहीं करते हैं तो जनता में इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि राजस्थान सरकार के अधीन पॉवर हाउस के आ जाने से आठ आना यूनिट लिया जाता है, इसलिए प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी बिजलीघरों की ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं चक्कियों को बिजली देने के खिलाफ हूं क्योंकि यह तो विधवाओं के पेट पर कुठाराघात है। वे जहां हाथ से आटा पीस कर आजीविका कमाती हैं वहां यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकर है.......

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आप स्वास्थ्य के लिए छोड़ दीजिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं चक्कियों के लिये बिजली देने के खिलाफ हूं। छोटे छोटे उद्योगों को बिजली जरूर दी जानी चाहिये और किशनगढ़ पॉवर हाउस की व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बिजलीघरों की अव्यवस्था के बारे में प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन

(श्री गिरधारीलाल)

करता हूं। माननीय साथी ने जो बीकानेर से आये हैं, उन्होंने बीकानेर पॉवर हाउस के संबन्ध में बताया वहां के पॉवर हाउस की यह हालत है कि आये दिन वहां आठ दस बार तो बिजली फेल होती ही है। इसके अलावा रात को भी चली जाती है और इसी कारण शहर के अन्दर चोरियां होती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नयी बात कहिये।

श्री गिरधारीलाल : आप मुझे बोलने दें तो बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो बात पहले कह दी गई है, उसका रिपीटिशन नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल : (जारी) एक बात रह गई थी उसी की ओर में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं पिछली अप्रेल से सरकार ने बीकानेर शहर के अन्दर पक्के कनेक्शन देना बन्द कर दिया था। पक्के कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इससे होता क्या है, बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं वे तो किसी न किसी प्रकार बिजली ले ही लेते हैं, उनको पक्के कनेक्शन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बिजली की कमी के कारण पलाना कोलियरी में जितना कोयला निकलना चाहिए उतना निकल भी नहीं पाता और उसके लिए बंगाल का कोयला मंगाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि पिछले अप्रेल से जो पक्के कनेक्शन देना बन्द पड़ा है उसको फिर से चालू कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही तारीख १८।२।५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय ५ बजे, दिनांक १८ फरवरी, १९५८ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.111

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, १७ फरवरी, १९५८)

तारांकित-प्रश्नोत्तर

धार्मिक शिक्षा ।

समाज कल्याण बोर्ड ।

पटवारी व गिरदावर ।

महिला कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधा ।

पुरुषार्थियों के आवास की व्यवस्था ।

बीघोड़ी में दी गई छूट ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हेतु खोले गये छात्रावास ।

विकास खंड ।

तकावी वितरण ।

जिलों का पुनर्निर्माण ।

कस्टम्स रिबेट ।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ।

अकाल सहायता ।

विभागीय गैरेजेज़ एवं डिस्ट्रिक्ट पूल्स में कार्स एवं अन्य वाहन ।

कन्या पाठशाला, सांचोर ।

राजस्थान कॉलेज होस्टल ।

जयपुर में थड़ियों के बदले पक्की दुकानों का निर्माण ।

इन्सपेक्टरों व नाकेदारों का बकाया देय ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

मन्दिरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ।

घटवाल का बकाया वेतन ।

पुरुषार्थियों के लिए स्थायी बाजार का निर्माण ।

भारतीय सेवा स्तर (आई० ए० एस०) अधिकारी ।

सुपरवाइज़र, बीमा विभाग ।

जागीरी कर्मचारी ।

कॉटन मिल्स ।

बापू आश्रम, जयपुर ।

लगान वसूली पर्ची वितरण ।

विस्थापित परिवारों को बसाने की योजना ।

बुनकर बस्ती की स्थापना ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

चेचक के प्रकोप पर स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य 1025

चेचक की बीमारी से सम्बन्धित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव के बारे में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री, ने स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दिया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों की प्रस्तुति 1027

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों

१६५७–५८, (प्रथम खंड) को प्रस्तुत किया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार–विमर्श

(१) मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक–'ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम'

इस मांग पर तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए । सरकार की ओर से उत्तर दिए जाने के पश्चात् एक कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लिया गया तथा शेष दो प्रस्ताव अस्वीकृत हुए । तत्पश्चात् उपरोक्त मांग स्वीकार की गई ।

(२) मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक '४७ विविध'

इस मांग पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये । इस मांग पर किये गये वाद–विवाद में १३ अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया । सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिये जाने पर कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा उपरोक्त मांग स्वीकार की गई ।

(३) मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र

इस मांग पर तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए । प्रस्तावकों के अतिरिक्त ५ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये ।

मंगलवार, दिनांक १८ फरवरी, १६५८ की कार्य सूची

मांगों पर मतदान

(कृपया प्रश्न संख्या १५२ का उत्तर देखिये)

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची

१. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया, अध्यक्षा ।
२. श्रीमती कमला बेनीवाल, उपाध्यक्षा ।
३. श्री संचालक, समाज कल्याण विभाग, पदेन सचिव ।
४. श्री भगवतसिंह मेहता, कोषाध्यक्ष ।
५. श्री गौरीशंकर आचार्य, सदस्य ।
६. श्रीमती नगेन्द्र बाला, सदस्या ।
७. श्रीमती गौरी पुनिया, सदस्या ।
८. श्रीमती शन्नो देवी, सदस्या ।
९. श्रीमती शारदा भार्गव, सदस्या ।
१०. श्रीमती नारायणी देवी, सदस्या ।
११. श्रीमती कमला श्रोत्रिय, सदस्या ।
१२. श्रीमती गोमती देवी भार्गव, सदस्या ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

पटवारी का नाम		नियुक्ति का स्थान	तहसील	नियुक्ति की तिथि
१	श्री रघुनाथसिंह	टोंक सिटी	टोंक	८–१०–५७
२	श्री बद्रीनारायण	तहसील टोंक	,,	८–१०–५७
३	श्री गुलाबचन्द	हलका लाम्बा	,,	१–१०–५७
४	श्री बन्सीधर	हलका ओम	,,	११–६–५७
५	श्री बद्रीप्रसाद	हलका बाजोलिया	उनियारा (हैड क्वार्टर अलीगढ़)	३१–७–५७
६	श्री बृजमोहन	,, टाउन उनियारा	,,	१–७–५७
७	श्री मानकचन्द	,, गोथरा	,,	३–१०–५६
८	श्री नन्दकिशोर	,, राजवास	निवाई	१–१०–५७
९	श्री फतेह मोहम्मद	,, वनस्थली	,,	२३–११–५५
१०	श्री रामनारायण	,, भरथला	,,	४–१–५६
११	श्री मूलचन्द	,, सालगावास	टोड़ा	२२–३–५६
१२	श्री शंकरलाल	,, मोर	,,	२–३–५६
१३	श्री अहमद बक्श	,, घाड	देअली	७–४–५६
१४	श्री रामस्वरूप	,, इन्दौरा	,,	१–५–५७
१५	श्री रघुवरदयाल	,, गांवरी	,,	७–४–५६
१६	श्री गोकुलसिंह	,, थांवला	,,	७–४–५६
१७	श्री इन्दरसिंह	,, दूनी देहात	,,	६–६–५६
१८	श्री कपूरचन्द	,, बालागढ़	,,	२५–४–५७
१९	श्री सौभागमल	,, आंवां	,,	१–१०–५६

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १५८ का उत्तर देखिये)

APPENDIX I.

LIST OF ACTIVITIES CONDUCTED IN THE C. B. BLOCK AHORE

		Upto Dec., 1957.
1.	Public contribution.	about Rs. 5,48,874
2.	Chemical Fertilisers distributed	1688 mds.
3.	Improved seeds distributed.	19014 mds.
4.	Compost pits dug.	1615
5.	Agricultural demonstrations held	897
6.	Tractor purchased by private owners.	40
7.	Total area reclaimed	4453 acres.
8.	No. of Animal Castrated	704
9.	No. of animals treated	18792
10.	Welles constructed for Irrigation.	67
11.	Wells repaired for Irrigation	96
12.	Private Rural latrines in use.	59
13.	Drains constructed	1582 yds.
14.	No. of Sookeless Chullas	5
15.	No. of drinking water wells	9
16.	Drinking water wells renovated.	166
17.	School buildings constructed.	13
18.	No. of literacy Cantres started.	52
19.	No. of Adults made literate.	1730
20.	Vikas Mandals formed.	85
21.	Village Camps Organised.	3
22.	Mahila Mandals	5
23.	Roads cnnstructed.	$35\frac{1}{2}$ miles.
24.	Co-oparative Societies formed.	24
25.	Total membership of Cc-operative societiss	1172
26.	Loans distributed.	49487.

APPENDIX II.

LIST OF ACTIVITIES CARRIED ON IN THE VILLAGE OF GUDA BALOTAN, C. D. BLOCK, AHORE.

1. Construction of Primary and Middle School Buildings.
2. Renovation of Pichka (Drin-king water well).
3. Construction of the approach Road.
4. Construction of the well in the colony of Bhambies.
5. Construction of a well in the Bhil Colony.
6. Construction of a hospital building (under construction).
7. Appraoch Road from Guda Balotan to Agwari.
8. Construction of a Co-operative seed Store. (under construction).
9. Other activities :—

    (1) A large sized Co-operative Society has been formed.

    (2) Vikas Mandol formed.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १७१ का उत्तर देखिये)

क्र०सं०	गांव का नाम	मन्दिर का नाम	मासिक रु०	आ०	पा०	वार्षिक
१	फतहपुर	दरगाह नवाब		३	६	
२	सीकर (पायन्दगान)	बालाजी चांदपोल	२	३	६	
३	सीकर	गोविन्ददेवजी	२	१२	०	
४	सीकर	सूर्य भगवान	१६	१२	०	
५	सीकर	बालाजी	१	–	–	
६	सीकर	लक्ष्मीनाथजी	७	–	–	
७	हरदयालपुरा	कल्यानजी	७	८	–	
८	सीकर	नृसिंहजी	१	–	–	
६	बरगट्ठा	बालाजी	१	८	६	
१०	बरगट्ठा	सोपजी	१	२	३	
११	सीकर	कल्यानजी	२	–	–	
१२	सीकर	कल्यानजी	३१	४	–	
१३	सीकर	मुरली मनोहरजी	२४	२	–	
१४	सीकर	जानकी नारायणजी	४	–	–	
१५	सीकर	चन्द्रबिहारीजी	२	–	–	
१६	मौचीवाड़ा सीकर	रूगनाथजी	१	–	–	
१७	नागजी	नृसिंहजी	१	–	–	
१८	देवीपुरा	जगदीशजी	५	–	–	
१६	ताजसर	नृसिंहजी	१	–	–	
२०	सीपोलींगपुरा	कल्यानजी	६	–	–	
२१	सीकर	उदयबिहारीजी	५	–	–	
२२	सीकर	माताजी	१५	–	–	
२३	सीकर	श्री शंकर	३	–	–	
२४	सीकर	श्री बालाजी	६	६	३	
२५	भोलासी	सीतारामजी	८	–	–	
२६	सीकर	माथाईसंजी	१	३	६	
२७	देवीपुरा	कल्यान्जु	७	३	३	
२८	सीकर	गंगाजी	१	१४	६	
२६	सीकर	गंगाजी	११	११	–	
३०	सीकर	गोपीनाथजी साथ तीन मन्दिर	५४	२	३	३१०॥)
३१	हरस	शिवजी	७	८	–	
३२	कुरली	श्री सीतारामजी	१	–	–	

Page No.117

क्र०सं०	गांव का नाम	मन्दिर का नाम	मासिक रु०	आ०	पा०	वार्षिक
३३	सीकर	रामगोपालजी	१	१२	–	
३४	सीकर	स्वरूप नारायणजी	२	५	६	
३५	सीकर	सालिगरामजी	१	–	–	
३६	दीपुरा	शाप मन्दिर	३	–	–	
३७	सीकर	सत्यनारायणजी	४	४	–	
३८	सीकर	मदन मोहन जी	१६	–	–	
३९	सीकर	लक्ष्मीनाथ जी	२	४	८	
४०	सीकर	रामकुमारजी	१	१	–	
४१	जालरा	नागजी	१	–	–	
४२	सागर का कुआ	बालाजी	२	–	–	
४३	सीकर	भैरूंजी	३	८	३	
४४	सीकर	चैनपुरा	–	१४	–	
४५	हरस	भैरूंजी	३	८	३	
४६	सीकर	श्री माताजी	५	१२	६	
४७	सीकर	रघनाथ जी				२५–८–०
४८	नेछवा	भरजी	४	७	६	
४९	सीकर	सीतारामजी	१५	–	–	
५०	सीकर	विष्णुभगवान				१७–०–०
५१	रामगढ़	श्री नटवर जी	५	–	–	
५२	फतेहपुर	सीताराम जी	९	२	–	
५३	सीकर	मुरली मनोहरजी	३	६	३	
५४	सीकर	श्री कल्याण जी				१८–१२–०
५५	सिरोही	नृसिंहजी				४३–०–०
५६	सीकर	श्री गोपाल जी				६४–०–०
५७	कोलीडा	श्री लक्ष्मीनाथ जी	७	–	–	४–१२–०
५८	सीकर	शनिश्चर जी	–	१३	३	
५९	सीकर	श्री प्रतापेश्वर जी	२	१	–	
६०	सीकर	श्री सने भगवान	–	८	–	
६१	सीकर	श्री रघूनाथ जी	७	–	–	
६२	सीकर	श्री गोपीनाथजी	–	१४	–	
६३	रघूनाथ गढ़	बाला जी	२	–	–	
६४	सीकर	हनुमान जी	५	–	–	
६५	रघूनाथ गढ़	श्री अलाखा जी	–	६	–	
६६	सीकर	श्री शनिश्चर जी	७	८	–	

क्र०सं०	गांव का नाम	मन्दिर का नाम	मासिक रु०	आ०	पा०	वार्षिक
६७	रघुनाथ गढ़	श्री सीताराम जी	११	–	–	७–०–०
६८	सीकर	श्री नृसिंह जी	२०	–	–	३२–०–०
६९	सीकर	श्री लक्ष्मीनारायण	६२	८	–	
७०	सीकर	गुड्डोजी का मंदिर	१	–	–	
७१	सीकर	श्री रघुनाथ जी	२	–	–	
७२	सीकर	सीताराम जी	२	–	–	
७३	सीकर	श्री रघुनाथ जी	२	८	३	
७४	सीकर	श्री बालाजी	१	१३	९	
७५	लक्ष्मण गढ़	श्री भैंरूजी	३	१३	३	
७६	सीकर	श्री सतीजी	१२	१३	–	
७७	सीकर	माधोबिहारी जी	१	२	–	
७८	सिंग्रावत	गोपीनाथ जी	–	८	–	
७९	शामगढ़	मोहन जी	५	–	–	
८०	बावडी	श्री रुघनाथ जी	४	–	–	
८१	सारिन्डा	श्री रुघनाथजी	३	–	–	
८२	सूरजगढ़	श्री सीताराम जी	८	–	–	
८३	सीकर	श्री बालाजी	५	–	–	

AID TO TEMPLES AND RELIGIOUS INSTITUTIONS.

S. No.	Name of Temple.	Amount of monthly aid.	Amount of yearly aid, if any	Remarks.
1.	2.	3.	4.	5.
	SIKAR TOWN.			
1.	Shri Gopinathji.	31/4/3	301/-/-	
2.	„ Jagdishji.	1/14/-	8/8/-	
3.	„ Risak Behariji.	1/-/-	—	
4.	„ Shri Ram Pratab Balabhji.	15/-/-	—	
5.	„ Bhairon Behariji	1/-/-	—	
6.	„ Raghunathji	1/1/-		
7.	„ Janki Balabhji	2/4/-		
8.	„ Kalyanji	32/13/-	301/-/-	
9.	„ Madhobihariji	1/2/-		
10.	„ Murlimanoharji	24/2/3		
11.	„ Sarweehwar Mataji	26/15/3	10/6/-	
12.	„ Udaibihariji	5/-/-		
13.	„ Jagdishji Debipura Road	5/-/-		
14.	„ Balaji Bada Talab	9/9/3		
15.	„ Satiji	12/13/-		
16.	„ Chandra Behariji	2/-/-		
17.	„ Satya Narainji	4/4/-		
18.	„ Bhaironji Biliard	1/3/6		
19	„ Suraji, Vyasjika	16/14/	11/-/-	
20.	„ Nrasinghji Nagajika	1/-/-		
21.	„ Nrasinghji Mandaska	1/-/-		
22.	„ Nrasingi Chainpuraka	-/14/-		
23.	„ Nrasinghji Khakhijika	20/-/-	32/-/-	
24.	„ Pokhar Ram Ki Chhatri	4/11/-		
25.	„ Balaji Debipura	1/13/9		
26.	„ Govind Devji	11/11/-		
27.	„ Madan Mohanji	16/-/-		
28.	„ Murlimanoharji, Ajodhyadesji ki Bagichi	3/6/3		
29.	„ Balaji Dujod Gate	1/-/-		
30.	„ Gangaji, Sri Ram Pratap Singhi ki Chatri	28/1/6		
31.	„ Balaji Bargatta	1/8/6		
32.	„ Bhaironji Naya Sahar	3/8/3		
33.	„ Balaji on Behar Sagar Well	2/-/-		

1.	2.	3.	4.	5.
34 Shri	Digamber Jain Tera Panth Panchayat Bara Mandir, (Diwanji ki Nasia)	2/-/-		
35. ,,	Digamber Jain Chandra Prabhu Chaitayalaya, (Gangaram ka Chaitayalaya).	1/-/-		
36. ,,	Digamber Jain Bispanth Panchayati Bara Mandir.	3/14/6		
37. ,,	Digamber Jain Mandir, (Barli Nasia).	1/-/-		
38. ,,	Shivji.	1/2/3		
39. ,,	Shanishcharji.	-/13/3		
40. ,,	Laxmi Nathji.	2/4/-		
41. ,,	Balaji Ramsukhji Purohitka.	-/6/3		
42. ,,	Gudar ka Mandir.	1/-/-		
43. ,,	Govind Deoji Godika.	2-/12/-		
44. ,,	Ganeshji.	1/14/-		
45. ,,	Laxminathji Nayan ka Mandir.	/8/-		
46. ,,	Kishan Behariji.	3/-/-		
47. ,,	Janki Narainji.	1/-/-		
48. ,,	Ram Raiji ka Mandir.	1/3/-		
49. ,,	Sitaramji Garh.	10/-/-	8/8/-	
50. ,,	Sireh Behariji.	1/-/-		
51. ,,	Ram Kumarji.	1/1/-		
52. ,,	Ram Gopalji.	-/14/-		
53. ,,	Brij Nandji.	-/14/-		
54. ,,	Sita Ramji Chitlangya ka Mandir.	1/1/3		
55. ,,	Raghunathji, Mochya ka Mandir.	1/-/-		
56. ,,	Jagat Siromaniji.	1/-/-		
57. ,,	Garibdasji-ki-Bagichi.	2/8/3		
58. ,,	Purohitji Sahib ka Mandir.	2/5/6		
59. ,,	Mohanlalji.	-/11/-		
60. ,,	Kalawatiyon-ka-mandir.	1/-/-		
61. ,,	Ridhkarandasji Jati.	1/14/-		
62. ,,	Swami Kishandasji.	10/-/-		
63. ,,	Balaji Chandpole.	2/3/6	2/-/-	
64. ,,	Sanicharji, Madhosagar Tank.	7/8/-		
65. ,,	Rameshwarji Tiwari (Pujan. Maharj Devisinghji ki Chatri).	4/-/-		
66. ,,	Kalyanji Maliyon-ka-Mandir,	2/-/-		

1.	2.	3.	4.	5.
67.	Shri Salagramji.	1/-/-		
68.	„ Hanumanji Rly. Station.	5/-/-		
69.	„ Bhaironki Garh.	2/-/-		
70.	„ Yugul Kishoreji.	20/-/-		
71.	„ Balaji Bara Talab (Bolta Balaji)	5/-/-		
72.	„ Jama Masjid.	5/-/-		
73.	„ Mohadeoji at Jharkhan.	3/-/-		
74.	„ On the samadhi of Shri Yuranji. Sahiba, (Ghee for burning lamp.	3/-/- 3/12/- Sr.		
75.	„ Shivji below Madho Niwas Kamla Prasad for worship Jaldhara & Sawan ki Puja.	5/-/- —	20/-/-	
76.	„ Hanumanji Charanan ka at Sikar. Price of 12 Chattaks of Food grains daily.			
77.	Shri Govindram Brahmachari Pujan of Shri Mataji, Bara Talab.	15/-/-		
78.	Shri Inait Ali Mohammad Shah ka Price of 15 Chtts of food grains daily	6/4/-		
		454/1/-	694/6/-	6143/2/- Annually total
	LACHHMANGARH TOWN.			
79.	Shri Raghunathji.	2/-/-		
80	Shri Janki Ballabji.	-/7/6		
81.	Shri Hanumanji.	7/6/9 Plus -/4/- Per Tuesday.		
82.	Shri Bhaironji.	3/7/3 Plus -/1/6 Per Sunday.		
83.	Shri Bijey Raghunathji.	-/7/-		
84.	Shri Sita Ramji.	2/-/-		
85.	Shri Bijai Gopalji	3/-/-		
86.	Shri Ramji Lal Mishra.	1/-/-		
		19/12/6	18/11/-	256/1/- annually. Total
	FATEHPUR TOWN.			
87.	Shri Laxmi Nathji.	1/2/9		
88.	„ Raghunathji.	1/-/-		

1	2	3	4	5
89.	Shri Surya Nandji.	4/1/-		
90.	„ Sita Ramji,	4/-		
91.	„ Bhironji.	4/12/-		
92.	„ Gangaji.	1/4/-		
93.	„ Shanicharji	3/6/-		
94.	„ Bhaironji ka Bara.	-/2/-		
95.	„ Sher Sultanji.	-/2/-		
96.	„ Dare Dolat Khanji.	-/3/6		
97.	„ Gyandas ka Mandir.	-/8/-		
98.	„ Bala Bux Pujari.	5/2/-		
99.	„ Goshainji (Oil)	-/12/-		
100	„ Sumat Ram Ram Sanehi.	1/1/-		
101.	„ Munir Shah Fakir.	4/7/9		
		28/4/9		Total annually 347/1/-
	RAMGARH TOWN.			
102.	„ Ganeshji.	1/13/-		
103.	„ Raghunathji.	2/11/-		
104.	„ Sanicharji.	-/7/3		
105.	„ Govind Deoji.	1/13/-		
106.	„ Badri Narainji.	1/13/-		
107.	„ Natwarji.	5/-/-		
108	„ Pir Umar Khanji.	2/-/-		
109.	„ Jati Parmanandji.	-/14/-		
110.	„ Pir Mukhthar Khanji.	6/12/-		
		23/3/9		Total annually 278/13/-
	REENGUS TOWN.			
111.	„ Gopinathji.	-/12/-		
112.	„ Sitaramji.	1/-/-		
113.	„ Balaji,	1/-/-		
114.	„ Gopalji Baghwala.	-/4/-		
115.	„ Shivji.	-/13/9		
116.	„ Rameshwarji Pujari.	2/-/-		
117.	„ Jagdish Pujari	2/-/-		
118.	„ Har Sahai Bhahman	1/8/3		
		9/6/-		Total annually 112/8/-

1	2	3	4	5
	RAGHUNATHGARH TOWN			
119.	Shri Gopinathji	-/14/-		
120.	„ Alkhaji	-/9/-		
121.	„ Sundyal Nathji	-/9/-		
122.	„ Hanumanji (Garh)	-/1/-		
123.	„ Bhaironji	-/1/3		
124.	„ Hanumanji.	-/9/-		
125.	„ Brij Mohan Purohit	2/-/-		
126.	„ Sita Ramji	11/-/-	9/4/-	
127.	„ Raghunathji	7/-/-	Plus 4/-/-	Dear ness allowance
			9-/4/-	Total
		26/11/3		annually 329/11/-
	NECHHWA TOWN			
128.	„ Mataji	5/12/6		
129.	„ Bhaironji	4/7/9		
130.	„ Patan Raghunathji	-/4/-		Total
		10/8/3		annually 126/3/-
	MAGLONA			
131.	„ Raghunathji	1/13/6		
132.	„ Peerji Ki Sirani.	-/4/6		Total
		2/2/-		annually 25/8-
	DEEPPURA			
133.	„ Shivji	3/-/-		
134.	„ Kalyanji	7/2/-		
		10/2/3		Total annually 121/11/-
135.	„ Bhaironji on Harash Hill	1/15/9	126/-	
136.	„ Bhaironji below	1/8/6		
137.	„ Shivaji ki Pujan ka (Kana Panda)	5/-		
			126/-	Total
		8/8/3		annually 228/3/-

1	2	3	4	5
	SHRI JINMATA VELLEY			
138.	Shri Balaji	2/-		
		2/-	Total annually	24/-
	MISCELLANEOUS TEMPLES.			
139.	Shri Gopinathji at Deogarh	4/-	1/-	
140.	„ Gopinathji at Singraw	-/8/-		
141.	„ Sitaramji at Kurli	1/-		
142.	„ Laxmi Nathji at Kolira	7/-	4/12/-	
143.	„ Mrasinghji at rajssar	1/-		
144.	„ Balaji at Purohitji ki Dhani	-/4/-		
145.	„ Govind Devji Purohit ji ki Dhani. Price of lsr of foodgrain daily.	6/8/-		
146.	„ Sita Ramji at Balod Badi	2/-		
147.	„ Raghunathji at Dabri	4/-		
148	„ Raghunathji at Udansar	3/-		
149.	„ Ramdeoji at Dhani Charannan.	2/-		
150.	„ Raghunathji at Garinda	3/-		
151.	„ Gopinathji at Mangal	5/-		
152.	„ Shivji at Sola	2/-		
153.	„ Manna Nai at Salasar (Paid for the cleaning of the temple)	2/-		
154.	„ Raghunathji at Dujod	-/4/-		
155.	„ Nagaji at Jhalra	1/-		
156.	„ Kalyanji at Scheosinghpura	6/-		
157.	„ Sitaramji at Mailasi.	3/-		
158.	„ Janki Ballabhji at Balaran	8/-		
159.	„ Kalyanji at Hardayalpura	7/8/-		
160.	„ Raghunathji at Ghirna	8/-		
161.	„ Jiwan Ramji ki Chatri (V. Lalasari, Marwar)	1/8/-		
162.	Sikar House, Jaipur Shri Raghunathji's Temple.	7/-		
163.	Shri Raghunathji at Tiroki.	4/-		
164.	„ Sitaramji Dherkabas	15/-		
165.	„ Balaji, Kalyanpura, Tehsil Fatehpur.	5/-		
	Total.		Total annually	
		108/10/-	5/12/-	
		704/-	854/1/-	
		Total	Rs. 9302/1/-	

LIST OF TEMPLES UNDER THIKANA KHANDELA PANA KHURD DISTRICT SIKAR.

S. No.	Name of Temple	Amount of monthly aid.
1.	Shri Raghunathji	Rs. 25/4/-
2.	,, Gordhandassji	Rs. 30/12/-
3.	,, Padam Behariji	Rs. 70/-
4.	,, Dhirajgarh-ka-Snivji.	Rs. 30/-
	Total	Rs. 156/-
	Yearly aid	Rs. 1872/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण १७ फरवरी, १६५८)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	अन्तिम से ३	मुख्य शीर्षक ः राज्य	मुख्य शीर्षक–त–राज्य
१०२८	२०	पर	पर
१०३१	शीर्ष	मांग संख्या १७–१४ फरवरी	मांग संख्या ७१–१७ फरवरी
१०५३	अ० से ३	अयत्त	अध्यत्त
१०७२	१८	रहा दर निकार,	रहा दर किनार
१०७६	शीर्ष	–१४ फरवरी, ५७	१७ फरवरी, ५८
१०८४	२२	उत्पन्न	उत्पन्न
१०८६	१६	पड़ी हुई णरचंडी	पड़ी हुई रणचंडी
१११६	१२	नये ऑगेनाईज़ेशन्स	नये ऑर्गेनाइज़ेशन्स
११२५	२	not enter foto	not en ter into
११२७	११	कोई एक्प्लेनेशन	कोई एक्सप्लेनेशन
११४६	९ से १४	शपाखाने	शफाखाने
११५७	३	विरोध उन्होंने में	विरोध में उन्होंने
,,	१५	लोगों को इससे इर्षा	लोगों को इससे ईर्ष्या
११६०.	२८–३०	(अस्वीकृत) क्या सदन की अनुमति है कि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जावे ।	क्या सदन की अनुमति है कि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जावे । (अस्वीकृत)
११६१	६	मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।	मांग संख्या ५७ स्वीकार की गई।
११६५	१	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
११७८	१२–१३	बिगड़ा क्यों यह	बिगड़ा क्यों, यह
,,	१३	देखने की बात है ?	देखने की बात है ?
,,	२०	यहां से पार्ट बना लिये	यहां से पार्ट्स बना लिये
११८५	अन्तिम से ३	और मे सदन	और मैं सदन
,,	अन्तिम से २	चाहता हूं पिछली	चाहता हूं, पिछली
११८७	१४	कस्टम्स रिवेट	कस्टम्स रिबेट